दशम माला, खंड 46, अंक 18

बुधवार, 20 दिसंबर, 1995
29 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
55
14.10.96

पंद्रहवां-सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

20 दिसम्बर, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
3	6	बाकुटा	बाकुरा
3	21	संसद का अपना	संसद को अपने
4	20	श्री एन.के. राठवा	श्री एन.जे. राठवा
4	नीचे से 7	श्री ए.आर. बन्तुले	श्री ए.आर. अन्तुले
76	19	श्री सुरेश पधौरी	श्री सुरेश पचौरी
93	15	मार्शीलिंग	मार्शलिंग
104	1	प्ले[illegible]मों	प्लेटफार्मों
104	19	श्री सुखेन्दु खाँ	श्री सुखेन्दु खाँ
105	26	श्री एम.एम.	श्री एस.एस.
165	16	आवायोजना	आवास योजना

विषय–सूची

दशम माला, खंड 46, पंद्रहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 18, बुधवार, 20 दिसम्बर, 1995/29 अग्रहायण, 1917 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1-3
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		4-198
* तारांकित प्रश्न संख्या :	341 से 360	4-22
अतारांकित प्रश्न संख्या	3532 से 3765	22-198
वित्तीय सहायता के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1512 के दिनांक 6 दिसम्बर, 1995 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		198-200

लोकसभा

बुधवार, 20 दिसम्बर, 1995/अग्रहायण, 29, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अत्यधिक दुःख के साथ हमारे पांच पूर्व सहयोगियों अर्थात सर्वश्री विदिका सत्यनारायण, लक्ष्मी शंकर यादव, दिगम्बर सिंह चौधरी, आर० रामनाथन चेट्टियार और गिरधारी लाल व्यास के निधन की सूचना देनी है।

श्री विक्किा सत्यनारायण दूसरी, तीसरी तथा पांचवी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने वर्ष 1957-67 तथा 1971-77 के दौरान आन्ध्र प्रदेश की पार्वती पुरम संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

व्यवसाय से कृषक, श्री सत्यनारायण एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। गांधीवाद में उनका अटूट विश्वास था और उसका अनुसरण करते थे। वे बहुत कम उम्र में स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़े थे।

श्री सत्यनारायण ने पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया।

श्री विदिका सत्यनारायण का 24 अक्तूबर, 1995 को 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव 1950-52 के दौरान उत्तर प्रदेश से अन्तरिम संसद के सदस्य थे। वे 1952 से 1977 तक छः बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के भी सदस्य रहे थे।

वे एक योग्य प्रशासक थे और उन्होनें 1954-57 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया और बाद में वर्ष 1967-77 के दौरान राज्य मंत्रिमण्डल में केबिनेट मंत्री बने।

एक सच्चे गांधीवादी के रूप में, उन्होंने गरीब और दलितों की सेवा करने के लिए कठिन परिश्रम किया।

वे एक सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में कई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए अथक प्रयास किये। वे कई सामाजिक संगठनों से संबद्ध थे।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव का 29 अक्तूबर, 1995 से 77 वर्ष की आयु में लखनऊ में त्रासदिक परिस्थितियों में निधन हुआ।

श्री दिगम्बर सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश में मथुरा संसदीय क्षेत्र से 1952-57, 1962-67, 1970 तथा 1980-84 के दौरान क्रमशः प्रथम, तीसरी चौथी तथा सातवीं लोकसभा के सदस्य थे।

व्यवसाय से कृषक, श्री चौधरी सहकारी आन्दोलन के सक्रिय नेता थे। उन्होंने जिला सहकारी बैंक, मथुरा के प्रबन्धन निदेशक और उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लखनऊ के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।

श्री दिगम्बर सिंह चौधरी, का 82 वर्ष की उम्र में 10 दिसम्बर, 1995 को मथुरा में निधन हो गया।

श्री रामनाथन चेट्टियार वर्ष 1957-62 तथा 1962-67 के दौरान तमिलनाडु की पुडु को ततई तथा करूर संसदीय क्षेत्रों से दूसरी तथा तीसरी लोकसभा के सदस्य थे।

व्यवसाय से एक व्यवसायी तथा उद्योगपति, श्री चेट्टियार इसके राष्ट्रीयकरण होने तक भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम निदेशक थे।

श्री रामनाथन चेट्टियार ने वर्ष 1950-51 में मद्रास के मेयर के रूप में भी कार्य किया था। वे एक लम्बी अवधि तक भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने 1958-59 के दौरान भारतीय वृस्तकरधा विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था।

उन्होंने व्यापक प्रमाण किया था। श्री चेट्टियार ने आर्थिक मामलों, वित्त, वाणिज्य तथा उद्योग में विशेष रूचि ली थी। उन्होंने 1948 तथा 1956 में हुए ई०सी०ए०एम०ई० के सत्रों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने विभिन्न खेलकूद तथा सांस्कृतिक संगठनों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने तमिल में 'नगरथर वरालस' नामक एक पुस्तक भी लिखी थी।

श्री रामनाथन चेट्टियार का 12 दिसम्बर, 1995 को मद्रास में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री गिरधारी लाल व्यास 1980-89 के दौरान राजस्थान के भीलवाड़ संसदीय क्षेत्र से सातवीं तथा आठवीं लोकसभा के सदस्य थे।

इससे पूर्व, वे 1962-67 तथा 1974-77 के दौरान राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे।

व्यवसाय से एक कृषक, श्री व्यास ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में किया और फिर जिला परिषद तथा विधान सभा जैसे अन्य निकायों के सदस्य के रूप में कार्य किया था। वे 1969-73 के दौरान राजस्थान में पंचायत राज समिति के अध्यक्ष थे।

श्री व्यास ने किसानों तथा श्रमिकों के उत्थान में सक्रिय रहे और भारतीय टूडे यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे। इस सभा की अपनी सदस्यता के दौरान उन्होंने लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने सभा की कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री गिरधारी लाल व्यास का 17 दिसम्बर, 1995 को जयपुर में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहन शोक प्रकट करते हैं और यह सभा शोकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान के रूप में कुछ क्षण मौन धारण करेगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय प्रधान मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुटा) : महोदय, प्रधानमंत्री कहां है ? (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लगभग चौबीस घंटे हो गये है और हमे अभी तक प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : जे०पी०सी० का क्या हुआ ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (दक्षिण कलकत्ता) : महोदय, वे इस तरह सभा का समय नष्ट नहीं कर सकते –(व्यवधान) वे यह नहीं चाहते कि सभा का कार्य चले। –(व्यवधान) महोदय, वे सरकारी धन को नष्ट कर रहे हैं क्या उन्हें उसकी जानकारी है ? – (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, सदन के नेता को उत्तर देना चाहिए। हमने अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विधेयक के बारे में क्या हुआ। संसद का अपना निर्धारित कार्य पर चर्चा करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आज प्रश्न काल में प्रधानमंत्री का दिन है। फिर भी वे अनुपस्थित है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, कल चर्चा के समय शुक्ला जी ने आश्वासन दिया था कि वे प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। हम जानना चाहते है कि प्रधान मंत्री जी कहां है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : सभा को कार्य करना चाहिए। यदि वे सभा से बाहर जाना चाहते है तो उन्हें जाने दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : सभा को कार्य करना चाहिए। यदि वे सभा से बाहर जाना चाहते है तो उन्हें जाने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा 21 दिसम्बर, 1995 को 11 म०पू० पर पुन समवेत होनें तक स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेल परियोजना

*341 **श्री तारा सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसाधनों की भारी कमी के कारण रेलवे को मजबूरन कुछ परियोजनाओं में कटौती करनी पड़ सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण प्रभावित होने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन परियोजनाओं के लिए स्वयं संसाधन जुटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) रेलें केवल संसाधनों की तंगी के कारण स्वीकृत परियोजना का परित्याग नहीं करती हैं;

(ग) और (घ) चालू वर्ष 1995-96 के लिए 7500 करोड़ रुपये के कुल योजना परिव्यय में से आंतरिक संसाधनों से 4100 करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान है;

कुष्ठ निवारण केन्द्रों को केन्द्रीय सहायतानुदान

*342. **श्री एन०के० राठवा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और मौजूदा वित्तीय वर्ष में अभी तक कुष्ठ निवारण केन्द्रों के लिए राज्य-वार नकद और जिन्स के रूप में कितनी राशि का सहायतानुदान मंजूर किया गया और जारी किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के आदिवासी और दूरवर्ती क्षेत्रों में कुछ और कुष्ठ निवारण केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अल्लुले) : (क) से (ग) पिछले 3 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नवम्बर, 1995 तक कुष्ठ नियंत्रण संबंधी कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंजूर और विमुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

अपेक्षित व्याप्तता दरों वाले आदिवासी और दूर-दराज क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश को कुष्ठ रोधी सेवाओं के लिए मौजूदा केन्द्रों द्वारा कारगर ढंग से कवर किया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम राज्य/संघ क्षेत्रों को नकद तथा सामग्रीगत उपलब्ध कराई गयी केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	राज्य	राज्यों/संघ क्षेत्रों तथा जिलों को सीधे ही स्वीकृत तथा विमुक्त केन्द्रीय सहायता									11/1995 तकविमुक्त
		1992-93			1993-94			1994-95			
		राज्य		जिला	राज्य		जिला	राज्य		जिला	
		नकद	सामग्री	नकद	नकद	सामग्री	नकद	नकद	सामग्री	नकद	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	210.00	78.38	167.50	200.00	11.34	290.00	203.00	54.02	99.00	101.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.50	0.30	11.00	10.00	0.42	45.73	16.00	1.77	90.07	8.25
3.	असम	18.00	3.20	6.00	18.00	1.49	.00	20.00	16.47	232.12	10.00
4.	बिहार	110.00	28.18	15.53	112.00	19.58	807.43	112.00	68.75	1669.19	56.00
5.	गोवा	0.50	0.50	0.00	0.36	0.45	0.00	0.50	3.34	9.29	0.25
6.	गुजरात	28.00	18.57	31.50	24.00	10.69	50.00	17.50	60.07	154.77	9.00
7.	हरियाणा	7.00	30.50	0.00	5.75	0.52	0.00	7.00	5.54	103.06	3.50
8.	हिमाचल प्रदेश	7.00	0.58	0.00	7.00	2.18	0.00	8.86	6.53	126.70	3.50
9.	जम्मू व कश्मीर	16.50	1.37	0.00	4.50	0.76	0.00	0.50	4.29	130.00	2.94
10.	कर्नाटक	100.00	37.20	45.00	100.00	3.29	93.00	96.00	34.86	98.33	50.00
11.	केरल	75.00	71.15	28.00	75.00	8.91	216.43	80.00	29.72	199.05	38.00
12.	मध्य प्रदेश	130.00	69.00	175.51	125.00	55.39	456.70	117.00	99.81	816.74	59.50
13.	महाराष्ट्र	28.00	41.5	127.00	30.00	18.95	193.00	20.25	76.86	252.11	10.00
14.	मणिपुर	1.50	1.04	3.00	3.50	0.43	0.00	3.50	2.78	65.17	1.74
15.	मेघालय	5.00	0.07	0.00	5.00	0.51	0.00	8.00	2.53	46.45	4.50
16.	मिजोरम	5.00	0.76	0.00	13.00	0.74	0.00	12.00	2.21	27.87	5.00
17.	नागालैंड	3.00	0.79	3.50	3.00	0.64	7.00	3.75	2.43	41.16	1.50
18.	उड़ीसा	132.00	35.75	90.50	125.00	109.74	211.72	125.00	98.20	107.44	56.00
19.	पंजाब	8.00	0.18	0.00	10.00	1.53	0.00	21.00	4.58	554.99	10.00
20.	राजस्थान	29.00	28.96	0.00	29.00	6.40	0.00	29.00	29.20	200.90	14.50
21.	सिक्किम	16.00	0.91	0.00	18.00	1.35	21.15	20.00	4.06	25.35	10.00
22.	तमिलनाडु	120.00	92.72	182.00	120.00	57.19	174.00	120.00	71.36	155.00	57.00
23.	त्रिपुरा	18.00	0.16	0.00	12.00	1.47	0.00	20.0	4.41	27.80	9.50
24.	उत्तर प्रदेश	179.00	185.88	35.00	190.00	77.13	214.73	177.00	177.78	571.36	88.50
25.	पश्चिम बंगाल	80.00	55.53	304.96	80.00	38.26	538.74	75.00	101.78	683.77	49.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	7.50	0.07	0.00	6.50	0.46	0.00	6.50	1.88	4.42	4.50
27.	चण्डीगढ़	0.50	0.58	0.00	0.50	3.35	0.00	0.50	10.05	9.29	0.50
28.	दादरा व नगर हवेली	0.50	0.06	0.00	0.50	1.01	10.18	0.50	3.04	9.29	0.50
29	दमण व द्वीव	1.00	0.59	0.00	2.50	0.40	0.00	2.00	1.78	23.65	2.00
30.	दिल्ली	0.50	0.64	0.00	0.50	2.97	0.00	0.39	8.92	14.36	0.25
31.	लक्षद्वीप	1.00	0.03	0.00	1.00	1.15	0.00	1.00	3.44	0.00	2.00
32.	पांडिचेरी	2.00	6.84	0.0	0.95	2.99	0.00	2.10	8.97	9.29	0.75
	योग		3338.02			5094.06			8910.27		662.48

परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ

*345. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 नवम्बर, 1995 को नई दिल्ली में जल विशेषज्ञों का एक द्विदिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई तथा क्या-क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या इस अधिवेशन में चर्चा किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने किसी परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की थी; जो वर्ष 1994 से कार्यरत है; और

(घ) यदि हां, तो यह कहां तक सफल रहा है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) जी हां।

(ख) विचार-विमर्श का विषय यूएनडीपी – जीईएफ पहाड़ी क्षेत्र जल विद्युत परियोजना था।

प्रदर्शन परियोजनाओं के चयन मापदण्डों, कार्यान्वयन रूपात्मकता, लोगों की भागीदारी से संबंधित मुद्दों और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के बारे में सिफारिशें की गई थीं।

(ग) जी हां।

(घ) यह संतोषजनक ढ़ग से कार्य कर रहा है।

जापान से सहायता

*344. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल प्रणाली में सुधार करने के लिए जापान सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) जापान सरकार के साथ जिन विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग किया जाना है वे हैं– सिगनल एवं दूरसंचार, उपनगरीय रेल सेवाएं, उच्च गति की अन्तर्नगरीय गाड़ियां, उपस्कर की विश्वसनीयता, तकनीकी ग्रेडोन्नयन आदि सहित गाड़ी परिचालन में संरक्षा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंखों को क्षति

*345. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगातार टेलीविजन कार्यक्रम देखते रहने से आंखों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के बारे में भारत अथवा विदेश में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार अधिक समय तक टेलीविजन देखते रहने से आंखों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के बारे में जनता को जागरूक बनाने हेतु इस अध्ययन के परिणामों का प्रचार करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले) : (क) लगातार टेलीविजन कार्यक्रम देखते रहने से आखों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के बारे में भारत अथवा विदेश में कोई वैज्ञानिक अध्ययन की सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तरिक्ष-सम्मेलन

*346. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतरिक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा (एशिया एवं प्रशान्त महासागर) केन्द्र (यू०एन० सी०एस०एस०टी०ई०) (ए एंड पी) के सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजन किया गया था।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) एशिया और प्रशान्त महासागर क्षेत्र में अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र (संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध) की स्थापना के लिए अक्तूबर 31 से नवम्बर 2, 1995 तक नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधिमंडल ने इस केन्द्र को अस्तित्व में लाने के लिए हस्ताक्षर किए जाने वाले करार में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया था। इन प्रस्तावों पर सदस्य-राष्ट्रों, जिन्होंने अन्तिम करार पर हस्ताक्षर किए थे, द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) केन्द्र की प्रबन्ध परिषद्, जिसमें हस्ताक्षरकर्ता देशों का प्रतिनिधित्व है, ने सिफारिश की है कि इस क्षेत्र के देशों के लाभ के लिए केन्द्र के शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों, विशेष रूप में, उपग्रह सुदूर संवेदन, उपग्रह संचार, उपग्रह मौसमविज्ञान और अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों को यथाशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

(घ) सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में केन्द्र के तत्वावधान में शैक्षित कार्यक्रमों को भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून, अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद, और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है।

डाटावेयर आवासीय प्रौद्योगिकी

*347. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग का जर्मनी की 'सॉफ्टवेयर ए०जी०' के सहयोग से देश में डाटावेयर आवासीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) प्रयोक्ताओं के लिए डाटावेयर आवासीय प्रौद्योगिकी कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रोफेसर पी०जे० कुरियन): (क) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार के अन्तर्गत पुर्ण स्थित उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) नामक एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था समानान्तर सुपर कम्प्यूटरों का प्रयोग, करते हुए डेटा भण्डारण अनुप्रयोग पर कार्य कर रही है। सी-डैक द्वारा विकसित हार्डवेयर प्लेटफार्मों पर अपने सॉफ्टवेयर साधनों का प्रयोग करने के लिए सी-डैक ने जर्मनी के सॉफ्टवेयर एजी से पेशकश की है।

(ख) सी-डैक ने परम श्रृंखला के समानान्तर सुपर कम्प्यूटरों का विकास किया है तथा इन मशीनों पर वैज्ञानिक और इंजीनियरी अनुप्रयोगों का प्रदर्शन किया है। सी-डैक की इन मशीनों का प्रयोग बड़े व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए भी करने की योजना हैं और डेटा भण्डारण ऐसा ही एक अनुप्रयोग है। इसलिए सी-डैक ने अपने ही संगठन में डेटा भण्डारण प्रौद्योगिकी विकसित करने की प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की है।

(ग) सी-डैक इस प्रौद्योगिकी के लिए अपेक्षित विशिष्टियों तथा इसके अनुप्रयोग को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्रवाई कर रहा है, जो भारत के लिए प्रासंगिक होगा और प्रयोगकर्ताओं के बड़े भाग के लिए लाभदायक होगा। सॉफ्टवेयर एजी ने अपने कुछ सॉफ्टवेयर साधनों से परिचित होने के लिए उन्हें सी-डैक को दिया है।

(घ) सी-डैक की योजना डेटा भण्डारण प्रौद्योगिकी के लिए अपनी अवधारणा के अनुसार प्रोटोटाइप का एक नमूना वर्ष 1996 के अन्त तक प्रदर्शित करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम

*348 **श्री महेश कनोडिया :**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमों के विकास की कोई नई योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या किन्हीं स्थानों का पता लगाया गया है; और

(घ) इन केन्द्रों द्वारा कब तक कार्य शुरू कर दिये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रस्तावित योजना उपयुक्त स्वैच्छिक ग्रुपों, अनुसंधान एवं विकास या तकनीकी संस्थानों की उपलब्धता के आधार पर स्थानों का चयन तथा छोटे उपक्रमों के विकास के लिए कार्यक्रमों को तैयार करता है। कोई स्थान अभी तक निश्चित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कागज उद्योग

*349 श्री गुमान मल लोढ़ा :
डा० भक्तदीपक सिंह शाक्य :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण कागज उद्योग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में कच्चे माल की कुछ कमी है;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार ने भी कागज के लिये कच्चे माल की आवश्यकता का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए तत्संबंधी क्या अनुमान लगाये गये हैं; और

(च) आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री के० करुणाकरण) : (क) से (ग) देश में काष्ठ आधारित कच्चे माल की कमी है, लेकिन खाई और कृषि अपशिष्टों जैसा गैर-परंपरागत कच्चा माल जिसका प्रयोग कागज व गत्ते के विनिर्माण के लिए भी किया जा रहा है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देश में लगभग 50% कागज और गत्ते का उत्पादन गैर-परंपरागत कच्चे माल के प्रयोग से किया जाता है। वर्ष 1994 में, काष्ठीय लुगदी और रद्दी कागज के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़कर एक अप्रत्याशित स्तर तक पहुंच गए थे। काष्ठीय लुगदी का मूल्य अप्रैल, 1994 के प्रति मी० टन 580 अमरीकी डालर से बढ़कर जनवरी, 1995 में प्रति मी० टन 1200 अमरीकी डालर हो गया था, जबकि रद्दी कागज का मूल्य अप्रैल, 1994 के 70 अमरीकी डालर प्रति मी० टन से बढ़कर जनवरी, 1995 में प्रति मी० टन 300 अमरीकी डालर हो गया था। तथापि, हाल के इनके मूल्यों में मामूली गिरावट की प्रवृत्ति रही है। कास्टिक सोडा, कोयला, बिजली आदि जैसी मूल्य सामग्रियों के अतिरिक्त निविष्टियों की लागत में भी वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। कागज और गत्ता उद्योग को 1995 के अंत तक लगभग 81 लाख टन विभिन्न दर्जे के कच्चे माल की आवश्यकता है जिसमें 6 लाख टन आयातित लुगदी/रद्दी कागज शामिल है।

(च) सरकार ने कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(1) काष्ठ लुगदी तथा रद्दी कागज का आयात बिना किसी आयात लाइसेंस के प्रतिबंध के 10% आयात शुल्क की कम दर पर करने की अनुमति दी गई है।

(2) गैर परंपरागत कच्चे मालों से बनी न्यूनतम 75% लुगदी पर आधारित कागज की इकाइयां स्थापनास्थल संबंधी नीति के शर्तों के अधीन, अनिवार्य लाइसेंसीकरण से मुक्त हैं।

(3) चावल तथा गेहूं का पुआल, जुट, मेस्टा अथवा खोई व अन्य गैर परंपरागत कच्चे माल से बनी लुगदी जिसका भार 75% से कम न हो, से बनाया गया लिखाई व छपाई का कागज तथा अलेपित शिल्प कागज को मूल्य अनुसार 5% कम उत्पाद शुल्क की दर के दायरे में रखा गया है।

(4) कम से कम 50% तक कृषि अपशिष्ट और अन्य गैर परंपरागत कच्चे माल का इस्तेमाल करने वाली कागज मिलों पर रियायती दर पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

(5) सामान्य प्रकार के और विशेष प्रकार के कागज के विनिर्माण के लिए वैकल्पिक कच्चे माल के रूप में जूट और जूट की लुगदी का विकास करने के लिए परियोजनाएं आरंभ की जा रही हैं।

लघु पन-बिजली परियोजनाएं

*350. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में लघु पन बिजली परियोजनाएं स्थापित करने की व्यापक संभावनाएं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई व्यापक सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) से (घ) जी हां। एक प्रारंभिक अनुमान के अनुसार देश में 15 मेवा० क्षमता तक की लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए कुल लगभग 10,000 मेवा० की संभाव्यता का पता चला है।

विभिन्न राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर मंत्रालय द्वारा लगभग 1200 मेवा० समग्र संभाव्यता की 3 मेवा० क्षमता वाले 1300 लघु पन बिजली स्थलों से अधिक का एक डाटा बेस संकलित किया गया है। स्थलों और क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

3 मेवा० क्षमता तक की लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए पहचान किए गए स्थलों का राज्यवार ब्यौरा

क्र०सं०	राज्य	3 मेवा० क्षमता तक के पहचान किए गए स्थल	
		संख्या	क्षमता मेवा०
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	23	30.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	190	112.52
3.	आसाम	10	15.19
4.	बिहार	110	133.52
5.	गोवा	1	1.50

1	2	3	4
6.	गुजरात	37	26.78
7.	हरियाणा	14	14.30
8.	हिमाचल प्रदेश	145	167.08
9.	जम्मू और कश्मीर	27	29.64
10.	कर्नाटक	28	30.15
11.	केरल	140	156.19
12.	मध्य प्रदेश	41	38.46
13.	महाराष्ट्र	122	68.17
14.	मणिपुर	3	1.70
15.	मेघालय	36	7.76
16.	मिजोरम	23	14.68
17.	नागालैंड़	6	3.26
18.	उड़ीसा	48	28.25
19.	पंजाब	112	84.12
20.	राजस्थान	24	17.34
21.	सिक्किम	3	6.50
22.	तमिलनाडु	15	25.15
23.	त्रिपुरा	5	3.35
24.	उत्तर प्रदेश	111	81.80
25.	पश्चिम बंगाल	69	69.28
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	3.00
	कुल :	1344	1170.49

[अनुवाद]

रेल परियोजनायें

*351. **प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी रेल परियोजनाओं की लागत व निर्धारित समय सीमा में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार के क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) इस समय चल रही 20 करोड़ रुपए प्रत्येक से अधिक की लागत वाली 55 परियोजनाओं पर अधिक समय/अधिक लागत हो जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) इन परियोजनाओं में संसाधनों की तंगी, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं, संविदात्मक समस्याओं और भूमि अधिग्रहण में विलम्ब आदि जैसे कारणों से विलम्ब हुआ है।

(ग) अलग-अलग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली अन्य बाधाओं को दूर करने तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं;

[हिन्दी]

ज्वार मापन केन्द्र

*352. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र की तलहटी में परिवर्तनों को मापने के लिए ज्वार मापन केन्द्र स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। सरकार द्वारा औसत समुद्र स्तर में विभिन्नताओं के मूल्यांकन हेतु ज्वारों को नापने के लिए तट के साथ-साथ 14 स्थानों पर आधुनिक ज्वार प्रमापियों की स्थापना के लिए एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। ये 14 केन्द्र हैं : पोरबन्दर, बम्बई, गोवा, कोचीन, टूटीकोरिन, मद्रास, मछलीपत्तनम विशाखापत्तनम, पारादीप, कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर, नॉनकोरी, कावारत्ती और मिनिकॉय। इनमें से गोवा स्थित केन्द्र की स्थापना पहले ही वर्ष 1993 में की जा चुकी है और अन्य केन्द्रों का अधिष्ठापन मार्च, 1997 से पहले किए जाने की आशा है। इन केन्द्रों को भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून स्थित राष्ट्रीय ज्वारीय आकंड़ा केन्द्र से जोड़ा जाएगा। औसत समुद्र स्तर और उसकी विभिन्नताओं को निर्धारित करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ज्वार-आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) स्थापित किए जा चुके और स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सभी ज्वार प्रमापी देश के विभिन्न पत्तनों में है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

माल की ढुलाई

*353. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे और रेलवे बोर्ड में माल की ढुलाई पर गिरानी रखने के लिए एक पृथक सेल की स्थापना की गई है;

(ख) क्या रेलवे में यात्री यातायात एवं माल ढुलाई व्यवस्था को अलग करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) माल ढुलाई व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कैदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां, माल भाड़ा परिचालन के कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं की निगरानी करने के विशेष कक्षों की स्थापना की गई है जो कि एक परिचालनिक प्रक्रिया है और इसका स्वरूप अस्थाई होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) माल भाड़ा संचलन में सुधार करने के वास्ते उच्च अश्व शक्ति वाले बिजली और डीजल रेल इंजन चलाने, महत्वपूर्ण मार्गों का विद्युतीकरण करने, माल डिब्बों की खरीद करने आदि जैसे महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं; इसके अलावा, चल स्टाक का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गहन और कड़ी निगरानी की जाती है;

[हिन्दी]

हॉरमोन

*354. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हॉरमोन असन्तुलन के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों की संख्या में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार हॉरमोन असन्तुलन के कारण उत्पन्न हुए रोगों के निदान हेतु कोई योजना तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) से (ग) ऐसी कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि हार्मोन से जुड़े रोगों में वृद्धि हुई है। हार्मोन असंतुलन अर्थात मधुमेह तथा आयोडीन अल्पता विकार द्वारा उत्पन्न हुए दो प्रमुख पोषण संबंधी विकारों के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वयनाधीन हैं।

[अनुवाद]

लघु क्षेत्र के उद्योगों की निर्यात क्षमता विषयक गोष्ठी

*355. **श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग आयोग द्वारा 21 नवम्बर, 1995 को दिल्ली में लघु क्षेत्र के उद्योगों की निर्यात-क्षमता को प्रकाश में लाने हेतु एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री के० करुणाकरन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन०एस०आई०सी०) ने 21 नवम्बर, 1995 को लघु क्षेत्र में एक निर्यात विकास गोष्ठी का आयोजन किया था। गोष्ठी के दौरान निर्यात विपणन, निर्यात क्षेत्र में महिलाओं के लिए अवसर, विशेष क्षेत्रों को पता लगाना और निर्यात के लिए पैकेज तैयार करना आदि जैसे विभिन्न निर्यात विकास के पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

लघु क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव व्यक्त किये गये :–

(1) लघु क्षेत्र में भारतीय तथा विदेशी कंपनियों के बीच उद्यम-प्रति-उद्यम सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा सकते हैं। विभिन्न देशों में उपलब्ध विशेषज्ञता को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए इकट्ठा किया जा सकता है।

(2) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड निर्यात क्षमता और निर्यात कार्य विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु तकनीकी गोष्ठियां का आयोजन कर सकता है।

(3) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड लघु उद्योगों के उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए विशिष्ट आयोजनों/प्रदर्शनियों में भाग ले सकता है।

(4) प्रौद्योगिकी सूचना संवर्धन प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(5) निर्यात गतिविधियों में लगी महिला उद्यमियों के लिए विशेष वित्तीयन सुविधाएं देने के बारे में विचार किया जा सकता है।

''एड्स'' का फैलना

*356. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''एड्स'' रोग के फैलने के कारण क्षयरोग फिर से तेजी से फैलने लगा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) यह सच है कि एड्स के रोगियों की संख्या बढ़ने से क्षयरोग जैसे समयानुवर्ती संक्रमण बढ़ेंगे।

(ख) देश में एड्स/एच०आई०वी० की रोकथाम और नियंत्रण हेतु एक व्यापक योजना शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में इस समय कार्यान्वित की जा रही है। सरकार ने हाल में क्षयरोग कार्यक्रम को नया रूप दिया है और बहुऔषध रसायन चिकित्सा का इस्तेमाल करके क्षयरोग के नियंत्रण हेतु संशोधित कार्य नीति शुरू की गई है।

[हिन्दी]

रैबीज के लिए टीके

*357. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में रैबीज के कारण कितने व्यक्तियों के मरने का समाचार है;

(ख) क्या बाजार में रैबीज प्रतिरोधी टीकों का नितांत अभाव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य की मांग को पूरा करने में असमर्थ है; और

(ङ) यदि हां, तो मद्रास एवं हिमाचल प्रदेश में रैबीज टीके का वास्तविक उत्पादन कितना होता है और गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को उक्त टीके की कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) ऐसी किसी कमी की सूचना नहीं मिली है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय स्वास्थ्य असूचना ब्यूरो को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासूचित कुत्ते द्वारा काटने जिसमें रैबीज शामिल है, के कारण हुई मौतें

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मौतों की सूचित संख्या	
		1993	1994
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	60	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	4	. .
4.	बिहार		. .
5.	गोवा	0	1
6.	गुजरात	14	6
7.	हरियाणा	1	0
8.	हिमाचल प्रदेश	2	0
9.	जम्मू व कश्मीर	0	1
10.	कर्नाटक	34	52
11.	मध्य प्रदेश	10	13
12.	महाराष्ट्र	143	135
13.	मणिपुर	0	0
14.	मेघालय	0	0
15.	मिजोरम	0	0
16.	नागालैंड	0	0
17.	उड़ीसा	15	17
18.	पंजाब	0	0
19.	राजस्थान	9	3
20.	सिक्किम	0	. .
21.	तमिलनाडु	1	0
22.	त्रिपुरा	3	3
23.	उत्तर प्रदेश	109	436
24.	पश्चिम बंगाल	263	122
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0
26.	चंडीगढ़		. .
27.	दादरा व नागर हवेली	0	0
28.	दमन व दीव	0	0
29.	केरल	20	21
30.	दिल्ली	18	2
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	8	5
	कुल	714	848

. . आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

परिवहन राजसहायता

*358. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा मांगी गई परिवहन राजसहायता का ब्यौरा क्या है और उन्हें अक्तूबर, 1995 तक कितनी-कितनी राजसहायता प्रदान की गयी है;

(ख) क्या अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से इस क्षेत्र के प्रौद्योगिक विकास के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और औद्योगिक विकास का संतुलन बनाये रखने के लिए निवेशकों को आकृष्ट करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री के० करुणाकरण) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा अक्तूबर, 1995 तक की अवधि में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए परिवहन राज-सहायता दावों की प्रतिपूर्ति संबंधी विवरण।

(रुपये लाख में पूर्णांकित)

क्र० सं०	राज्य का नाम	92-93	93-94	94-95	95-96 (अक्तूबर, 1995 तक)
1.	असम	643.14	980.05	2217.90	—
2.	मणिपुर	64.14	58.87	128.70	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	47.66	—
4.	मेघालय	7.00	136.21	250.10	—
5.	नागालैंड	—	145.95	67.80	—
6.	मिजोरम	26.00	322.48	272.32	—
7.	त्रिपुरा	43.92	23.64	132.99	—
8.	सिक्किम	55.55	—	—	—

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं चालू हैं :–

परिवहन राजसहायता योजना पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं को दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा 1971 से केन्द्रीय परिवहन राजसहायता योजना चलाई गई है। इस योजना को 31.3.2000 तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत, संबंधित एकक तथा निर्धारित रेल शीर्षों/बन्दरगाहों को तथा वहां से भेजे गये कच्चे माल/तैयार माल की परिवहन लागत पर 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की राजसहायता दी जाती है। इस रुपये की राशि वितरित की गई हैं जिसमें से पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा 109.32 करोड़ रुपया है।

विकास केन्द्र योजना पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एक प्रमुख कारण है। इस दिशा में, सरकार का 71 औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ऐसे प्रत्येक केन्द्र की स्थापना 25 से 30 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी जिनमें बिजली, दूरसंचार पानी, बैंकिंग आदि जैसी बुनियादी अवस्थापनापरक सुविधाओं का प्रावधान होगा। इनमें से 10 विकास केन्द्र पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। (सूची विवरण में संलग्न है)।

एकीकृत अवस्थापनापरक विकास योजना सरकार का आठवीं योजना-वधि के दौरान एकीकृत अवस्थापनापरक विकास योजना के तहत विशेषतया ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों ने लघु उद्योगों के लिए 50 केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव है। इन केन्द्रों की भूमि/विकसित स्थल, सड़क, बिजली वितरण नेटवर्क, जल निकासी तथा प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, प्रौद्योगिकीय सहायता सेवा आदि मुहैया की जायेगी। इस योजना के तहत, सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए अपने प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।

राजकोषीय प्रोत्साहन : देश के अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एककों को विशेष आयकर छूट मंजूर की गई है। इस प्रयोजन के लिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

पूर्वोत्तर विकास बैंक : पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तीव्र औद्योगिक विकास करने की दृष्टि से उक्त क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमों तथा अवस्थापनापरक परियोजनाओं का सृजन करने, विस्तार तथा आधुनिकीकरण हेतु धन उपलब्ध कराने के लिए एक नया पूर्वोत्तर विकास बैंक स्थापित किया जा रहा है।

राज्यों द्वारा प्रोत्साहन : केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये प्रोत्साहनों के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी काफी प्रोत्साहन दिये गये हैं जैसे विद्युत-शुल्क, जल प्रभार, भूमि विकास पर व्यय में छूट तथा बिक्री कर छूट आदि।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास केन्द्रों के राज्यवार स्थापना स्थल

क्र०सं०	राज्य का नाम	केन्द्र संख्या
1.	असम (क) चोरीद्वार (ख) बालीजाना (ग) सोनपुरा	3
2.	अरुणाचल प्रदेश (क) निकलोक नूरलंग	1
3.	मणिपुर (क) कांगलेटोंगबी	1
4.	मेघालय (क) मेंदीपथर	1
5.	मिजोरम (क) लुआंगमुजल	1
6.	नागालैंड (क) दिमापुर	1
7.	त्रिपुरा (क) उत्तर चम्पापुरा	1
8.	सिक्किम (क) रांगपो	1

फ्लुरोसिस

*359. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फ्लुरोसिस नियंत्रण सेल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पन्द्रह राज्यों में लोग अत्याधिक पर्यावरणीय फ्लोराइड से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पर्यावरण को फ्लोराइड मुक्त करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 15 राज्यों के लगभग 150 जिले भू-जल में अत्यधिक फ्लोराइड होने से प्रभावित हैं जिसके कारण फ्लोरोसिस होता है।

(ग) राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए "फ्लोरोसिस नियंत्रण" संबंधी उप-मिशन के अंतर्गत स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति तथा पानी को फ्लोराइड मुक्त करने के संयंत्र लगाने पर बल दिया गया है।

जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक कार्यक्रम

*360. **कुमारी सुशीला तिरिया :**
श्री गुरूदास कामत :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के लिए इस वर्ष जनवरी में की गई औद्योगिक कार्यक्रम संबंधी घोषणा को अब तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम को लागू करने और घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के निगमों को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री के० करुणाकरण) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा जम्मू तथा कश्मीर के लिए इस वर्ष जनवरी में घोषित किया गया कार्यक्रम लागू कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :–

(1) प्रोत्साहन पैकेज के तहत अब तक 146.69 लाख रुपये प्रोत्साहन के तौर पर संवितरित किये गये हैं।

(2) 37 बड़े तथा मझौले एककों को 36 एकड़ भूमि आवंटित की गई है जिसमें संभावित निवेश 204.80 करोड़ रुपये है।

(3) जनवरी, 1995 से 336 लघु एककों में भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनरी में 1082.97 लाख रुपये निवेश किये गये हैं।

(4) चालू वर्ष अर्थात् 1995-96 के दौरान रुग्ण एककों के पुनरोद्धार हेतु। करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। बीमार एककों के पुनर्वास के लिए वित्तीय संस्थाओं से संपर्क स्थापित किया गया है। बैंकों से लगातार पारस्परिक संपर्क रखा जा रहा है। अब तक पुनर्वास के लिए 12 एककों की पहचान की गई है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा श्रीनगर में घड़ी फैक्टरी के पुनरोद्धार के लिए एक योजना तैयार की गई है। इस इकाई के पुनरोद्धार में अब तक दर्ज की गई प्रगति इस प्रकार है :

(1) घड़ी फैक्टरी के कार्य कलापों में विशिष्ट रूप से सुरक्षा की दृष्टि से, समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के मंडल आयुक्त स्तर के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

(2) फैक्टरी के अंदर मशीनों के रख-रखाव के कार्य को यथासंभव उपलब्ध संसाधनों के साथ शुरू किया गया है।

(3) एच०एम०टी० की अन्य इकाइयों में कुछ अधिशेष तथा बेकार पड़ी मशीनों की, उन्हें ठीक करके श्रीनगर स्थित इकाई में हस्तांतरित करने के लिए पहचान की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में जलापूर्ति

3532. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान जल आपूर्ति और निकासी प्रणाली में सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार के माध्यम से कोई परियोजना विश्व बैंक के अनुमोदन हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल आपूर्ति और विकास प्रणाली बाबत वित्तीय सहायता लेने के लिए इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मतदाता सूची

3533. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1994 में कुल कितने मतदाता थे और उनका राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) 1994 की मतदाता सूची में शामिल कितने मतदाताओं को उनके संदिग्ध नागरिकता के आधार पर 1995 की मतदाता सूची से उन्हें निकाल दिया गया है;

(ग) उक्त आधार पर निकाले गए कितने मतदाताओं ने अपना नाम पुनः मतदाता सूची में शामिल करने हेतु आवेदन किए हैं;

(घ) बहुपरांत ऐसे कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं;

(ङ) 30 सितंबर, 1995 तक ऐसे कितने आवेदकों के आवेदन राज्यवार लंबित पड़े हैं;

(च) क्या चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों एवं क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारियों को मुबंई मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम निकाल

जाने संबंधी सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए कहा है; और

(छ) यदि हां, तो अब तक कितने मामलों की समीक्षा की गई है एवं उक्त समीक्षा का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(च) जी हां।

विवरण

देश में 1994 में मतदाताओं की राज्यवार ब्यौरे सहित कुल संख्या

1.	आंध्र प्रदेश	4,47,33,916
2.	अरुणाचल प्रदेश	5,58,233
3.	असम	1,22,69,696
4.	बिहार	5,79,63,416
5.	गोवा	8,07,970
6.	गुजरात	2,67,04,144
7.	हरियाणा	1,08,48,232
8.	हिमाचल प्रदेश	33,08,118
9.	जम्मू- कश्मीर	पुनरीक्षित नहीं
10.	कर्नाटक	3,07,67,658
11.	केरल	2,00,58,322
12.	मध्य प्रदेश	4,09,85,214
13.	महाराष्ट्र	5,12,64,995
14.	मणिपुर	12,85,543
15.	मेघालय	10,53,170
16.	मिजोरम	4,05,021
17.	नागालैंड	8,21,252
18.	उड़ीसा	2,12,56,382
19.	पंजाब	1,38,40,929
20.	राजस्थान	2,87,35,243
21.	सिक्किम	2,17,446
22.	तमिलनाडु	4,04,93,541
23.	त्रिपुरा	15,77,903
24.	उत्तर प्रदेश	9,17,17,793
25.	पश्चिमी बंगाल	4,31,63,003
26.	अडंमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,77,824
27.	चंडीगढ़	4,01,830
28.	दादरा और नगर हवेली	83,730
29.	दमन और दीव	64,544
30.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	66,81,000
31.	लक्षद्वीप	33,107
32.	पांडिचेरी	5,96,271
	सकल योग	55,28,75,446

जम्मू-कश्मीर :—अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.1995 के संदर्भ में पुनरीक्षित की गई नामावली के अनुसार 44,07,488 मतदाता।

एक्जहास्टस पंखे

3534. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बिजली के पंखे के मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि अदा करने पर एक अतिरिक्त बिजली का पंखा प्राप्त करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि अदा करने पर एक्जहास्ट पंखा प्रदान करने के प्रावधान न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पंखे के मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि अदा करने पर तत्काल एक्जहास्ट पंखे प्रदान करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को निर्देश देने और गैर-कानूनी तरीके से ऐसे अनुरोधों को निरस्त करने की जांच करवाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या दिल्ली में टाइप चार के आवासों के निवासियों को अनुरोध करने पर शेड प्रदान नहीं किये जा रहें है;

(ड) क्या दिल्ली में टाइप चार आवासों में शेड के लिए मना करने के क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे शेडों को तत्काल प्रदान करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को, निर्देश देने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर० के० धवन) : (क) जी, हां।

(ख) एक्जहास्ट फैन और सीलिंग फैन दोनो समान दर पर नहीं दिए जाते हैं। एक्जहास्ट फैन के लिए संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) गिराए जाने वाले काफी पुराने क्वार्टरों को छोड़कर, दिल्ली में टाइप-IV के सभी क्वार्टरों में छज्जे (सन शेड्स) लगा दिये गये हैं। ये छज्जे (सन शेड्स) सामान्यतः खिड़कियों पर लगाए जाते हैं और निर्माण के दौरान वास्तुकीय डिजाइन में शामिल होते हैं। इन्हें बाद में अनुरोध कर नहीं लगाया जा सकता। आर ओ सी सन शेड्स, निर्माण का एक आतंरिक हिस्सा

है और क्वार्टरों की दीवारों के निर्माण के दौरान लिलेलस सहित कंक्रीट में बनाए जाते हैं। इनकी व्यवस्था बाद में निजी अनुरोधों पर ढांचात्मक अड़चनों की वजह से नहीं की जा सकती।

मुख्य न्यायाधीशों की कांफ्रेंस

3535. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षेश के अंतर्गत इस क्षेत्र के मुख्य न्यायाधीशों की एक पृथक् कांफ्रेंस स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कांफ्रेंस का विचार इस क्षेत्र के देशों में उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक और अन्य विवादों के संबंध में संकल्प तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देशों के विधिक समुदायों के व्यक्तियों के लिए "दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन विधि" के रूप में ज्ञात एक स्वैच्छिक संगम 1991 में स्थापित किया गया है। इसके उद्देश्यों के अंतर्गत घनिष्ट सहयोग के लिए क्षेत्र के भीतर विधिक समुदायों को एकजुट करना और विकास के लिए सामाजिक परिवर्तन हेतु स्रोत के रूप में विकास करना भी है। इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन द्वारा जुलाई, 1994 में विधिक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मान्यता दी गई थी। तथापि, 31 मार्च, से 2 अप्रैल, 1995 तक काठमांडु में हुए चौथे "दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन विधि" सम्मेलन के दौरान, नेपाल के मुख्य न्यायमूर्ति की पहल पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देशों के मुख्य न्यायमूर्तियों का एक सम्मेलन हुआ था।

चंडीगढ़ में पानी की आवश्यकता

3536. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में पानी की भावी आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संघ राज्य क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ाने संबंधी चौथा चरण शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, वर्ष 2020 में 120 एमजीडी मिलियन गैलन प्रति दिन) जल की आवश्यकता होगी।

(ख) चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा जल आपूर्ति के चरण-IV के संवर्धन हेतु 51.38 करोड़ रुपये की धनराशि के लागत अनुमान तैयार किए गए हैं। इस परियोजना की जांच की गई है और कतिपय अतिरिक्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण भेजने का चण्डीगढ़ प्रशासन से आग्रह किया है, जिनकी अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

कश्मीर का मुद्दा

3537. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय संविधान की परिधि के अंतर्गत कश्मीर मुद्दे का समाधान खोजने के लिए आतंकवादियों या राजनीतिक दलों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) हाल ही के महीनो में, जम्मू और कश्मीर के लिए स्वायत्तता जैसे मुद्दों पर विभिन्न व्यक्तियों और ग्रुपों द्वारा अलग-अलग विचार और सुझाव दिए गए। प्रधान मंत्री द्वारा 4 नवम्बर, 1995 को एक वक्तव्य दिया गया था जिसमें जम्मू एवं कश्मीर के लोगों से, आतंकवादियों के खिलाफ दृढ़ता से डट जाने और पूरी तरह शांति-बहाली में मदद करने एवं अपनी खुद की चुनी हुई सरकार बनाने का अनुरोध किया गया था। अनुच्छेद-370 के अधीन राज्य का विशेष दर्जा बनाए रखने की सरकार की वचनबद्धता दुहराई गई थी और यह कहा गया था कि सरकार का प्रयास राज्य के सभी तीनों क्षेत्रों की जनता की आकांक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए संविधान के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य की स्वायत्तता को और मजबूती प्रदान करने का होगा। 1975 में किए गए समझौते के सम्पूर्णतम कार्यान्वयन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दुहराया गया था और आगे यह भी कहा गया था कि यदि राज्य विधानमंडल का इस उद्देश्य हेतु राज्य के संविधान में संशोधन के लिए कार्रवाई करे तो सरकार को "वजीर-ए-आजम" और "सदर-ए-रियासत" के नामकरण बहाल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। राज्य में विकास के मुद्दों पर सरकार द्वारा दिए गए बल और केन्द्रित ध्यान और राज्य की अर्थ-व्यवस्था को समयबद्ध रूप से पुर्नजीवित करने की आवश्यकता तथा राज्य के लिए और वित्तीय एवं विकास लाभ तैयार करने के लिए सरकार की वचनबद्धता पर भी वक्तव्य में प्रकाश डाला गया था।

उपर्युक्त उल्लिखित वक्तव्य पर लोगों के विभिन्न वर्गों, राजनैतिक ग्रुपों और समाचार-जगत में विविधि प्रतिक्रियाएं हुई हैं। सरकार लगातार यह कहती रही है कि राज्य में एक माहौल बनाने और सुधरी हुई स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से वह विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ बात-चीत एवं विचार-विमर्श के लिए हमेशा तत्पर है जिससे कि शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो सके तथा शीघ्रातिशीघ्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाकर एक जनतांत्रिक एवं चुनी हुई सरकार लाई जा सके। ऐसी बात-चीत और विचार-विमर्श में स्वायत्तता के सवाल से जुड़े मुद्दे भी शामिल किए जा सकते हैं। जैसाकि प्रधानमंत्री के वक्तव्य में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। सरकार इस दिशा में चलती रहेगी और उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में अपने प्रयास जारी रखेगी और इस बारे में इन प्रयासों में कोई ढील नहीं आएगी।

केरल में जलापूर्ति योजना

3538. **श्री बाइल जॉन अंजलोज** : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने विदेशी सहायता से शरया लाई तालुक तथा अलेप्पी जिले में जलापूर्ति योजना के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के वर्तमान चरण का ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) और (ख) जी, हां। केरल जल प्राधिकरण ने 6925 लाख रुपये के अनुमानित लागत के "चेरापला कस्बा और 19 आसपास के गांवों के लिए व्यापक जल आपूर्ति स्कीम" नामक परियोजना प्रस्ताव भेजे थे।

(ग) इस परियोजना का मई, 1995 में तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन कर दिया गया था और वित्तीय सहायता के लिए ओ ई सी एफ के समक्ष पेश करने हेतु आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया है।

रेलवे लाइन

3539. श्री द्वारकानाथ दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी ने असम में लाला से कटकनाल होते हुए भरबी तक रेलवे लाइन के निर्माण के कारण रामनाथपुर के विस्थापित किये गये ग्रामीणों को मुआवजे का भुगतान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) मुआवजे के रूप में रामनाथपुर के प्रभावित ग्रामिणों को भुगतान करने के लिए असम सरकार को रेलवे प्राधिकरण द्वारा 2.02.844/- रुपए की राशि पहले ही दी जा चुकी है।

क्लाइमेट मॉडल

3540. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक भारतीय अनुसंधान दल द्वारा विकसित जलवायु संबंधी नए सिमूलेशन मॉडल का अध्ययन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मॉडल के बारे में विभाग की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) भारत, जर्मनी तथा अन्य स्थानों में विभिन्न अनुसंधान दल, हाल में विकसित किए गए गलोबल सिमूलेशन मॉडलों की सहायता से जलवायु में परिवर्तनीयता का अध्ययन कर रहे हैं। ये मॉडल प्रकृति तथा मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइआक्साइड एवं बिखरे हुए पदार्थ को समाहित कर लेते हैं। इन मॉडलों से अगली शताब्दी के मध्य में जलवायु में परिवर्तन कर डालने वाली वायुमंडलीय गर्मी का कुछ डिग्री तक पता चलने की उम्मीद है। तथापि, इन मडलों की धारणाओं में अनेक अनिश्चितताएं हैं। इसलिए मॉडल के जलवायु परिवर्तन संबंधी परिणामों पर सीमित विश्वास है।

आसनसोल-बर्दवान खण्ड

3541. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल-बर्दवान खण्ड की पूर्ण क्षमता के उपयोग हेतु क्या योजना और कार्यक्रम हैं;

(ख) इस खण्ड पर सभी पैसेंजर रेलगाड़ियों को सही समय पर चलाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या पूर्व रेलवे के आसनसोल-बर्दवान खंड में पुराने रैकों को हटाने हेतु भी कोई कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 1994-95 में बर्धमान-आसनसोल खण्ड पर क्षमता का उपयोग 74.7% था। गाड़ियों की संख्या में और वृद्धि यातायात की प्राप्ति और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ख) आसनसोल-बर्धमान खण्ड पर यात्री गाड़ियों का समयपालन पर्याप्त रूप से संतोषजनक है। तथापि, इस खण्ड पर यात्री गाड़ियों को सही समय पर चलाना सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे की निगरानी, समय समय पर समयपालन अभियान चलाना आदि जैसे सभी कदम उठाए जाते हैं।

(ग) और (घ) इस खण्ड पर परम्परागत रैकों को बदलने के लिए मुख्य लाइन ई०एम०यू० रैकों को उत्तरोत्तर लगाया जा रहा है। वर्तमान समय में, 28 में से 16 यात्री गाड़ियों मुख्य लाइन ई०एम०यू०रैकों द्वारा सेवित हैं।

रक्षा बलों का इस्तेमाल

3542. श्री धर्मभिक्षम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान नागरिक क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कितनी बार रक्षा बलों का इस्तेमाल किया गया;

(ख) क्या विशेषज्ञों ने इस संबंध में कोई सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सेना को जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में आतंकवाद रोधी कार्रवाई करने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयोजन से सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए तैनात किया जाता रहा है। इसी प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए सेना की तैनाती असम राज्य में भी पिछले दो से तीन वर्षों में काफी समय तक के लिए की गई थी। इसके अलावा, इसी प्रयोजन के लिए पिछले दो वर्षों में देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध कराई गई सैनिक सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

	1994	1995
(क) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए	11	—
(ख) अनिवार्य सेवाएं बनाए रखने में सहायता प्रदान करने के लिए	1	1
(ग) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता प्रदान करने के लिए।	23	15

सैन्य प्राधिकारियों का यह विचार है कि सिविल प्राधिकारियों की मदद करने के लिए सेना की कम से कम सहायता ली जानी चाहिए। सरकार इस विचार से सहमत है।

इस प्रकार के कार्यों के लिए सेना की वचनबद्धता को कम करने और उसे अपने मुख्य दायित्वों का निर्वाह करने के प्रयोजन से इस कार्य से मुक्त रखने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स नामक अर्ध सैन्य बल (पी एम एफ) बनाया गया है जो आतंकवाद रोधी कार्रवाई करेगा। युद्ध के दौरान यह बल पिछले क्षेत्रों की सुरक्षा का कार्य संभालेगा।

[हिन्दी]

विदिशा में महामाया एक्सप्रेस का ठहराव

3543. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मध्य रेलवे के विदिशा स्टेशन पर महामाया एक्सप्रेस का ठहराव बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक ठहराव बना दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात का औचित्य न होना।

नई रेलवे लाइन

3544. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नई रेल लाइन बिछाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यात्री सुविधाएं

3545. श्री हसान मोल्लाह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उप नगर सेक्शन के अनेक रेलवे स्टेशनों पर शेड, पेयजल तथा अन्य यात्री सुविधाएं नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) कलकत्ता उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुरूप पीने, के पानी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इन सुविधाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है और यातायात की आवश्यकताओं के आधार पर इनमें और सुधार/विस्तार किया जाता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के डी०डी०ए० फ्लैटों का आवंटन

3546. श्री ललित उरांव : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आवास के आवंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कोटे की क्या प्रतिशतता है; और

(ख) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को आवास के आवंटन का वर्ष्रवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) 25%।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1992-93 से 94-95 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों के श्रेणी-वार निम्नलिखित आबंटन किए हैं :—

वर्ष	एसएफएस	एमआईजी	एलआईजी	जनता
1992-93	74	—	444	545
1993-94	58	301	1413	921
1994-95	155	—	147	1522

उपर्युक्त के अलावा, 407 फ्लैट विस्तारणीय आवास स्कीम 1995 के तहत आवंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

3547. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यूकूच बिहार और गितलदह के बीच रेलपटरी को बड़ी लाइन में बदलने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस लाइन को आगामी वर्ष की कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) अगले वर्ष के निर्माण कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कार्य योजना के पहले चरण में तात्कालिक परिचालनिक/सामरिक महत्व की दृष्टि से अपेक्षित लाइनें शुरू की गई है; 2002-2003 में शुरू होने वाली 10वीं योजना में जब अगले चरण का कार्य शुरू किया जाएगा तब शेष लाइनों के साथ इस लाइन पर भी विचार किया जाएगा।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे

3548. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या प्रधान मंत्री 22 अगस्त, 1995 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2709 के संबंध में दिए गए उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) सूचना इकट्ठी कर ली गई थी और कार्यान्वयन रिपोर्ट लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई है।

हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस

3549. श्री सुखेन्दु खां : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस को जैसलमेर तक बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यातायात की कमी और संसाधनों की तंगी।

"लोकोशेड"

3550. डा० बसंत पथार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज तक विभिन्न रेलवे जोनों में कितने लोकोशेड कार्य कर रहे हैं और उनके नाम क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यमान लोकोशेड जरूरत को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार की योजना नए लोकोशेड बनाने की हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी हां। 4 मीटर लाइन डीज़ल रेल इंजन शेडों का बड़ी लाइन में परिवर्तन, 4 बड़ी लाइन डीज़ल रेल इंजन शेडों का विस्तार और 4 बड़ी लाइन बिजली रेल इंजन शेडों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

विवरण

(क) और (ख) : भाप, डीज़ल और बिजली रेल इंजन शेडों का नाम इस प्रकार हैं :

भाप	डीज़ल	बिजली
1. जोधपुर	1. इटारसी	1. कल्याण
2. इज्जतनगर	2. न्यू कटनी	2. भुसावल
3. मऊ जं०	3. झांसी	3. अजनी
4. थाणे बिहपुर	4. आगरा	4. झांसी
5. समस्तीपुर	5. कल्याण	5. इटारसी
6. दरभंगा	6. कुर्ला	6. आसनसोल
7. सहरसा	7. पुणे	7. मुगल सराय
8. बदरपुर	8. बेलियाघाट	8. गोमोह
9. तिनसुकिया	9. हवड़ा	9. कानपुर
10. मरियानी	10. अंडाल	10. गाज़ियाबाद
11. कुनूर	11. बर्दवान	11. अराकोणम
12. महू	12. पतरातु	12. विजयवाड़ा
13. वांकानेर	13. मुगल सराय (पू०रे०)	13. तालागुडा
14. साबरमती	14. जमालपुर	14. टाटानगर
15. जेतलसर	15. शकूरबस्ती	15. बोंडामुंडा

भाप	डीज़ल	बिजली
16. राणा प्रताप	16. तुगलकाबाद	16. भिलाई
17. कटवा	17. लखनऊ	17. वास्तेरु
18. तिनधारिया	18. मुगल सराय (उ०रे०)	18. वलसाड
19. न्यूजलपाईगुड़ी	19. लुधियाना	19. तुगलकाबाद
20. कुर्सीयांग	20. गोण्डा	20. वड़ोदरा
21. दार्जिलिंग	21. माल्दा टाउन	
22 बांकुड़ा	22. न्यु गुवाहाटी	
23. बड़ोदा	23. तोंडियारपेट	
	24. ईरोड	
	25. एर्णाकुलम	
	26. कृष्णा राजपुरम	
	27. पोनमलाई	
	28. काज़ीपेट	
	29. विजयवाडा	
	30. गूटी	
	31. मौला अली	
	32. बोडामुंडा	
	33. बोकारो स्टील सिटी	
	34. विशाखापत्तनम	
	35. खड़गपुर	
	36. बांद्रा	
	37. वत्वा	
	38. गांधीधाम	
	39. भगत की कोठी	
	40. रतलाम	
	41. गोण्डा	
	42. इज्ज़तनगर (मी०ला०)	
	43. सिलीगुड़ी	
	44. लम्डिग	
	45. गुंतकल	
	46. मौला अली (मी०ला०)	
	47. गदग	
	48. कैसल रॉक	
	49. आबू रोड	
	50. गांधीधाम (मी०ला०)	
	51. साबरमती	
	52. नेरल	
	53. ग्वालियर	
	54. धोलपुर	
	55. कुर्दुवाड़ी	
	56. मुर्तज़ापुर	
	57. पचौरा	
	58. कटवा	
	59. कालका	
	60. मोतीबाग	
	61. पठानकोट	
	62. प्रताप नगर	

अनुकंपा के आधार पर नौकरी

3551. श्री वसुदेव आचार्य :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुकंपा के आधार पर वर्ष 1994-95 तथा 1995 के दौरान अब तक कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई तथा जोन-वार ऐसे कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिकी प्रदर्शनी

3552. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1995 के अंतिम सप्ताह में भारत में विकसित इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों और तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन पिछले तीन वर्षों के दौरान भी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन नगरों के नामों सहित जहां इनका आयोजन किया गया था, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन प्रदर्शनो की क्या उपलब्धियॉ रही;

(च) क्या सरकार का ऐसी प्रदर्शनियों का गुजरात में भी आयोजन करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यह नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रोफेसर पी०जे० कुरियन): (क) और (ख) भारत में विकसित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तथा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अगस्त, 1995 में एक इलेक्ट्रॉनिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन स्थित इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के मुख्यालय में यह एक प्रकार की नियमित /स्थायी प्रर्दशनी है जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों तथा प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन तथा प्रभावी अस्तित्व का परिचय देने का अवसर प्रदान करती है।

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा किसी अन्य स्थायी प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया गया है।

(घ) से (छ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

बकाया देनदारियां

3553. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को रेलवे पुलिस के कारण महाराष्ट्र सरकार को कई करोड़ रुपये अदा करने हैं;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1995 तक राज्य सरकार द्वारा कितनी बकाया देनदारियों का दावा किया गया है;

(ग) इनकी गैर-अदायगी के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक अदा कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी हां।

दावा की गई बकाया राशि इस प्रकार है :–

(I) दक्षिण पूर्व रेलवे	=	0.42 करोड़ रुपए
(II) मध्य पूर्व	=	24.72 करोड़ रुपए
(III) दक्षिण मध्य रेलवे	=	1.44 करोड़ रुपए
(IV) पश्चिम रेलवे	=	0.09 करोड़ रुपए
जोड़	=	26.67 करोड़ रुपए

(ग) और (घ) निम्नलिखित कारणों से भुगतान की व्यवस्था नहीं की जा सकी थी :–

(I) राज्य सरकार से लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना।

(II) रेल प्रशासन के अनुमोदन के बिना रा०रे०पु० के पदों का एकपक्षीय सृजन, जिसकी राशि 14.55 करोड़ रुपए बनती है।

(III) बजट व्यवस्था की अनुपलब्धता।

क्षेत्रीय रेलों को रा० रे० पु० के लेखे में बकाया राशि के भुगतान (संबंधित राज्य को किए गए विवादास्पद दावो के अलावा) की व्यवस्था करने के अनुदेश जारी किए गए हैं बशर्ते कि रे०सु०वि०ब० की तैनाती संबंधी लेखे के अंतर्गत बकाया राशि समयोजित करने के बाद धन उपलब्ध हो। उन्हें बकाया राशि के निपटान के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने के अनुदेश भी दे दिए गए हैं।

पेंशन

3554. प्रो० प्रेम धूमल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन सिपाहियों को 1962 के चीन आक्रमण के दौरान चीन ने बंदी बना लिया था या जो लापता हो गये थे, को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अब उन्हें पेंशन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान कुछ भारतीय सेना कार्मिकों को युद्ध में बंदी बना लिया गया था और बाद में उनमें से सभी स्वदेश लौट आए थे। इसके अतिरिक्त, कुछ सेना कार्मिकों को लापता घोषित किया गया था और उन्हें बाद में मृत मान लिया गया था। चीनी आक्रमण के दौरान किसी भी सेना कार्मिक को भगोड़ा घोषित नहीं किया गया था।

2. लापता सैनिकों को मृत मान लिया जाता है और उनके परिवारों को उदारीकृत पेंशनरी अवार्ड दिए जाते हैं जिनमें उदारीकृत परिवार पेंशन, परिवार उपदान, संतान भत्ता और संतान शिक्षण भत्ता शामिल हैं।

चिकित्सा महाविद्यालय

3555. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इन महाविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ग) उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कौन-कौन से महाविद्यालय है; और

(घ) इन महाविद्यालयों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) और

(ख) देश में 137 मान्यता प्राप्त चिकित्सा कालेज हैं। गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सा कालेजों की संख्या नीचे दी गई है :–

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कालेजों की संख्या
1	2
1. बिहार	1
2. चंडीगढ़	1
3. महाराष्ट्र	5
4. राजस्थान	1
5. तमिलनाडु	2
6. जम्मू और कश्मीर	1
योग :	11

(ग) शून्य

(घ) भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम 1993 में देश में चिकित्सा कालेज खोलने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेने की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों का स्थगन

3556. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त-सितम्बर, 1995 के दौरान दिल्ली-रोहतक सेक्शन पर चलने वाली सभी गाड़ियों को स्थगित कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन दैनिक यात्रियों से जिन्होंने एम० एस० टी०/क्यू० एस०टी० बनाये हुये हैं, अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि उन्हें पैसे वापस लौटाये जायें या उनके पासों की समय-सीमा बढ़ाई जाये क्योंकि उन्हें दिल्ली स्थित अपने-अपने कार्यालयों में जाने के लिए सुबह की गाड़ियां नहीं मिल सकीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) दिल्ली-रोहतक खण्ड पर पटरियों की दरारों बाढ़ के कारण सितंबर, 1995 में सभी गाड़ियां रद्द कर दी गई थी।

(ख) और (ग) केवल एक यात्री ने धन-वापसी कार्यालय में मासिक सीजन टिकट/त्रैमासिक सीजन टिकट किराये की वापसी के लिए एक लिखित दावा प्रस्तुत किया है। यह दावा अस्वीकृत कर दिया गया है क्योंकि इसे वैधता अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद पेश न करके काफी विलंब से पेश किया गया था।

सूर्य ग्रहण

3557. **श्री अन्नादि चरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 का सूर्यग्रहण किस प्रकार पहले हुए सूर्यग्रहण से भिन्न है;

(ख) क्या भारतीय वायु सेना द्वारा सूर्य ग्रहण के अवसर पर कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जहां तक भारत का संबंध है, 24 अक्तूबर 1995 के खग्रास सूर्यग्रहण की पूर्णावस्था का पथ जो 2700 कि मी की अपनी लम्बाई में औसतन 45 कि. मी. चौड़ा था, देश के उत्तरी राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की घनी आबादी वाले हिस्सों से गुजरा। इस पथ में भारत के विभिन्न अवलोकन बिन्दुओं पर पूर्णता की अवधि 50 सेकेण्ड (राजस्थान के अलवर) से 77 सेकेण्ड (पश्चिमी बंगाल में डायमण्ड हारबर में) रही तथा भारत के ऊपर सकल पूर्णता अवधि 20 मिनटों (0831 बजे – 0851 बजे भारतीय समयानुसार) की रही। भारत में 16 फरवरी 1980 के खग्रास सूर्य ग्रहण की पूर्णावस्था पथ की लम्बाई, औसत चौड़ाई तथा अवधि बहुत कम थी और यह दक्षिण के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा की कम घनी आबादी वाले क्षेत्रों के ऊपर से गुजरा था। इस दौरान देश के द्वारा की गई वैज्ञानिक तरक्की के कारण 1995 के खग्रास सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिकों एवं मीडिया द्वारा एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक घटना के तौर पर प्रचारित किया गया जिसके कारण गहन वैज्ञानिक अवलोकन किये गये तथा इस प्राकृतिक घटना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी।

(ख) और (ग) जी हां। भारतीय वायुसेना ने दो मिग-25 ट्राइसोनिक तथा एक ए एन-32 यातायात विमान की ग्रहण के अन्वाल शैडो में विशेष उड़ान भरीं, जिससे कि वैज्ञानिकों द्वारा विमान पर बैठकर वैज्ञानिक प्रयोग किये जा सकें। किये गये प्रयोगों में इलेक्ट्रॉन घनत्व वितरण को जानने के लिए परिमंडल से उत्सर्जित प्रकाश के ध्रुवीकरण का मापना, विभिन्न स्थानिक दृश्यताओं के साथ परिमंडल का छायाचित्र लेना तथा इसकी फोटोमीटरी शामिल थी। उड़ानों ने दूरदर्शन को भी सहायता पहुंचाई।

स्वास्थ्य रक्षा

3558. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेषकर मछुआरों के लिये स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिये कोई प्रस्ताव/परियोजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हड़ताल

3559. श्री अन्ना जोशी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के कर्मचारी हाल ही में हड़ताल पर चले गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान कितनी बार ऐसी हड़तालें हुई हैं; और

(ङ) भविष्य में हड़तालों को रोकने के लिये क्या दीर्घकालिक रणनीति अपनाने का विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) से (ग) न्यूरो सर्जरी विभाग के वरिष्ठ रेजीडेंट डा० पंकज उपाध्याय की बर्खास्तगी आदेशों को वापस लेने के लिए रेजीडेंट डाक्टर फरवरी 95 माह में हड़ताल पर चले गए थे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत विभिन्न मुद्दों पर निर्देशन के रूप में जारी आदेश के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई थी।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान संस्थान के विभिन्न ग्रुप चार बार हड़ताल पर गए थे।

(ङ) शिकायतों को समय समय पर दूर करने के लिए एक वरिष्ठ प्रोफेसर की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

रेल मार्ग का दोहरा किया जाना

3560. श्री सत्य नारायण जटिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उज्जैन-भोपाल रेल मार्ग को दोहरा किये जाने के संबंध में हुई कार्य-प्रगति क्या है तथा उस पर खर्च की गयी राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) नागदा में मंडी तथा बिड़साग्राम को जोड़ने वाले पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत किन-किन स्थानों पर उपरिपुल के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) विवरण इस प्रकार है :

परियोजना का नाम	पिछले तीन वर्षों में खर्च की गई राशि (1992-93 से 1994-95 तक) (लाख रु० में)	चालू वर्ष में खर्च की गयी राशि (1995-96) (लाख रु० में)	प्रगति
उज्जैन-भोपाल खंड का दोहरीकरण (119.32 कि०मी०)	4584.80 रु०	79.10 रु०	(I) शुजालपुर-कालापीपल, बोलाई अकोदिया और बैरागढ़ भौंरी फांदा खंड (40.50 कि०मी०) को पहले ही चालू कर दिया गया है। (II) कालापीपल-फांदा खंड (41.49 कि०मी०) का कार्य फिलहाल बंद है। (III) पिरामरोद-बेड़छा खंड (11.67 कि०मी०) का कार्य प्रगति पर है और 31.03.96 तक पूरा हो जाने की आशा है। (iv) बेड़छा-बोलाई और मकसी से पीरामरोद खंड (25.66 कि० मी०) तक का कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किये जा रहे हैं।

(ख) मार्च, 1997 तक।

(ग) रतलाम मंडल में प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुलों का विवरण इस प्रकार हैं :–

(I) रतलाम (जावरा रोड़) में समपार सं० 192-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(II) नागदा में समपार सं० 1 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(III) इंदौर में समपार सं० 246 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(IV) संतरोड-पीपलोद में समपार सं० 20/बी के बदले ऊपरी सड़क पुल।

[अनुवाद]

विकलांग पेंशनभोगी

3561. डा० मुमताज अंसारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजपूत रेजीमेंट, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे पेंशनभोगियों/विकलांग पेंशनभोगियों/सिपाहियों की संख्या कितनी है जिन्हें 01 जनवरी, 1947 को सेवामुक्त कर दिया गया था और जिन्हें अभी तक पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार का विचार इन भूतपूर्व विकलांग सिपाहियों को पेंशन/बकाया राशि का भुगतान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी पात्र पेंशनभोगी/निशक्त पेंशनभोगी/सिपाही को, जो राजपूत रेजिमेंट, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश से 1.1.1947 को सेवामुक्त हुए थे, उस समय लागू नियमों के अनुसार पेंशन मंजूर की गई थी। ऐसे निशक्त पेंशन-भोगियों को, जो अभी तक जीवित हैं और 1.1.1947 से पेंशन प्राप्त कर रहे है, चालू वर्ष के दौरान पेंशन/निशक्तता पेंशन का भी भुगतान किया जा रहा है बशर्ते कि उनकी निशक्तता 20% से कम न हो गई हो या वे नियमानुसार ऐसी पेंशन पाने के लिए अपात्र न हो गए हों।

सेवाग्राम तथा वर्धा में स्टापेज

3562. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सेवाग्राम तथा वर्धा स्टेशनों पर तमिलनाडु एक्सप्रेस, आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस और गीतांजली एक्सप्रेस का स्टापेज बनाने हेतु सभी क्षेत्र के लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) इस संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) सेवा-ग्राम/वर्धा में तमिलनाडु, ए०पी० तथा गीतांजली एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था का औचित्य नहीं पाया गया।

फुटकर दुकानों के लिए भूमि

3563. डा० राजागोपालन श्री परण : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री 21 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2600 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने शीघ्र आवंटन के लिए इस मुद्दे पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श किया है;

(ख) क्या "पहले आओं पहले पाओं" के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) लम्बित आवेदनों को कब तक निपटा दिया जायेगा; और

(ङ) 1995 में कितने आवंटन किए गए हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटन स्थलों के मिलने की शर्त पर किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) "पहले आओ पहले पाओं" के सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

(घ) चूंकि आबंटन पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध फुटकर दुकानों/स्थलों से ज्यादा किए जाते हैं इसलिए इस बाबत कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

(ङ) शून्य।

मेडिकल उपाधि

3564. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खिरगिज गणतंत्र ने भारत सरकार से अपने प्राचीनतम मेडिकल कालेजों, जहां अनेक भारतीय विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, की डिग्रियों को मान्यता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को खिरगिज स्टेट मेडिकल इनस्ट्रिटयूट (के एस एम आई) बिसकेक, खिरगिजस्थान (पूर्व सोवियत संघ) की एम०डी० फिजीशियन डिग्री को प्रदान करने पर विचार करने के लिए उस संस्थान का निरीक्षण करने की सलाह दी गई है।

सायरीमाला के लिए विशेष ट्रेन

3565. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में साबरीमाला तीर्थाटन के मौसम के दौरान विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) कोट्टायम/तिरूवनन्तपुरम के लिए मद्रास, विजयवाडा, हैदराबाद, गुवाहाटी आदि से विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली सहित अन्य स्टेशनों से गाड़ियों के डिब्बों में वृद्धि की जा रहा है।

धूम्रपान पर प्रतिबंध

3566. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के धूम्र से धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों की हृदय रोग से होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों और अन्य कार्यालयों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आठवीं योजना के दौरान मुख कैंसर पैदा करने वाले तम्बाकू के नियंत्रण पर प्रचालन अनुसंधान संकेन्द्रित किया था। तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए दो अध्ययनों से धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों की तुलना में पैसिव स्मोकरों में उच्च मृत्यु दर का पता चला है।

(ग) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है, एक व्यापक विधान लाने का प्रस्ताव है।

असम में उच्च जन्म दर

3567. श्री प्रवीन डेका : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1994-95 के दौरान उच्च जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए असम राज्य सरकार को कोई विशेष सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) और (ख) चल रहे कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त असम को नवीं भारत जनसंख्या परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1994-95 के दौरान 5.25 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है। यह परियोजना सात वर्ष की अवधि के लिए है और इसकी कुल लागत 108.57 करोड़ रुपये है। यह राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के बुनियादी ढांचे के विस्तार करने तथा जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही है।

रेल दुर्घटना

3568. श्री चूलचन्द बर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों ने प्रधान मंत्री के अस्पताल का दौरान करने के दिन फिरोज़ाबाद रेल दुर्घटना के घायल व्यक्तियों की नींद की दवाई के इन्जेक्शन दिए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोंकण रेलवे कारपोरेशन

3569. डा० रमेश चन्द तोमर :
श्री राम कापसे :
श्री राम नाईक :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे कारपोरेशन के कार्यकरण में कथित अनियमितताओं की कोई जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) संसद सदस्यों की एक समिति कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। समिति द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी हैं।

पोलियो टीका

3570. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सरकारी और निजी कम्पनियों द्वारा तैयार तथा आयातित टीकों का ब्यौरा क्या है।

(ख) क्या सरकार ने पोलियो टीके का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा किया गया वैक्सीनों का उत्पादन।

(लाख खुराक में)

टीके का नाम	सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र अथवा आयातित	वर्ष का वास्तविक उत्पादन 1992-93	1993-94	1994-95
ओरल पोलियो वैक्सीन	सार्वजनिक	281.30	459.71	600.00
	निजी	733.75	621.48	829.78
	आयातित	700.00	—	—
डी पी टी	सार्वजनिक	521.96	409.40	475.56
	निजी	957.60	901.40	681.52
बी सी जी	सार्वजनिक	297.87	302.72	312.49
	आयातित	300.00	200.00	200.00
खसरा	निजी	700.00	700.00	930.00
डी टी	सार्वजनिक	314.98	334.77	332.50
	निजी	285.00	5.80	505.84
टी टी	सार्वजनिक	576.87	690.06	716.23
	निजी	2052.00	1797.00	1972.00

(x) ओरल पोलियो वैक्सीन को आयातित बल्क से मिश्रित किया जाता है।

x यूनिसेफ के माध्यम से सामग्री सहायता के रूप में आयात किया गया।

(ख) और (ग) ओरल पोलियो वैक्सीन को 100 मिलियन खुराकों का उत्पादन करने के उद्देश्य से जैव प्राद्यौगिकी विभाग, भारत सरकार के अन्तर्गत भारत इम्यूनोलॉजिकल्स और बायोलाजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (बिबकोल) एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मार्च, 1989 में निगमित किया गया है।

डी डी ए में मुख्य अभियंता की खामियां

3571. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण में कार्यरत कुछ मुख्य अभियंताओं की खामियों का पता चला है जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपए के सरकारी धन की गंभीर अनियमितताएं, दुर्विनियोग और धोखाधड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) से (ग) डी डी ए ने बताया है कि डी डी ए के कुछ मुख्य इंजीनियरों पर लगाये गए अनियमितता/खामियों के आरोपों की जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच-पड़ताल किया जा रहा कोई भी मामला करोड़ों रुपये के सरकारी धन की गम्भीर अनियमितता तथा दुर्विनियोग की श्रेणी में नहीं आता जिससे कि उनके विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज करवाने की आवश्यकता हो।

आतंकवादियों का पलायन

3572. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16.11.1995 को बारामूला के संयुक्त पूछताछ केन्द्र से पांच शीर्ष आतंकवादी भाग गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वहां ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) क्या पुलिस उन्हें पुनः गिरफ्तार कर पाएगी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जे०आई०सी० बारामूला में कैद कर के रखे गए पांच उग्रवादी 14 नवम्बर, 1995 को हिरासत से भाग गए। इनमें फारूक अहमद दर, मुश्ताक पैरे, रियाज अहमद भट्ट, बशीर अहमद और अब्दुल मजीद मलिक शामिल हैं। यह सभी उग्रवादी विभिन्न ग्रुपों, नामतः अल-जेहाद, जयायत-अल-मुजाहिदीन, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और उल-बुर्क से संबद्ध हैं। उग्रवादी उस ट्रक में छिपने में सफल हो गए थे जो कि उस परिसर में रहने वालों को भोजन देने आया था, और बचकर भाग निकले। राज्य सरकार ने इस घटना के बारे में एक मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक (प्रघालन), बारामूला तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप-कमांडेंट द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली एक जांच भी शुरू की गई है। इस बीच प्रारंभिक जांच पड़ताल के आधार पर, संबंधित थाना प्रभारी, कांस्टेबल मोहर्रिर जम्मू व कश्मीर पुलिस कमांडर तथा ड्यूटी पर तैनात संतरी को निलम्बित कर दिया गया है तथा ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार हुए उग्रवादियों को पकड़ने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सेवाएं

3573. श्री दत्ता मेघे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/योजनावार ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए राज्यवार रिलीज की गई धनराशि

(लाख रुपये)

क्र० सं०	राज्य का नाम	एएनएम/ एलएचवी प्रशिक्षण	दा० प्रशि०	एमपीडब्ल्यूएस प्रशि०	ग्रा०म०क० केन्द्र	उप-केन्द्र	ग्रा० स्वा० मालयते	उप समागीय		90 पिछड़े जि० के लिए वि०	उ०प्र० में व०नि०सेवाओं में नए कार्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	82.99	15.00	37.50	905.72	1400.00	206.01	235.40	290.00			3172.62
2.	अरुणालच प्रदेश	0.83	0.13	0.01		1.50						2.47
3.	असम	57.00		5.00	314.88	799.99	66.01	59.92	1.00			1303.80
4.	बिहार	76.01		0.25	1315.66	835.00	62.59	29.91	150.00	250.00		2719.42
5.	गोवा	5.00	0.50	0.05	27.69	13.99						47.23
6.	गुजरात	61.00	10.00	10.00	541.20	900.00	31.46	162.65	511.00	100.00		2327.31
7.	हरियाणा	30.00	10.00	3.00	127.92	310.00	1.62	72.75	621.00	50.00		1226.29
8.	हिमाचल प्रदेश	21.00		2.50	166.02	210.00	22.00	72.75	194.00			688.27
9.	जम्मू कश्मीर	21.00	12.00	7.00	176.82	200.00	7.06	6.39	184.00			614.27
10.	कर्नाटक	55.00	15.00	22.00	580.02	630.00	90.77	226.80				1619.59
11.	केरल	57.00	1.00	10.00	351.45	950.00		231.20		50.00		1650.65
12.	महाराष्ट्र	85.00	15.00	25.00	972.84	1660.00	246.53	188.50	1212.00			4404.87
13.	मणिपुर	13.00	2.00	2.00	66.80	85.01	10.18	4.25				183.24
14.	मेघालय	8.00	2.00	0.05	49.56	65.00	7.78	4.25				136.64
15.	मिजोरम	6.10	0.90	4.00	30.18	22.00	3.21	8.55				74.94
16.	मध्य प्रदेश	90.00		40.00	991.93	950.00	202.16	299.60	590.00	1150.00		4113.59
17.	नगालैंड	8.00	1.50	0.05	15.05	75.00	3.29	4.25				107.14
18.	उड़ीसा	47.00	10.00	8.00	677.00	700.00	126.10	185.00	600.00	50.00		2403.10
19.	पंजाब	20.00	15.00	10.00	278.15	200.00	69.94	64.20	531.09			118.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	राजस्थान	75.00		10.00	500.26	1400.00	53.89	278.00	62.50	1150.00		3527.65
21.	सिक्किम	9.00	0.70	0.05	32.34	20.00	1.44		1212.00			1275.53
22.	तमिलनाडु	46.00	6.00	30.00	825.81	700.00		362.00				1979.81
23.	त्रिपुरा	12.00	2.50	5.00	75.01	70.00	11.02	11.02	500.00			686.55
24.	उ०प्र०	115.10		5.00	2055.64	4835.00	540.67	540.67	300.00	1600.00	100.00	10092.08
25.	पं०ब०	80.00	33.75	10.00	721.61	1452.00	241.40	241.40	1225.61	100.00		4105.77
26.	दिल्ली	0.11	0.74	3.00	10.00			15.00	500.00			528.85
27.	पांडिचेरी		4.20		25.00		1.00	1.50				31.70
28.	अं० नि०	6.50	1.05			30.00	2.00					39.95
29.	चंडीगढ़			0.50	17.50		0.25					28.85
30.	दा० न० हवे०		0.50				4.70		5.00			5.80
31.	लक्षद्वीप		1.05				4.00					5.05
32.	दमन और दीव						5.60					5.60

वर्ष 1993-94 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए राज्यवार स्कीमवार रिलीज की गई धनराशि

क्र० सं०	राज्य का नाम	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं							क्षेत्र परि०	एसएसएन	उ०प्र० परि०	कुल
		एएनएम/ एलएचवी प्रशिक्षण	एमपीडब्ल्यू (पुरूष) प्रशि०	आईयूडी निवेशन में एएनएम	ग्रा० प०क० केंद्र	उप० के०	ग्रा०स्व०गा० योजना	उप सभा पर प्रसवोत्तर कार्य क्रम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	74.00	37.50	3.87	1220.00	1400.00	206.00	162.50	1597.00			6378.62
2.	अरुणालच प्रदेश	10.83	0.01		0.00	1.50	0.00	0.00	0.00			31.96
3.	असम	57.00	5.00		305.00	800.00	66.01	89.00				1860.34
4.	बिहार	76.00	0.25		1677.00	835.00	62.59	159.00	639.00	250.00		5342.90
5.	गोवा	5.00	0.05		37.00	14.00						97.19
6.	गुजरात	61.00	10.00	2.37	725.00	900.00	16.73	162.00	1499.50	10.00		4575.56
7.	हरियाणा	30.00	3.00		200.00	305.00	1.62	59.00	1814.00	50.00		2871.78
8.	हिमाचल प्रदेश	21.00	2.50		215.00	205.00	20.70	65.00	901.50			1693.07
9.	जम्मू कश्मीर	21.00	3.00		178.00	200.00		18.00	1334.00			1931.66
10.	कर्नाटक	55.00	18.55	1.87	800.00	615.00	90.77	189.00	305.00			3378.72
11.	केरल	57.00	10.00		505.00	945.00		177.00	176.00	50.00		2424.72
12.	मध्य प्रदेश	90.00	45.00	17.58	980.00	950.00	202.16	221.00	1710.00	1150.00		6967.21
13.	महाराष्ट्र	85.00	22.00	11.77	1287.00	1650.00	208.77	207.00	2525.00			8297.59
14.	मणिपुर	13.00	2.00	1.44	87.00	80.00	10.18	3.50	1.50			297.68
15.	मेघालय	8.00	0.50	0.95	65.00	60.00	7.78	3.50	1.50			212.12
16.	मिजोरम	6.00	4.00	0.16	40.00	22.00	2.07	14.00	2.00			137.20
17.	नागालैंड	8.00	0.05		19.00	70.00	3.29	3.50				156.62
18.	उड़ीसा	47.00	12.00		880.00	700.00	126.10	178.00	850.00	50.00		3503.82
19.	पंजाब	20.00	10.00	1.05	282.50	200.00	69.94	103.00	1488.00			2708.57
20.	राजस्थान	73.00	5.00	15.02	700.00	1400.00	53.89	295.00	132.00	1150.00		4951.72
21.	सिक्कम	9.00	0.05		53.00	50.00	1.44	7.00				152.09
22.	तमिलनाडु	46.00	38.00	14.97	1070.00	700.00		256.00	2137.00			5731.16
23.	त्रिपुरा	9.00	3.75	0.60	97.00	70.00	11.02	10.50				284.12
24.	उ० प्र०	115.00	3.00	8.85	2619.44	4840.00	540.67	433.00	1405.00	1600.00	500.00	14967.71
25.	प०बं०	80.00	10.00		940.00	1452.00	241.40	162.00	1126.00	100.00		5370.00
												0.01
	कुल	1066.83	245.21	30.50	14981.94	18464.50	1944.13	2976.50	19644.00	4500.00	500.00	84324.13

वर्ष 1993-94 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए राज्यवार स्कीमवार रिलीज की गई धनराशि

	एएनएम/ एलएचवी प्रशिक्षण	डाई प्रशि०	एमपीडब्ल्यू प्रशि०	आईयूडी निवेशन में एएनएम/एलएचवी	ग्रा० प०क० केन्द्र	उप० केन्द्र	ग्रा०स्व०गा० स्कीम	उप सभागीय अस्पतालों से प्रस्वोत्तर	क्षेत्र परियोजना	पिछड़े जिलों में विशेष निवेश	उ०प्र० में पु०नि० में नए कार्य	कुल
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	72.00	33.75	39.97	0.00	1237.00	1620.03	68.65	162.97	2249.93	0.00	0.00	5484.00
अरुणालच प्रदेश	2.11	1.00	0.00	0.69	0.00	7.50	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	16.20
असम	45.00	35.70	8.31	0.00	294.52	666.69	27.50	74.11	525.00	0.00	0.00	1676.8
बिहार	72.00	21.00	0.00	0.00	1420.93	830.02	31.32	159.97	2708.93	250.00	0.00	5494.18
गोवा	4.11	0.00	0.00	0.00	26.21	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.01
गुजरात	54.97	16.80	12.00	0.00	607.45	899.03	9.00	162.00	1136.97	100.00	0.00	2998.22
हरियाणा	23.31	18.90	3.31	0.00	179.52	254.19	0.70	49.11	516.61	50.00	0.00	1095.65
हिमाचल प्रदेश	15.97	16.80	7.93	0.00	236.38	265.07	10.33	64.93	0.00	0.00	0.00	617.41
जम्मू कश्मीर	15.97	1.00	3.00	0.00	193.38	199.93	0.00	18.00	1999.93	0.00	0.00	2436.21
कर्नाटक	49.93	25.20	24.00	5.68	731.38	715.00	45.36	189.97	2170.19	0.00	0.00	3956.71
केरल	51.00	2.10	9.97	11.00	404.45	975.00	0.00	175.93	10.00	50.00	0.00	1689.45
महाराष्ट्र	34.00	18.90	21.97	8.87	1035.97	1648.93	104.40	202.93	918.24	0.00	0.00	4044.21
मणिपुर	12.97	2.10	1.93	0.91	75.00	79.93	5.05	3.48	1.00	0.00	0.00	182.37
मेघालय	7.93	2.10	0.00	0.41	54.97	50.00	3.85	3.48	0.00	0.00	0.00	132.74
मिजोरम	7.50	2.10	4.11	0.18	28.31	18.31	1.30	12.50	20.00	0.00	0.00	94.31
म०प्र०	70.81	14.70	37.50	13.88	925.00	791.61	84.21	184.11	1200.00	1150.00	0.00	4471.82
नागालैंड	7.93	1.00	0.00	0.00	26.93	99.97	1.57	3.48	0.00	0.00	0.00	140.88
उड़ीसा	45.00	16.80	12.38	0.00	759.97	699.97	63.01	175.92	1921.93	50.00	0.00	3744.99
पंजाब	16.61	16.80	6.61	0.00	260.32	166.61	29.11	85.81	1010.00	0.00	0.00	1591.87
राजस्थान	69.97	21.00	4.93	15.02	562.45	1399.93	26.99	295.93	2165.00	1150.00	0.00	5711.22
सिक्कम	15.00	1.00	0.00	0.00	45.97	60.00	0.72	9.97	0.00	0.00	0.00	132.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
तमिलनाडु	42.00	16.80	18.00	9.15	1077.00	889.97	0.00	258.00	1912.93	0.00	0.00	4223.85
त्रिपुरा	12.00	2.10	4.93	0.00	124.38	119.97	5.52	10.45	7.00	0.00	0.00	286.35
उ० प्र०	109.93	38.60	3.00	8.85	2190.0	4824.00	270.36	432.97	2573.97	1600.00	1295.00	13341.68
प०बं०	38.31	25.20	8.31	7.20	675.81	1209.11	100.60	135.00	1225.61	100.00	0.00	3525.15
दिल्ली	0.11	0.74	3.00	1.20	10.00	0.00	0.00	15.00	500.00			530.05
पांडिचेरी	0.00	4.20	0.00	0.15	25.00	0.00	1.00	1.50		0.00	0.00	31.85
अ०नि०	6.50	1.05				30.80	2.00					39.55
चंडीगढ़			0.50	0.50	17.50		0.25		5.00			23.75
दा०न० हवे०		0.50					4.70					5.20
लक्षद्वीप		1.05		0.10			4.00					5.15
दमण और दीव				0.50			5.60					6.10

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अफसरों के खिलाफ जांच

3574. श्री रवि राय : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 5 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के खिलाफ स्किपर बिल्डर के मामले में कार्यवाही करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवही की गई है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) जी हां।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 29.11.1995 के आदेश में, झण्डेवालान टावर प्लाट, नई दिल्ली के मैसर्स स्किपर कन्स्ट्रक्शन कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में बरती गई अनियमितताएं के लिए पांच सेवारत/सेवा निवृत्त आई ए एस अधिकारियों नामतः सर्व श्री वी०एस० एलावादी, पूर्व उपाध्यक्ष, डी डी ए, श्री के०एस० बैदवान-दिल्ली के उपराज्यपाल के पूर्व आयुक्त (भूमि), डी डी ए, तथा श्री ओम कुमार, पूर्व उपाध्यन डी डी ए को दोषी ठहराया है तथा सरकार को इन अधिकारियों के विरुद्ध संगत नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिये हैं।

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उपयुक्त अधिकारियों के विरुद्ध आरोप तैयार करने हेतु कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

मंड्या रेलवे स्टेशन

3575. श्री जी. माडे गौडा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंड्या रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण का कार्य शुरू किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस कार्य को 1995-96 में शुरू करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) मांडया में रेलवे स्टेशन की इमारत का निर्माण दो वर्ष पहले ही किया गया है, और इसलिए इसके सौन्दर्यीकरण से संबंधित कार्य करना फिलहाल आवश्यक नहीं है। तथापि, सुविधाओं में सुधर/वृद्धि करने के उपाय के रूप में प्लेटफार्म सं० 2 और 3 पर सीमेंट कंक्रीट पथ का निर्माण हाल ही में पूरा किया गया है और नई बड़ी लाइन के प्लेटफार्म पर सायबाम से संबंधित कार्य शुरू किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन

3576. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम में "महानगर परिषद" शब्द के स्थान पर "दिल्ली विधान सभा" शब्द का प्रतिस्थापन करने हेतु संसद के समक्ष एक संशोधन लाने के लिए केन्द्र सरकार के पास कई अनुरोध भेजे हैं;

(ख) क्या उक्त अंशोधन किये जाने में विलंब के परिणामस्वरूप दिल्ली विधान सभा को दिल्ली विकास प्राधिकरण बोर्ड में अपने सदस्यों के मनोनयन से वंचित रहना पड़ रहा है; और

(ग) सरकार का दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम में आवश्यक संशोधन किस तिथि तक कर दिये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास अधिनियम को संशोधित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।

दक्षिण अफ्रीका में गृह निर्माण और शहरी विकास विभाग

3577. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के गृह निर्माण के क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञों की सेवाएं मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) और (ग) जी, हां। हडको तथा दक्षिण अफ्रीका सरकार के आव्रास विभाग के बीच 13 दिसम्बर, 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ज्ञापन के अनुसार, हडको दक्षिण अफ्रीका सरकार को निम्नलिखित के लिए परामर्शी सहायता देगा :–

(i) शहरी तथा ग्रामीण गरीबों और अन्य आय वर्गों को वहनीय आवास वित्त उपलब्ध कराने के लिए समुचित वित्त प्रणालियां तैयार कर लागू करना;

(ii) दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित राष्ट्रीय आवास वित्त निगम की कार्यप्रणाली की संस्थागत संरचना और विकास;

(iii) बड़ी मानव बस्तियों के लिए एकीकृत परियोजनाएं तैयार करना;

(iv) कचरे से भवन निर्माण सामग्री का विकास करने तथा रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए लघु उद्यमों के रूप में भवन निर्माण सामग्री उद्योगों की स्थापना करना;

(v) समुचित तथा किफायती भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी पर दक्षिण अफ्रीका के व्यावसायिकों के लिए भारत तथा दक्षिण अफ्रीका में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

(vi) दक्षिण अफ्रीका के सभी प्रान्तों में भवन निर्मिती केन्द्रों और भवन निर्माण प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों की स्थापना करना; और

(vii) शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका-वासियों के लिए बुनियादी सफाई योजनाएं शुरू करना।

[हिन्दी]

परमाणु खनिजों का सर्वेक्षण

3578. श्री केशरी लाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा परमाणु खनिजों का पता लगाने हेतु आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में कोई सर्वक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान किन-किन राज्या में सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) इस सर्वेक्षण के माध्यम से सरकार को किन-किन परमाणु खनिजों में सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) खनिजों की कितनी मात्रा का पता लगा है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) गत वर्ष जिन जिलों में सर्वेक्षण किए गए थे, वे निम्नलिखित हैं:

आन्ध्र प्रदेश :
नालगोंडा, कुडप्पा, श्रीकाकुलम, पूर्वी गोदावरी और चित्तूर।

बिहार :
गुमला, सीवान, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम।

उड़ीसा :
सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, कालाहान्डी, गंजम और कोरापुट।

(ग) जिन परमाणु खनिजों का पता लगाने के लिए सफलतापूर्वक पूर्वेक्षण कार्य किया गया, उनमें यूरेनियम, इल्मेनाइट, रूटाइल, मोनाजाइट, जीनोंटाइम, कोलम्बाइट-टैंटेलाइट ओर स्पॉडुमीन शामिल हैं।

(घ) इन भंडारों का आकलन सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो जाने पर किया जाएगा जोकि अभी विभिन्न चरणों में चल रहा है।

[हिन्दी]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग

3579. श्री काशीराम राणा :
श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चूककर्ता कम्पनियों को "रेसिस्ट एंड डेसिस्ट" नोटिस जारी करने के सिवाए वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत दंड के किसी प्रावधान के अभाव में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयेाग के असंतोषजनक कार्यकरण की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों के निवारण हेतु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक संसद के समक्ष विधेयक लाये जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इसकी शक्तियों में वृद्धि किए जाने हेतु सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम

3580. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम में कतिपय संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिय हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार या कर्नाटक विधान मंडल द्वारा तत्संबंधी कोई संकल्प पारित किया गया है;

(ग) उक्त अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में इसी प्रकार का संकल्प पारित करने वाले अन्य राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 में संशोधन करने के लिए किसी अन्य राज्य ने संकल्प पारित नहीं किया है।

(घ) सरकार का प्रस्ताव इस अधिनियम में संशोधन करने का है। इस बाबत विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

विदेशी कमांडो

3581. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य इस वर्ष के अगस्त से कश्मीर में विदेशी कमांडो या सैन्य अथवा अर्ध सैन्य प्रतिष्ठान रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कमांडों या अन्य कार्मिकों की संख्या क्या है और ये किन देशों के हैं/थे;

(ग) इन कमांडों/अन्य कार्मिकों को कश्मीर में प्रवेश की अनुमति देने का उद्देश्य क्या है;

(घ) क्या सेना के अधिकारियों ने हमारी धरती पर इन विदेशी कार्मिकों के बने रहने पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है; और

(ङ) सरकार का विचार कब तक इन व्यक्तियों का देश छोड़ने को कहने का है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ड) जुलाई, 1995 में जम्मू व कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा अपहृत छह विदेशी पर्यटकों में से, एक बचकर भाग निकला था, एक मार दिया गया था तथा यू०के०, अमरीका और जर्मनी के शेष चार पर्यटक अभी भी उग्रवादियों के बंधक हैं। इन व्यक्तियों की सुरक्षित रिहाई कराने के लिए सरकार द्वारा सभी प्रयास किया जा रहे हैं। प्रारंभ से ही सरकार का प्रयास बात-चीत करके और समझाने बुझाने की प्रक्रिया के माध्यम से तथा अपहरणकर्ताओं से मानवता की दुहाई की अपील करके उस उद्देश्य को प्राप्त करने का रहा है। पादर्शिता की नीति का अनुसरण करते हुए जिन राष्ट्रों के नागरिकों का अपहरण हुआ है उन राष्ट्रों के मिशनों के अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क और संबंध भी बनाए रखा गया है तथा उन अधिकारियों को श्रीनगर जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई हैं इस प्रक्रिया में, सरकार इन देशों के विशेषज्ञों के भारत में मौजूद रहने पर भी सहमत हुई है ताकि वे स्थिति का स्वयं मूल्यांकन कर सकें और अपने मिशनों को सलाह दे सकें, तथा इस संबंध में अलग-अलग समय पर विभिन्न व्यक्तियों ने श्रीनगर का दौरान भी किया है। सरकार ने, उनके द्वारा दी जाने वाली किसी भी सलाह अथवा सुझाव का स्वागत किया है तथा इन लोगों द्वारा, सेना सहित राज्य सरकार तथा संबद्ध सुरक्षा एजेन्सियों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। तथापि, इन देशों के अधिकारियों/विशेषज्ञों की स्थिति से निपटने में किसी भी स्तर पर सीधी अन्तरग्रस्तता और हस्तक्षेप नहीं रहा है। और न ही उनको किसी भी प्रकार से नियमित तथा औपचारिक ढंग से तैनात किया गया है।

रिक्तियों को अग्रेषित करने की प्रणाली

3582. श्री जे० चोक्का राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में रिक्तियों को अग्रेषित करने की प्रणाली संबंधित भर्ती वर्ष में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को रोजगार के अवसरों से वंचित करने के अलावा बाद के वर्षों में उन युवाओं को खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसरों को कम करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के युवाओं के लिए न्यूनतम अंक की सीमा नहीं रखते हुए उन्हें रोजगार अविलम्ब रोजगार उपलब्ध कराते हुए उपरोक्त प्रणाली को समाप्त करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क), (ख) तथा (ग) रिक्तियों को अग्रेणित करने से संबंधित अनुदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित पदों से वंचित नहीं करते बल्कि जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार किसी वर्ष विशेष में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते तो यही अनुदेश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद बाद के वर्षों में भी उन्हें उपलब्ध कराते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का सरकारी सेवा में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्तता के मानदण्डों में छूट देने के अलावा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती में अनुभव तथा अर्हताओं में भी छूट दी जा सकती है। इन उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाती है तथा उन्हें शुल्क की अदायगी से भी मुक्त रखा गया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्मकार पर बुलाये जाने पर ये उम्मीदवार रेल के द्वितीय श्रेणी के किराए के भी हकदार हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाते हैं। अतः विद्यमान आदेशों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के लिए पर्याप्त रक्षोपायों का प्रावधान है तथ इन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा ही भरा जाता हैं।

[हिन्दी]

करार्पेय बांड

3583. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री महेश कनोडिया :
श्री पंकज चौधरी :
श्री सत्यदेवसिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वित्त निगम का विचार कराधेय बांड जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका मूल्य कितना है;

(ग) क्या इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो ये बांड कब से जारी कर दिये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेल वित्त निगम का पब्लिक ईश्यू के जरिए 500 करोड़ रुपये की राशि तथा प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 500 करोड़ रुपये की राशि के बांड जारी करने का प्रस्ताव है। इस पर 16.5% की वार्षिक दर से ब्याज देय होगा जिसका भुगतान पहली जनवरी और पहली जुलाई को किया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारतीय रेल वित्त निगम की जनवरी, 1996 के अंत तक अपने पब्लिक ईश्यू के साथ बाजार में प्रवेश करने की योजना है। आम जनता के लिए अंशदान हेतु इस निर्गम के तीन सप्ताह तक खुला रहने की आशा है। आबंटन मार्च, 1996 तक किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

मेडिकल तथा दंत चिकित्सा शिक्षा को राजसहायता

3584. श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में मेडिकल और दत्त चिकित्सा शिक्षा हेतु छात्रों को राजसहायता देने का कोई निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिर्जव बैंक ने कोई धनराशि निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो 1995-96 के दौरान अब तक छात्रों को कुल कितना ऋण वितारित किया गया;

(घ) क्या कोई मार्गनिर्देश जारी किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11.8.1995 के अपने आदेश में किसी प्राइवेट चिकित्सा कालेज में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र के संबंध में 5000 रु० की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्देश दिया हो कि चाहे उस छात्र को योग्यता के आधार पर प्रदेश दिया गया है अथवा शुल्क देने के बाद प्रवेश दिया गया है। न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी निर्देश दिया है कि वह प्राइवेट चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा कालेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों को मेरिटसीट के लिए प्रतिछात्र 15000 रु० तथा पेमेन्ट सीट के मामले में 50,000 रु० प्रति छात्र की दर से अध्ययन ऋण बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार करे।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से सूचना प्राप्ति नहीं हुई है।

(घ) से (ङ) ऋण के बारे में स्कीम तैयार किए जाने तक भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह निर्देश दिए हैं कि वे प्राइवेट मेडिकल और दन्तय चिकित्सा कालेजों के छात्रों को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर संबंधित कालेज से प्रवेश प्रमाणपत्र, पारिवारिक आय, ऋण अदायगी का बंध पत्र, प्रदत्त ऋण के लिए बैंक द्वारा मांगी गई पर्याप्त जमानत पर ऋण मंजूर करें।

डेक्टिलोग्राफी

3585. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/चुनाव आयोग को जाली वोटों को रोकने के लिए डेक्टिलोग्राफी' (फिंगरप्रिंट) के लिए साफ्टवेयर का विकास करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच०आर भारद्वाज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

3586. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मृत व्यक्ति के आश्रितों को सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में कोई प्रावधान करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति विषयक एक योजना विद्यमान है, जिसमें यह व्यवस्था है कि किसी सरकारी कर्मचारी जिसकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है अथवा जो 55 वर्ष (समूह "घ" के मामले में 57 वर्ष) की आयु प्राप्त करने से पहले पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 38 के अधीन अथवा सिविल सेवा विनियमावली के तद्नुरूपी उपबंधों के अधीन चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त होता है तो उसकी विधवा/विधुर पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचारण हेतु पात्र हैं ताकि उसके परिवारजनों को आर्थिक संकट से उबारा जा सके। इसके अतिरिक्त यदि संबंधित सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय अथवा चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्ति के समय अविवाहित था और उसके अन्य परिवारजन उस पर आश्रित हैं तो उसके आश्रित भाइयों/बहनों में से कोई एक अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचारण हेतु पात्र होगा बशर्ते कि वह इस आशय का वचन देता है/देती है कि वह कर्मचारी उस पर आश्रित अन्य परिवारजनों की देखभाल करेगा/करेगी।

(ग) से (ङ) जी नहीं। कर्मचारी के सेवाकाल में मृत्यु होने मात्र से ही उसका परिवार ऐसी आजीविका के साधन का हकदार नहीं बनता है। सरकार अथवा संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा मृत कर्मचारी के परिवार की आर्थिक परिस्थितियों की जांच करना अपेक्षित है और परिवार के पात्र सदस्य को नौकरी तभी दी जाए जब इस बात की संतुष्टि कर ली जाए कि नौकरी की व्यवस्था के बिना परिवार आर्थिक संकट से उबर नहीं पाएगा। सरकार के इस मत का समर्थन उच्चतम न्यायालय ने भी श्री उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा सरकार तथा अन्य तथा अनिल मलिक बनाम हरियाणा सरकार तथा अन्य के मामलों में दिनांक 4.5.94 के अपने निर्णय में किया है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में रेत प्रसंस्करण कम्पलेक्स

3587. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम/विजयानगरम जिलों में रेत भंडारों का उपयोग करने तथा रेत प्रसंस्करण कम्पलेक्स स्थापित करने हेतु संयुक्त उद्यम लगाने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इसमें कब से कार्य शुरू हो जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम के बीच, (I) प्रति वर्ष एक लाख मीटरी टन इल्मेनाइट तथा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में रूटाइल, जर्कन, गार्नेट आदि जैसे अन्य संबद्ध खनिजों का उत्पादन करने की क्षमता सहित खनन और खनिजों के पृथक्करण के लिए तथा (II) आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम-भीमिली पत्तनम पुलिन बालुका पट्टी में स्थापित खनिज पृथक्करण संयंत्र द्वारा उत्पादित किए जाने वाले इल्मेनाइट में से मूल्य-वर्धित संबद्ध उत्पादों

के लिए, संयुक्त उद्यम कम्पनियाँ स्थापित करने हेतु एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंडियन रेअर अर्थ्स द्वारा विभिन्न एजेन्सियों के साथ ईक्विटी की सहभागिता और अन्य भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों के साथ सहकार करने के संबंध में बातचीत की जा रही है। परियोजना-पूर्व कार्य जैसेकि संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करना, खनन-कार्य के पट्टे के लिए आवेदन-पत्र देना, पर्यावरण संबंधी अनुमति लेना आदि किए जा रहे हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए हैं।

(घ) चूंकि यह प्रस्ताव अभी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए वर्तमान में किसी निश्चित समयावधि के बारे में नहीं बताया जा सकता।

तमिलनाडु में छोटे एवं मध्यम शहरों का विकास

3588. डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्दरम : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार और आवास एवं शहरी विकास निगम द्वारा तमिलनाडु में छोटे और मझोले शहरों के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1994-95 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई तथा वस्तुतः कितनी धनराशि व्यय की गई ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) छोटे और मझौले कस्बों का एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम (आईडीएसएमटी) केन्द्र सरकार द्वारा 1979-80 में आरम्भ की गई थी और 1995 के दौरान इसे दोबारा बनाया गया है। संशोधित आई डी एस एम टी स्कीम का उद्देश्य चुने गये छोटे और मझौले कस्बों में भारत सरकार और राज्य सरकार तथा आवास व नगर विकास निगम/अन्य संस्थाओं/नगरपालिकाओं के माध्यम से परियोजनाओं के लिए निधियों जुटाते हुए अवस्थापना विकास करना है। स्कीम की वित्त व्यवस्था पद्धति इस प्रकार है :—

कस्बे की श्रेणी	परियोजना लागत	केन्द्रीय सहायता (अनुदान) अधिकतम	राज्य शेयर (अनुदान)	हडको/वित्तीय संस्थान से ऋण/अन्य स्रोत
क (<2000)	100	48	32	20(20%)
ख (20000-50000)	200	90	60	50(25%),
ग (50000-100000)	350	150	100	100(29%)
घ (1-3 लाख)	550	210	140	200(36%)
ङ) (3-4 लाख)	750	270	180	300(40%)

परियोजनाएं, जिनको आई डी एस एम टी के तहत लिया जा सकता है उनमें मास्टर प्लान सड़कों और नालों का निर्माण/सुधार, बस/ट्रक टर्मिनल, मार्किट परिसर, स्थल और सेवाएं, पार्क और खेल मैदान, पर्यटक सुविधाए आदि शामिल हैं। आईडीएस समटी स्कीम तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों में लागू है।

(ख) 1994-95 के दौरान तमिलनाडु सरकार को जारी की गई केन्द्रीय सहायता की कुल राशि 139 लाख रुपये हैं। चूंकि निधियां वित्त वर्ष 1994-95 के अंत में जारी की गई थी, 1994-95 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं पर तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया खर्च का विवरण 1995-96 के अंत तक उपलब्ध होगा।

विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण

3589. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और जर्मनी की सीमेंस एजी कंपनी ने भारत में और विदेशों में विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण और नवीकरण हेतु कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रदत्त पूंजी बी०एच०ई०एल० और सीमेंस का अलग-अलग हिस्सा और संयुक्त समिति के अन्य उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी सहमति ज्ञापन/समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजन हेतु भारत में किन्ही विद्युत संयंत्रों की पहचान कर ली गई है;

(च) यदि हां, तो उनके स्थान और प्रत्येक संयंत्र पर आने वाले अनुमानित व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिन पर संयुक्त उद्यम कंपनी ने विदेशों में कार्य शुरू किया है; और

(ज) भारत में और विदेशों में संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए कोष बनाने और इसे वित्त पोषित करने का तरीका क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) भारत हैवी इलेकिट्रकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा जर्मनी की सीमेंस ए०जी० के साथ भारत में तथा कुछ अन्य देशों में ऐसे फॉसिल ईंधन विद्युत संयंत्रों के, जो निम्न उपलब्धता वाले न्यून संयंत्र भार कारकों पर चल रहे हैं, संयंत्र निष्पादन सुधार करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी प्रवर्तित करने हेतु कुछ उपाय शुरू किए गए हैं।

(ख) इस प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी की प्रदत्त पूंजी 4 करोड़ रुपये होगी। भेल का अभिदान 50% से एक शेयर कम होगा, जबकि सीमेंस का शेयर शेष 50% जमा एक शेयर होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना से पहले विभिन्न ब्यौरों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टियों के बीच बातचीत जारी रखने का समझौता-ज्ञापन में, विचार किया गया है।

(ङ) और (च) यह प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी, न्यून संयंत्र भार कारकों पर चल रहे तथा निम्न उपलब्धता वाले विद्युत संयंत्रों का संयंत्र-निष्पादन सुधार उपभोक्ता की आवश्यकताओं के आधार पर करेगी।

(छ) चूंकि संयुक्त उद्यम कंपनी अभी स्थापित की जानी है, इसलिए इस समय यह प्रश्न नहीं उठता।

(ज) इस प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी का भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन स्वतंत्र विधिक अस्तित्व होगा और इसके वित्त-पोषण की विधि विशिष्ट निविदा शर्तों पर निर्भर करेगी।

पी० जी० आई०, चंडीगढ़

3590. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोगियों की अत्यधिक संख्या होने पर भी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फार मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च (पी०जी०आई० एम०ई०आर०) चंडीगढ़ में जो सरकार का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है, केवल 70 बिस्तरों से ही काम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं और रोगियों की संख्या को देखते हुए सरकार की इस संस्थान और इससे संबंद्ध अस्पताल का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर आने वाली लागत और इसके कार्यान्वयन की संभावित तारीख सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) से (ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ से संबंद्ध नेहरू अस्पताल में 1104 पलंग हैं। सभी प्रकार के आपातकालीन तथा गंभीर रोगियों को 24 घंटे देखा जाता है। रोगियों को तेजी से देखने के लिए अतिरिक्त कम्प्यूट्रीकृत शुल्क काउंटरों की व्यवस्था की गई है।

न्यायिक अभियोजन

3591. श्री बी० एल० शर्मा (प्रेम) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की अदालतों में ऐसी कितनी प्राइवेटे लिमिटेड कंपनियों पर मुकदमे चल रहे हैं जिन्हें कंपनियों के रजिस्ट्रार को अपनी वार्षिक बैलेंसशीट प्रस्तुत न करने के लिए अपराधी ठहराया गया है;

(ख) कितने मामलों में न्यायिक अभियोजन लम्बित हैं;

(ग) अदालतों में मामलों के लम्बित पड़े रहने के क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार छोटी कंपनियों के लाभार्थ अधिनियमों में यथोचित संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास वार्षिक तुलन पत्र प्रस्तुत न करने के लिए 30.9.95 तक की स्थिति के अनुसार 1120 निजी कम्पनियों तथा 32 लिमिटेड कम्पनियों पर अभियोजन चलाया जा रहा है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान कर लिए जाने पर पिछले बकाया मामलों को निपटाया जायेगा।

(घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आम चुनाव

3592. श्री राम पाल सिंह :
श्री अमर पाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोक सभा के चुनावों के साथ विधान सभा के चुनाव भी कराए जाने के बारे में विपक्ष से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने इस विषय पर अभी तक कोई राय कायम नहीं की है। तथापि, भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि उसने यह विनिश्चय किया था कि राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन, जहां-जहां ये जुलाई, 1996 से पहले होने हैं, लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के साथ कराए जाएंगे।

लघु क्षेत्र के उद्योग में विदेशी प्रौद्योगिकी

3593. श्री नवल किशोर राय :
श्री नीतीश कुमार :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र के उद्योगों में विदेशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और इससे लघु उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) विदेशी प्रौद्योगिकी लघु उद्योगों द्वारा तभी प्राप्त की जा सकती है यदि संयंत्र और मशीनरी को लागत लघु उद्योगों को निवेश सीमाओं से अधिक नहीं होती है। वास्तविक मूल्य पर की गई गणना के अनुसार इस समय लघु उद्योगों के संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की सीमा 60 लाख रुपये है। लघु उद्योगों में देशी और विदेशी दोनों प्रकार की आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण को सूचना के प्रसार प्रदर्शनियों, हाट बाजारों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। लघु उद्योग क्षेत्र में आधुनिकता और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए भी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस०आई०डी०बी०आई०) द्वारा निधि की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुविधाजनक बनाने हेतु लघु उद्योग एककों द्वारा आई०एस०ओ० 9000 प्रमाणीकरण प्राप्त करने संबंधी सहायता जैसी कुछ योजनाएं भी लागू की जा रही है।

[अनुवाद]

अजमेर में सेरेमिक उद्योग केन्द्र

3594. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अजमेर जिले में सार्वजनिक क्षेत्र में सेरेमिक उद्योग केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या उन्हें संशोधित परियोजना भेजने की सलाह दी गई है;

(घ) किस आधार पर संशोधित परियोजना प्रस्तुत की जानी थी;

(ङ) क्या उन्होंने संशोधित परियोजना प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मन्त्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) अजमेर में सेरेमिक उद्योग स्थापित करने संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग को निम्नलिखित आधार पर संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिये सलाह दी गई है।

(1) आर्थिक जीवयक्षम परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु बाह्य अभिकरणों का पता लगाना और उनकी वित्तीय वचनबद्धता।

(2) क्रियान्वयन अभिकरण।

(3) क्या राज्य सरकार/गैर-सरकारी संगठनों/उद्योग परिसंघ/वित्तीय वचनवद्धता सहित कोई संयुक्त उद्यम परियोजना है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिकाओं का गठन

3595. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री मणि शंकर अय्यर :

क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों तथा अन्य सम्बद्ध राज्य कानूनों के अंतर्गत किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नगरपालिकाओं, नगर निगमों आदि के चुनाव कराए गए हैं;

(ख) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चुनाव नहीं कराए गए हैं अथवा आंशिक रूप से कराए गए हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में चुनाव कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त संशोधन के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है और चुनाव पूर्ण कराने हेतु कौन सी तिथि निर्धारित की गई है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) अनुवर्ती कार्रवाई में संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के तहत कार्यान्वयन और प्रचालन के विभिन्न प्रावधानों में राज्य सरकारों को तकनीकी रूप से सहायता देने और मामले में सख्ती से कार्यवाही करने पर विचार किया गया है। इस स्थिति में विभिन्न कार्रवाईयों के पूरी होने बाबत किसी समय-सीमा का उल्लेख करना संभव नहीं हैं।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	क्या संविधान 74वां संशोधन अधिनियम के तहत चुनाव हो गए हैं	पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्ण (वे मामले शामिल नहीं जो न्यायाधीन हैं	चुनाव न कराने के कारण
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	हां	आंशिक	साथ लगी ग्राम पंचायतों को निगम सीमाओं में शामिल करने की वजह से 9-आसपास की नगरपालिकाओं को मिलाकर बृहत्तर हैदराबाद का गठन बालाजी दिव्या केशेटराम आदि का गठन
2.	आसाम	हां	आंशिक	राज्य सरकार द्वारा कारण नहीं बताएं गए हैं।
3.	बिहार	नहीं	–	राज्य सरकार द्वारा कारण नहीं बताएं गए हैं।
4.	गोवा	हां	आंशिक	साथ लगे क्षेत्रों को दो नगर-पालिकाओं में शामिल करने की वजह से।
5.	गुजरात	हां	पूर्ण हो गए हैं	–

1	2	3	4	5
6.	हरियाणा	हां	आंशिक	दो नगरपालिकाओं बाबत न्यायालय मामलों की वजह से
7.	हिमाचल प्रदेश	नहीं		राज्य सरकार ने बताया है कि चुनाव दिसम्बर, 95 में कराए जाएंगे।
8.	कर्नाटक	नहीं		राज्य सरकार द्वारा कारण नहीं बताए गए हैं।
9.	केरल	हां	पूर्ण हो गए हैं	–
10.	मध्य प्रदेश	हां	पूर्ण हो गए हैं	–
11.	महाराष्ट्र	हां	आंशिक	एक नगर पालिका, जिस बाबत कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया था, को छोड़कर सभी नगरपालिकाओं बाबत चुनाव पूर्ण हो गए हैं।
12.	मणिपुर	हां	पूर्ण हो गए हैं	–
13.	उड़ीसा	हां	आंशिक	राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर ओबीसी आरक्षण बाबत राज्यपाल की सहमति की प्रतीक्षा है
14.	पंजाब	हां	पूर्ण हो गए हैं	–
15.	राजस्थान	हां	पूर्ण हो गए हैं	–
16.	तमिलनाडु	नहीं		राज्य सरकार द्वारा कारण नहीं बताए गए हैं।
17.	त्रिपुरा	नहीं		राज्य सरकार ने बताया है कि चुनाव दिसंबर, 95 के अंत तक पूरे हो जाएंगे।
18.	उत्तर प्रदेश	हां	आंशिक	उत्तराखंड में आदोंलन की वजह से चुनाव नहीं कराए जा सके।
19.	पश्चिम बंगाल	हां	पूर्ण हो गए हैं	–
20.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है।
21.	सिक्किम	नहीं		राज्य सरकार ने हाल ही सिक्किम नगर पालिका अधिनियम 1995 लागू किया है (पहले कोई यूएलवी नहीं थी)
22.	जम्मू व कश्मीर	अधिनियम लागू नहीं है।		
23.	मेघालय			
24.	मिजोरम			
25.	नागालैंड			
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	दिल्ली	नहीं		रा०रा० क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुरोध के अनुसार केन्द्रीय पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती संभव होने पर चुनाव कराए जाएंगे।
2.	चंडीगढ़	नहीं		वार्डों की सीमाएं पुनः तय करने में विलंब की वजह से चुनाव नहीं कराए जा सके (उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश)
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	हां	पूर्ण हो गए हैं	–
4.	दमन	नहीं		चुनाव जनवरी, 96 में कराए जाएंगे।
	व द्वीव	नहीं		पहले ही निर्वाचित निकाय हैं
5.	पांडिचेरी	नहीं		चुनाव जनवरी, 96 में कराए जाएंगे।
6.	दादरा व नगर हवेली			कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है।
7.	लक्षद्वीप			कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है।

[हिन्दी]

छाताधारी सैनिकों द्वारा संयुक्त अभ्यास

3596. श्री बलराज पासी :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के छाताधारी सैनिकों ने हाल ही में आगरा में संयुक्त अभ्यास किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या उद्देश्य थे;

(ग) उक्त संयुक्त अभ्यास कितने समय तक किए गए; और

(घ) इस अभ्यास में कितने भारतीय छाताधारी सैनिकों ने भाग लिया?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) भारत-अमरीका संयुक्त छाताधारी सैनिक अभ्यास 14 से 22 सितंबर 1995 तक आगरा में आयोजित किया गया था जिसमें 90 छाताधारी सैनिकों ने भाग लिया था। यह अभ्यास भारत-अमरीका रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने तथा नई प्रशिक्षण तकनीकों को आत्मसात करने के लिए आयोजित किया गया था।

[अनुवाद]

होम्योपैथिक चिकित्सक

3597. श्री भगवान शंकर रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों के समान ही सुविधायें प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो होम्योपैथिक चिकित्सकों को ये सुविधायें प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अब सरकार का विचार होम्योपैथिक चिकित्सकों को ये सुविधायें प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ये सुविधायें कब तक प्रदान की जायेंगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) जी हां।

(ख) होम्योपैथिक डाक्टर एलोपैथिक डाक्टरों के समान सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं अर्थात् उनके वेतनमान समान हैं, उनका प्रेविटस बंदी भत्ता बराबर है, उन्हें समान स्नातकोत्तर भत्ता, पुस्तक भत्ता और वही वाहन भत्ता मिल रहा है।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

बीड़ी कामगार

3598. श्री जी० गंगा रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन का आन्ध्र प्रदेश में बीड़ी कामगारों के लिए वैकल्पिक नियोजन हेतु कोई कोष बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के बीड़ी कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कितनी राशि है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल योजनाएं

3599. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे ने 13 करोड़ रुपए की दो योजनायें रेलवे बोर्ड की स्वीकृति हेतु भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने इन योजनाओं की स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक लाईसेंस

3600. श्री शान्ताराम पोतदुरवे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाईसेंस जारी करने के लिए विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा उद्योग मंत्रालय को कितने आवेदनों की सिफारिश की गई है;

(ख) क्या उद्योग मंत्रालय ने उनमें से कुछ को लाईसेंस जारी कर दिए हैं और कुछ मामलों में लाईसेंस देने पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है जबकि वे उनके जैसे ही हैं जिनको पहले ही लाईसेंस दिया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्र० सी० सिल्वेरा) : (क) से (ग) औद्योगिक लाईसेंस संबंधी आवेदनों को प्राप्त करना और उनका निपटान करना एक सतत् प्रक्रिया है। निर्धारित पद्धति के अनुसार, आवेदन प्रशासनिक मंत्रालयों सहित सभी संवीक्षा करने वाले अभिकरणों को परिचालित किये जाते हैं। प्रशासनिक मंत्रालयों सहित संविक्षा करने वाले से प्राप्त सिफारिशों पर सरकार के उद्योग मंत्रालय में विचार किया जाता है। ऐसा करते समय, विशेष क्षेत्र में लागू लाईसेंसीकरण के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग-अलग मामलों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और उन पर निर्णय लिया जाता है।

दुर्घटनाएं

3601. श्री पंकज चौधरी :
प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 के दौरान हुई दुर्घटनाओं की जांच के लिए कितनी समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया;

(ख) क्या इन समितियों ने अपनी रिपोर्टें सौंप दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त रिर्पोटों के कब तक सौंपे जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) प्रत्येक गाड़ी दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त अथवा विभागीय/अंतः विभागीय जांच समितियों द्वारा की जाती है, ये जांच समितियां दुर्घटना के कारणों की जांच करती हैं, दुर्घटना की जिम्मेदारी निर्धारित करती हैं और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभिन्न सिफारिशें और उपाय सुझाती हैं, इन जांच समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की गहन जांच की जाती है तथा उपयुक्त उपाय किए जाते हैं और जिम्मेवार पाए गए रेल कर्मचारियों, के विरुद्ध तब उपर्युक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है;

1995 के दौरान रेल संरक्षा आयुक्तों ने 16 दुर्घटनाओं की जांच की है, जिनमें से 9 मामलों में उनकी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं और शेष 7 मामलों मे प्रारंभिक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों द्वारा विनिवेश

3602. श्री नीतीश कुमार :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कुछ सरकारी उपक्रमों के पब्लिक इश्यू जारी करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया था तथा किन-किन उपक्रमों के इश्यू जारी करने का निर्णय लिया गया था;

(ग) क्या सरकार द्वारा पूंजी निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार के इश्यू जारी करने के सम्बन्ध में क्या प्रकिया अपनाई गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का पब्लिक इश्यू जारी नहीं करती है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

रक्षा सामग्री की चोरी

3603. श्री अमर पाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मुराद नगर स्थित आयुध कारखाने से माह अगस्त-सितम्बर, 1995 में अधिकारियों की साठ-गांठ से 400 कि०ग्रा० से अधिक निकिल चुरा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) कारखाने के सुरक्षा प्रबंधको चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और चोरी के मामलों के संदिग्ध व्यक्तियों को क्या दण्ड किया गया है;

(घ) क्या कारखाने के ईमानदार सुरक्षा कर्मियों को प्रबंधन द्वारा परेशान किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे सुरक्षा कर्मियों को दिए गए पुरस्कार का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस मामले में सुरक्षा कार्मिकों की ओर से भी कुछ त्रुटियां हुई हों। दायित्व निर्धारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

आयुध निर्माणी, मुरादनगर के अलौह गोदाम के स्टोरकीपर इन्चार्ज ने 01 सितंबर, 1995 को बताया कि गोदाम की छत के जरिए लगभग 400 कि०ग्रा० निकिल की चोरी हुई है क्योंकि छत की ऐस्बेस्टॉस शीट थोड़ी-सी खिसकी हुई पाई गई थी। महाप्रबंधक ने जांच बोर्ड बिठाने का आदेश दिया था। बोर्ड ने यह सूचित किया कि गोदाम में रखे ड्रमों में से कुल लगभग 438 कि०ग्रा० निकिल कम पाया गया। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पता चला है कि चोरी छत के जरिए नहीं की गई जैसा कि स्टोरकीपर ने दावा किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कमी कुछ समय के दौरान आई है। निकिल के भंडारण और संभालाई से सीधे संबद्ध तीन व्यक्तियों को 4 अक्तूबर, 1995 से निलंबित किया जा चुका है और उनके विरुद्ध बड़ी शास्ति संबंधी कार्यवाही शुरू की गई है। इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई है। सुरक्षा कर्मियों की ओर से बरती गई संभावित चूकों की जांच की जा रही है। निर्माणी की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है।

[हिन्दी]

महानगरों में गन्दी बस्तियां

3604. श्री जनार्दन मिश्र :

81

श्री नीतीश कुमार :

श्री वृशिण पटेल :

क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महानगरों में गन्दी बस्तियों की बढ़ती संख्या की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इसके प्रमुख कारणों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारं का विचार गन्दी बस्तियों की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार व गरीबी उन्मूलन विभाग) में तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) से (ग) स्लम विकास राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र सरकार ने देश में समग्र रूप से स्लमों का कोई विशेष व्यापक सर्वेक्षण आरंभ नहीं किया है। हालांकि अनुमान है कि 1981 में ज्ञपत स्लम जनसंख्या 2792 मिलियन थी जो 1991 में लगभग 67 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 46.621 मिलियन हो गई।

(घ) और (ङ) स्लम निवासियों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही रहा है। सरकार ने स्लमों को बढने से रोकन के लिए निवारक तथा उपचारी दोनों विभिन्न उपाय किए है। निवारक उपायों के तहत छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की योजना (आई डी एस एम टी) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी तथा इसे सातवीं और आइवीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़ाया गया था जिसका लक्ष्य छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों में बुनियादी तथा अन्य अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था पर निवेश बढ़ाकर लोगों द्वारा बड़े शहरों में आकर बसने की समस्या को किसी हद तक कम करना है। उपचारी उपायों के तहत मौजूदा स्लम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मुहैय्या कराने के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं :–

(I) शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार की योजना (ई आई यू एस) मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों सहित सभी शहरी क्षेत्रों में 1972 से लागू है। फिलहाल, यह योजना राज्य क्षेत्र में शामिल है और इसके तहत जलापूर्ति, सीवर, बरसाती पानी की नालियों, सामुदायिक स्नानघर, सामुदायिक शौचालय, मौजूदा सड़कों को चौडा करना तथा खंडजे बिछाना और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जैसी निम्नतम बुनियादी सेवाओं/सुविधाओं की व्यवस्था पर विचार किया गया है। योजना आयोग द्वारा राज्य क्षेत्र नियतन के तहत प्रति व्यक्ति 800 रुपये की राशि का नियतन किया गया है।

(II) इसके अतिरिक्त, निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाओं की योजना भी लागू है जिसके अंतर्गत बाल विकास, महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना तथा स्लम जनसंख्या के लिए सामुदायिक संगठन के साथ-2 पर्यावरणीय स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य, पूर्व-विद्यालय शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्लम स्तर पर अन्य सामाजिक सेवाएं मुहैय्या कराने पर विचार किया गया है।

(III) इसी प्रकार, 1989 में आरंभ की गई नेहरू रोजगार योजना का लक्ष्य रोजगार उद्यमों की स्थापना में बेरोजगार/अल्परोजगार युवकों की सहायता करना, उपयोग परिसंपत्तियों का सृजन तथा स्लम क्षेत्रों में आवास तथा भवन निर्माण कार्यकलापों में लगे व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना है।

(IV) बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर तथा हैदराबाद सहित मेगा शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के केन्द्र प्रवर्तित योजना 1993-94 में आरंभ की गई है। योजना के अंतर्गत जलापूर्ति, सीवरेज, जल-निकासी स्वच्छता, शहरी परिवहन, भूमि बिकास कूडे-कचरे का निपटान जैसी शहरी बुनियादी सेवाओं तथा स्लम सुधार के लिए वित्त की व्यवस्था पर विचार किया गया है।

(V) बंबई के मेट्रोपोलिटन शहर में आवास की गंभीर समस्या से निपटने तथा स्लम निवासियों को सेवाएं और सुविधाये मुहैय्या कराने के लिए भारत सरकार ने राजीव गांधी विवारा प्रकल्प (आर जी एन पी) नामक प्रधान मंत्री की अनुदान परियोजना (पी एम जी पी) के तहत 1986 में 100 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है। योजना के घटक क्रमशः स्लम उन्नयन कार्यक्रम (22 करोड़ रुपये), आराबी पुनर्विकास (37 करोड़ रुपये) शहरी नवीकरण तथा पुनर्निर्माण परियोजनाएं (41 करोड़ रुपये) हैं। योजना 1986-87 से लागू है तथा 100 करोड रुपये की राशि रिलीज की गई है।

(VI) स्लम निवासियों सहित शहरी निर्धनों के लिए प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) हाल ही में आरंभ किया गया है तथा इसके नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहने की संभावना है। इस पैकेज में लघु उद्यमों की स्थापना तथा दक्षता विकास के माध्यम से स्वरोजगार, बुनियादी भौतिक सुविधाओं, आश्रय उन्नयन के माध्यम से पर्यावरणीय सुधार तथा सामुदायिक संगठन और रोजगार शामिल है। यह योजना 1991 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 1,00,000 तक की आबादी वाले क्षेणी-II के सभी 345 शहरी समूहों में लागू होगी।

[अनुवाद]

"रैक प्वाइंट"

3605. श्री छेदी पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में लातूर रोड़ रेलवे स्टेशन पर "रैक प्वाइंट" का निर्माण करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में पेयजल

3606. श्री रतिलाल वर्मा : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के शहरी क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाइ के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना को लागू करने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) से (ग) गुजरात राज्य के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत अनुमोदित जल आपूर्ति स्कीम इस प्रकार है:—

कस्बे का नाम		परियोजना लागत (रु० लाखों में)
1.	बंतवा	38.50
2.	मेनदारदा	49.00
3.	धर्मपुर	54.00
4.	ध्रोल	132.60
5.	जोदिया	110.25
6.	ओखा	14.50
		398.95

नवम्बर, 1995 में राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन स्कीमों का काम अभी शुरू होना है। जल आपूर्ति की स्कीमों को पूरा होने में सामान्यतः 2/3 वर्ष लगते हैं।

[अनुवाद]

जनरल अस्पताल

3607. श्री राम निहोर राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में कोई जनरल अस्पताल नहीं है;

(ख) क्या इन जिलों के निवासियों को अपनी चिकित्सा के लिए मजबूरन बी०एच०यू० अस्पताल, वाराणसी जाना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में एक-एक जनरल अस्पताल खोलने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) से (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं संसाधनो की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य में अस्पताल खोलने राज्य सरकार का उत्तरादायित्व हैं।

कंपनी सचिव अधिनियम

3608. श्री शरत पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) जी हां। कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का एक व्यापक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ ही विभिन्न उद्देश्यों के लिए शुल्क का निर्धारण करने, "व्यवसाय में लगे कम्पनी सचिवों" की परिभाषा का विस्तार करने, "व्यवसाय का प्रामण-पत्र" को जारी करने के लिए पात्रता, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को निपटान करने में कुछ परिवर्तन, उप-विधि आदि बनाने की शक्तियों आदि से सम्बन्धित उपबन्धों में संशोधन किए जाने सम्मिलित हैं। इस संबंध में अब तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) उपर्युक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा उपकरण

3609. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली को गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से दान/उपहार के रूप में प्राप्त चिकित्सा उपकरणों/सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) दान/उपहार के रूप में प्राप्त उपकरण की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) किन-किन देशों ने ऐसे उपकरणों का दान दिया है;

(घ) क्या उन आयतित उपकरणों का अत्यधिक दुरूपयोग हुआ है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) से (ग) अस्पताल ने जर्मनी सामग्री सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से उपकरण प्राप्त किए हैं। जर्मन सामग्री सहायता कार्यक्रम तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्तर्गत उनकी लागत तथा देश के नाम सहित अधिप्राप्त उपकरणों का विवरण-I और II में सलंग्न है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के लिए वर्ष 1995-96 में जर्मन सहायता सामग्री कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिप्राप्ति कक्ष द्वारा निःशुल्क प्राप्त किए गए उपरकणों की सूची

क्र०सं०	उपकरण का नाम	निर्माता देश	अनुमानित लागत	
1.	12 लीड वैनल इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम (2)	अमरीका	22,600.00	डालर
2.	लैपरोस्कोप (1)	जर्मनी	76015.10	ड्यूश मार्क
3.	साइटोस्कोप (1)	जर्मनी	76264.00	"
4.	आर्थ्रोस्कोप (1)	जर्मनी	104567.40	"
5.	ओ०टी० साइट सीलिंग	जर्मनी	32811.00	"
6.	डैफिब्रिलेटर मॉनिटर (4)	जर्मनी	116564.00	"
7.	सैन्ट्रल मानीटरिंग सिस्टम (1)	जर्मनी	27430.00	"
8.	बैड साइड मानीटर्स (4)	जर्मनी	144424.00	"
9.	सी आर्म इमेज इन्टेंसीफायर बी वी 29 (1)	नीदरलैंड	138807.00	डालर
10.	अल्फोन ब्लड सैल काउंटर (2)	जर्मनी	61752.00	ड्यूश मार्क
11.	वी आई पी वर्ड वैन्टीलेटर (2)	अमरीका	251041.00	डालर
12.	मोबाइल पार्टेबल लाइट (2)	जर्मनी	11300.00	ड्यूश मार्क
13.	ऑब्सटरिक पेयर/हाइड्रालिक बैड (1)	फिन्लैन्ड	11684.00	ड्यूश मार्क
14.	मल्टी हैड माइक्रोस्कोप (1)	जापान	676793.00	येन
15.	बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर (3)	हांगकांग	82400.00	डालर
16.	इलैक्ट्रोसर्जिकल यूनिट्स (2)	अमरीका	15100.00	डालर
17.	पल्स आक्सीमाटर्स (10)	फिलैंड	29000.00	डालर
18.	आई सी यू बैड्स; इलैक्ट्रा/हाइड्रोलिक (2)	हांगकांग	20890.00	डालर
19.	नॉन इन्वेजर प्रेशर मानीटर ऑटोमेटिक (2)	जापान	54000.00	येन
20.	एतेस्थीसिया फशीन (6)	जर्मनी	2355255	ड्यूश मार्क
21.	ओपरेटिंग माइक्रोस्कोप (2)	जापान	1221400.00	येन
22.	अल्ट्रासाउन्ड (2)	जर्मनी	74330.00	ड्यूश मार्क
23.	रेस्पिरेटर/वेन्टीलेटर (2)	ब्रिटेन	33440.00	डालर
24.	कॉल्पोस्कोप (1)	जर्मनी	10184.00	ड्यूश मार्क
25.	बेबी इन्कुबेटर (2)	सिंगापुर	13160.00	डालर
26.	बेबी वारमन बैड (2)	सिंगापुर	7526.00	डालर
27.	बेहरिंग फिबरिनेटिमेर (1)	जर्मनी	77745.00	ड्यूश मार्क
28.	फ्रैक्टोस्कैन जूनियर (1)	जर्मनी	67200.00	"
29.	ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्र (1)	ब्रिटेन	9052.68	पौण्ड
30.	सेक्शन मशीन (4)	जर्मनी	14392.00	ड्यूश मार्क
31.	आपरेशन थिरेटर टेबल (2)	जर्मनी	47700.00	"
32.	कम्प्यूटराइज्ड आटोमेटिक सेल काउंटर (1)	फ्रांस	16000.00	डालर

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में निःशुल्क उपहार/दान के रूप में प्राप्त सामग्री की सूची

क्र०सं०	वस्तु का नाम	वर्ष	लागत से
1.	रंगीन टेलिविजन	92-93	विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त निःशुल्क उपहार (लागत ज्ञात नहीं)
2.	बी०सी०आर०	92-93	-तदैव-
3.	डम्मी (वयस्क, शिशु एवं बच्चा)	92-93	-तदैव-
4.	वेइंग मशीन (1)	92-93	-तदैव-
5.	वेट सकेल स्टेंड (1)	92-93	-तदैव-
6.	ब्लड गैस एनालाइजर (1)	92-93	-तदैव-
7.	मिंगोग्राफ	92-93	-तदैव-
8.	डेन्टल यूनिट (3)	92-93	-तदैव-
9.	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ	92-93	-तदैव-
10.	सेक्शन मशीन	93-94	-तदैव-
11.	एम्बुलटरी की० प्रैशर मशीन	94-95	-तदैव-

[हिन्दी]

सड़क सुरक्षा उपाय

3610. **श्री एस०एम० लालजान बाशा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्धारित किया है कि सभी चौपहिया वाहनों का निर्माण न्यूनतम सड़क सुरक्षा उपायों की व्यवस्था के साथ किया जाये;

(ख) क्या सुरक्षा उपायों में वृद्धि करने के लिये वाहन निर्माताओं के साथ कोई बैठक आयोजित की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां। वाहन विनिर्माताओं को मोटर यान् अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होता है।

(ख) और (ग) जी, हां। हाल ही में वाहन विनिर्माताओं तथा इससे संबंधित अन्य संगठनों के साथ व्यावसायिक वाहनों में पावर स्टीयरिंग लगाने के बारे में एक बैठक आयोजित की गई थी इस बैठक में यह सहमति थी कि शहरों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए उनमें पावर स्टीयरिंग लगाना एक अनिवार्य शर्त होनी चाहिए।

[अनुवाद]

मेडिकल छात्र

3611. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू शैक्षिक सत्र के दौरान रूस और मध्य एशियाई देशों में देशवार कितने मेडिकल छात्र अध्ययनरत हैं;

(ख) इन देशों से संस्थाओं द्वारा कितना-कितना शिक्षण शुल्क लिया जाता है;

(ग) आवास और भोजन सहित अन्य बातों पर प्रति छात्र अनुमानतः कितना खर्च आता है;

(घ) संयुक्त राष्ट्र अमरीका में इन छात्रों की शिक्षा पर अनुमानतः वार्षिक परिव्यय कितना है;

(ङ) इन देशों और छात्रों का वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित अन्य संस्थाओं द्वारा मेडिकल पाठ्यक्रम हेतु यदि कोई छात्रवृति दी जाती है तो इसके लिए छात्रों के चयन का क्या तरीका है;

(च) क्या ये मेडिकल छात्र हमारे देश में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अन्य देशों में शिक्षा ग्रहरण करने जाते हैं; और

(छ) क्या इन छात्रों द्वारा प्राप्त की गई डिग्रियां हमारे देश में विशेषज्ञता और चिकित्सा व्यवसाय हेतु संबंधित प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) से (घ) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। पूर्ण प्रतिपूर्ति के आधार पर रूसी परिसंघ में भारतीय छात्रों की शिक्षा पर 17.11.94 को रूसी उच्चतर शिक्षा राज्य समिति और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के बीच हस्ताक्षर किए गए करार के अनुसार रूसी पक्ष ने चिकित्सा छात्रों के शिक्षा संबंधी व्यय को कवर करने के लिए प्रति छात्र 3000 अमरीकी डालर प्रति वर्ष मांगे हैं।

(ङ) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में पढ़ने के लिए रूस में जाने के लिए छात्र अनेक मार्गो का उपयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय और रूस का चिकित्सा उद्योग, उच्चतर शिक्ष की रूसी परिसंघ राज्य समिति और रूस के अलग-अलग विश्वविद्यालय भारत में अनेक अभिकरणी के माध्यम से छात्र भर्ती कर रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा हस्ताक्षर किए गए करार के अनुसार एड० सी०सी०आई०एल० छात्र भर्ती कर रहा है।

(च) जी नहीं।

(छ) चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के अनुसार इनमें से कुछ चिकित्सीय अर्हताएं मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताएं हैं।

विश्व बैंक परियोजना

3612. **श्री एम०थी०वी०एस० मूर्ति**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की उस परियोजना पर कार्य पुनः

शुरू कर दिया है, जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा 700 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जानी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने महाराष्ट्र को 700 करोड़ रुपये का ऋण बहुत ही कम ब्याज दर पर देने का प्रस्ताव किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को पुनः चालू करने में केन्द्रीय मंत्री का योगदान रहा है; और

(घ) इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसे कब तक चालू किए जाने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) से (घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जिला स्वास्थ्य प्रणालियों को उन्नत बनाने के लिए तथा स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय को सुधारने के लिए 670.00 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तुत की है।

परियोजना को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है और परियोजना का मूल्य निर्धारण बैंक द्वारा निर्धारित प्रधिकाणों के अनुसार होगा।

के०स्वा०से०यो० के औचयालय

3613. श्री राम विलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले 12 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत के०स्वा० से०यो० के वरिष्ठ विशेषज्ञों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने स्थानान्तरित किए गए, किन्तु नई तैनातियों पर नहीं गए, उनकी संख्या क्या है;

(ग) नई तैनातियों पर नहीं जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) हर विशेषज्ञ की एक जगह पर पांच वर्ष की तैनाती के बाद आवर्तन के आधार पर स्थानातंरण करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

रायल्टी से आय

3614. श्री श्रीकान्त जेना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये नीति संबंधी परिवर्तनों के अन्तर्गत वैज्ञानिकों को अन्य लाभ सहित कितनी रायल्टी दी गई है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : नई नीति के प्रथम वर्ष 1994-95 में वैज्ञानिकों को रायल्टी के अंश के रूप में 17.7 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

वैज्ञानिकों को दिए गए अन्य प्रोत्साहन निम्नवत हैं :

(i) बौद्धिक संपदा के लाइसेंसीकरण से प्राप्त आय अब स्टाफ में बांटी जाती है;

(ii) अनुसंधान एवं विकास अनुबंधों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेवाओं से हुई शुद्ध बचत या शुल्क-भाग स्टाफ में बांटा जाता है;

(iii) किसी वित्तीय वर्ष में परामर्शी से किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली मादेय की अधिकतम राशि की सीमा को समाप्त कर दिया है;

(iv) सीएसआइआर ने अपने वैज्ञानिकों को कम्पनियों के निदेशक मंडल में सम्मिलित होने ही अनुमति दे दी है;

(v) सीएसआईआर के वैज्ञानिकों को इस अभिनव श्रृंखला से संबंधित सभी औद्योगिक क्रियाकलाप शुरू करने के लिए असाधारण छुट्टी (ईओपल) की अनुमति दी है; और

(vi) सीएसआईआर के वैज्ञानिकों अब उद्योग, परियोजना इंजीनियरिंग फर्मों, प्रौद्योगिकी विपणन/हस्तांतरण एजेंसियों इत्यादि के साथ अभिनव श्रृंखला की अन्य गतिविधियों पर कार्य करने के लिए सबैटिकल छुट्टी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

3615. श्री साधन राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की विभिन्न यूनियनों से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्र० सी० सिल्वेरा) : (क) जी, हां। कंपनी इस समय देश में परिवर्तित व्यवसाय-परिवेश में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही है।

(ख) घटी हुई लाभप्रदता और उच्च नियोजन लागत। मुख्यतः देनदारियों के संचय के कारण कार्यशील पूंजी की कमी।

(ग) कंपनी कार्यशील पूंजी के प्रयोजनों के लिए अल्पावधिक ऋण जुटाने के उपाय कर रही है। यह आस्थगित शर्तों पर, दूरसंचार विभाग को केबलों की आपूर्ति करने के लिए 100 करोड़ रुपये का एक ऋण पहले ही ले चुकी है। कंपनी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति स्कीम अपनाकर तथा अन्य उपाय करके उपरिलागत को कम करने के प्रयास कर रही है।

(घ) नवम्बर, 1995 में हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड एकक, हैदराबाद के कामगार और स्टाफ-संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) संघ के अध्यक्ष न हिंदुस्ताान केबल्स लिमिटेड को चलाने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है और कंपनी के प्रबंधन में अनियमितताओं के संबंध में हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप भी लगाए हैं।

(च) कंपनी के वित्तीय निष्पादन की भारी उद्योग विभाग में समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। तात्कालिक प्रचालनों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने हेतु उपाय शुरू किए गए हैं। कथित अनियमितताओं के संबंध में, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी से आरोपों की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(छ) मुख्य सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे ट्रेक

3616. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विजयवाड़ा शहर में सत्नारायण पुरम होते हुए रेलवे ट्रेक हटाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) गुडिवाडा तक शाखा लाइन के भाग, जो कि सत्यनारायण पुरम से होकर गुजरता है, को हटाने तथा अन्तर्निहित 25.3 एकड़/भाग मुख्य भूमि के भाग को छोड़ने के संबंध में सिद्धांत रूप से सहमति हुई है, बशर्ते कि छोड़ी जा रही भूमि के एवज़ में विजयवाड़ा नगरपालिका की सीमाओं के भीतर समान मूल्य की उपयुक्त वैकल्पिक भूमि रेलवे को उपलब्ध करायी जाए तथा संबद्ध कार्यों की लागत रेलवे के पास जमा कराई जाए।

जनरल अस्पताल

3617. प्रो० के०वी० थामस :
श्री ए० चार्ल्स :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करेल सरकार ने राज्य में जिला/जनरल अस्पतालों में अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने के लिए सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) जी हां। केरल सरकार से जनरल/जिला अस्पतालों में अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने के लिए 3.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए प्राप्त हुआ था।

(ख) योजना आयोग ने केरल सरकार से शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव में संशोधन करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

3616. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर बिहार के सहरसा, सपौल, मधेपुरा तथा मधुबनी जिले में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के लिए बनाई गई योजनाओं तथा इस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई राशि के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) सरकार बिहार राज्य सहित देश में राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों और नीतिगत सहायता उपलब्ध कराकर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों, संभाव्यता और उनकी अवसंरचनात्मक क्षमताओं और सरकार के पास उपलब्ध निधियों के आधार पर राज्यों को वार्षिक लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जिलावार कोई लक्ष्य आबंटित नहीं लिए जाते हैं।

ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं सीधे ही मंजूर की जाती हैं और इन परियोजनाओं के लिए योजनाओं के अनुसार विशेष धनराशि राज्य सरकार को निर्युक्त की जाती है। उत्तरी बिहार के सहरता, सुपौल, माधेपुरा और मधुबनी जिलों में से सहरसा और माधेपुरा में क्रमशः दो ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं आरंभ की गई है। इनके ब्यौरा इस प्रकार है :–

ऊर्जा ग्राम का नाम	जिला	निर्मुक्त की गई धनराशि
रौता	सहरसा	1,10,000/-रुपये
राहुआ संग्राम	मधुबनी	40,000/-रुपय

[अनुवाद]

प्रशिक्षित विमान चालक

3619. श्रीमती सरोज दुबे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना को प्रशिक्षित विमान चालकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना को प्रशिक्षित पायलटों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें अधिक संख्या में भर्ती किए जाने के लिए महिलाओं को शॉर्ट कमीशन दिए जाने के साथ ही परिवहन और हेलिकॉप्टर शाखाओं में अफसरों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन की शुरूआत की गई है। स्कूलों और कॉलेजों में भी व्यापक प्रचार किया जा रहा है। इन उपायों से 1989 से पायलटों की भर्ती में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए आरक्षण

3620. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संसद सदस्य राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आरक्षण गाड़ी छूटने से केवल एक घंटा पूर्व ही करा सकते हैं और इस कारण उन्हें भारी असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में अन्य यात्रियों के समान यात्रा करने और अपनी सीटें आरक्षित कराने की अनुमति देने के लिए कदम उठाये जाने का विचार है ?

(ग) यदि हां, तो उन्हें राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में अन्य यात्रियों के समान यात्रा करने और अपनी सीटें आरक्षित कराने की अनुमति देने के लिए कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार भूतपूर्व संसद सदस्य राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते कि आरक्षण चार्ट तैयार होने के पश्चात् इन गाड़ियों में स्थान उपलब्ध हों। मौजूदा व्यवस्था में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय दन्त अनुसंधान संस्थान

3621. श्री वी०एस० वियराघवन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
प्रो० के०वी० थामस :
श्री के० मुरलीधरन :
श्री ए० चार्ल्स :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख स्वास्थ्य संबंधी यूरोपीय कमीशन ने देश में मुख स्वास्थ्य संबंधी व्यापक कार्यक्रम लागू करने तथा केरल में एक राष्ट्रीय दंत अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने में सहायता प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कमीशन की पेशकश पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस संस्थान की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की पेशकश की है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) से (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन संबंधी ए रिकॉनेसां मिशन फार ए पोटेन्शियल यूरोपियन कमीशन प्रोग्राम ने 21 मई, 1995 से 11 जून, 1995 तक भारत का दौरा किया जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ मुखीय स्वास्थ्य परियोजना को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) "रिकॉनेसां मिशन" ने संकेत दिया कि "प्रिप्रेटरी मिशन" शीघ्र आएगा। तथापि, किसी विशिष्ट परियोजना को शमिल करने पर विचार नहीं किया गया।

आमान परिवर्तन

3622. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण मध्य रेलवे के गुन्टूर-गुन्टाकल और सिकन्दराबाद-द्रोणाचल्लम खण्डों में आमान परिवर्तन के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या निविदाएं रद्द कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गुन्टूर-गुंतकल खंड में नांदयात-द्रोणाचल्लम और द्रोणाचल्लम-गंतकल खंड के उपखंडों तथा सिकंदराबाद-द्रोणचलम खंड में द्रोणाचलम और गढ़वाल-कुरनूल खंडों के उपखंडों में मिट्टी संबंधी और पूल संबंधी कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी और उन्हें 6.9.95 को खोल गया था। निविदाओं पर प्रतिक्रिया के कम होने के कारण निविदाएं रद्द कर दी गई थीं। बहरहाल, नवीन निविदाएं पुनः आमंत्रित की गई और 1.11.95 को खोली नई हैं।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

3623. श्री नरेश कुमार बालियान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मुज़फ्फर नगर रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी फर्म

3624. श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक पिछले तीन वर्षों से कितनी विदेशी फर्मे देश में कार्य कर रही हैं तथा वे किन-किन क्षेत्रों में कार्यरत हैं;

(ख) क्या ये सभी फर्मे संबंधित राज्यों के कम्पनी पंजीयकों के द्वारा पंजीकृत की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने उन्हें पंजीकृत कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (एच०आर० भारद्वाज): (क) और (ख) ऐसी विदेशी फर्में जो कि भारत में निगमित नहीं की गई हैं, लेकिन वे केवल शाखा या सम्पर्क कार्यालय के रूप में कार्यरत हैं, मुख्यतः कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली, के पास कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 592(1) के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। ऐसे शाखा कार्यालय विदेश स्थिति अपनी फर्मों की ओर से सम्पर्क कार्य में संलग्न हैं। ऐसी विदेशी फर्मों जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली द्वारा स्थापना का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, निम्न प्रकार है :–

31 मार्च को समाप्त वर्ष	विदेशी फर्मों की संख्या
1993	529
1994	565
1995	619

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आवास अधिकार

3625. श्री सी०के० कुप्पुस्वामी : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में "आवास अधिकार" को मौलिक अधिकारों में शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथ गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि आवास को मूल अधिकार नहीं माना जाता है।

बुक स्टाल

3626. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे ने बुक स्टाल ठेकेदारों को लेखन सामग्री बेचने की अनुमति काफी समय पहले ही प्रदान कर दी थी;

(ख) क्या सरकार को प्रत्येक जोनल रेलवे में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों में अनिवार्य लेखन सामग्री प्रदान करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ग) सूचना एकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेल इंजन

3627. श्री भीम सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल इंजन और यात्री डिब्बे बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह ठेका प्रापत करने के लिए कितनी विदेशी और देश की कंपनियों ने आवेदन-पत्र दिये थे;

(घ) क्या यह ठेका किसी विदेशी कंपनी को दिया गया है; और

(ङ) यह किन शर्तों पर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी हां, मैसर्स लिंक-हॉफमैन-बॉश, जर्मनी और मैसर्स जनरल मोटर्स कार्पोरेशन, यू०एस०ए० को क्रमशः आधुनिक हल्के उच्च गति के 24 सवारी डिब्बों और 4000 अश्व शक्ति वाले 21 अद्द डीज़ल रेल इंजनों की सप्लाई के लिए आदेश दिए गए हैं। 24 सवारी डिब्बों और 21 रेल इंजनों की पोत पर्यन्त निःशुल्क लागत क्रमशः 58.5 मिलियन इयूश्च मार्क और 40.71 मिलियन अमरीकी डालर है। सवारी डिब्बों और रेल इंजनों की सुपुर्दगी क्रमशः 1998-99 और 1997-98 में की जाएगी।

(ग) विश्वव्यापी निविदाओं में सवारी डिब्बों के लिए सात विदेश फर्मों और डीज़ल रेल इंजनों के लिए आठ विदेशी फर्मों ने भाग लिया था। कोई स्वदेशी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

(घ) जी हां।

(ङ) संविदाओं की शर्तों का उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार

3628. श्री जीवन शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार दिल्ली से बाहर भी अपनी शाखाएं खोल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये शाखाएं किन नियमों के अंतर्गत खोली जा रही है; और

(ग) गरीबों के लाभार्थ केन्द्रीय भण्डार की शाखाएं दिल्ली के दूरदराज के क्षेत्रों में नही खोलने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां

(ख) इस समय केन्द्रीय भण्डार 91 शाखाएं चला रहा है, जिनमें से निम्नलिखित 22 शाखाएं दिल्ली से बाहर स्थित हैं :–

राज्य	शाखाओं की संख्या
तमिलनाडु	10
महाराष्ट्र	02
आंध्र प्रदेश	03

उत्तर प्रदेश	03
कर्नाटक	02
हरियाणा	01
चण्डीगढ़ (संघ शसित क्षेत्र)	01

दिल्ली अथवा दिल्ली से बाहर स्थित शाखाएं जिन्हें सामान्यतः केन्द्रीय भण्डार के नाम से जाना जाता है, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड उपविधियों के अनुसार खोली जाती हैं।

(ग) इस समय केन्द्रीय भण्डार की दिल्ली में 69 शाखाएं चल रही हैं। केन्द्रीय भण्डार की शाखाएं, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बाहुल्य वाले उन क्षेत्रों में तब खोली जाती हैं जबकि वहां उपयुक्त विपरण सुविधाएं नई शाखाओं की वित्तीय व्यवहार्यता तथा उपयुक्त स्थान की उपलब्धता जैसी व्यवस्था संतोषप्रद पाई जाती है। मार्च, 95 में रक्षा लेखा विभाग, कर्मचारी आवास कॉलोनी पंचवटी, नई दिल्ली में एक नई शाखा खोली गई है।

''मार्शीलिंग यार्ड'' की स्थापना

3629. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत बोंडामुंडा तथा राऊकेरला में ''मार्शलिंग यार्ड;; की स्थापना करने हेतु सरकार द्वारा कुल कितनी एकड़ जमीन अर्जित की गयी हैं;

(ख) कुल कितनी एकड़ जमीन का उपयोग किया गया है तथा कितनी एकड़ जमीन का उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव उस जमीन के उपयोग हेतु बोंडामुंडा में एक रेल कोच फैक्टरी स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ड) यदि नहीं, तो खाली पड़ी तथा अप्रयुक्त जमीन का उपयोग करने के बारे में सरकार के सामने क्या विकल्प है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 3421.5 एकड़।

(ख) विन्यास यार्ड की मौजूदा तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का अधिग्रहरण किया गया है अभी तक 2580.4 एकड़ भूमि का उपयोग किया गया है। शेष 841.1 एकड़ भूमि का उपयोग प्रश्न के भाग (ड) में उल्लिखित उत्तर में दिए गए प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड) विभिन्न स्थानों पर छोटे-छोटे बहुत से टुकड़ों में फैली खाली भूमि का उपयोग लोको शेड के विस्तार, क्वार्टरों और सेवा भवनों आदि जैसी रेलवे गतिविधियों के आगे के विकास के लिए किए जाने का प्रस्ताव है।

रेल डिब्बे

3630. डा० पी० वल्लल पेरूमान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में दीमापुर में मालडिब्बों की आंशिक आपूर्ति हेतु मांग पत्रों को स्वीकार करने अथवा पूरा करने से इंकार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रेलवे का विचार दीमापुर में इस समय प्रचलित रेल परिचालन स्टेशन मांगपत्रों के बजाय सप्ताह में कम से कम एक दिन अंशतः लदान/आरक्षण हेतु मांगपत्र स्वीकार करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मांग और माल डिब्बों को उपलब्धता के अनुसार दीमापुर में फुटकर लदान किया जाता है।

''आईनेंस फैक्टरी बोर्ड''

3631. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आईनेंस फैक्टरी बोर्ड में एक वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपयों से अधिक की खरीद मूल्य वाली वस्तुओं की सूची तथा अनुमानित क्रय मूल्य क्या है तथा उक्त प्रत्येक वस्तु के लिए कम-से-कम एक प्रमुख सप्लायर का नाम क्या है;

(ख) इन वस्तुओं के क्रय हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) नए/विकसित स्टारों हेतु ठेका देने के लिये क्या मापदण्ड अपनाया जाता है; और

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े क्षेत्र में नये स्रोतों के उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के लिए अपेक्षित ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सुस्थापित मदों, जिनमें ऐसी मदें शामिल नहीं हैं जिनके लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को एकमात्र उत्पादक एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट यिका गया हो, के लिए संविदाएं प्रतियोगी निविदा आमंत्रित करके की जाती हैं। दूसरे मामले में मूल्य, औचित्य के मानदंड के आधार पर तय किए जाते हैं।

(ग) नए/विकसित सामान के लिए उन फर्मों को आर्डर दिए जाते हैं जिनकी क्षमता गुणता आश्वासन माहनिदेशालय अथवा रक्षा अनुसंधान तथ विकास संगठन द्वारा प्रमाणित की गई होती है। मूल्य प्रतियोगी अथवा औचित्य के मानदंड के आधार पर नियत किए जाते हैं।

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में स्थित फर्मों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

आयुध निर्माणियों में वर्ष 1994-95 में 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक मूल्य के भंडारों की स्वदेशी खरीद

क्रम सं०	जिस निर्माणे के लिए आवश्यकता है	मद का नाम	मात्रा की इकाई	कुल मात्रा	निविदा देने की विधि	विक्रेता (ओं) के नाम	विक्रेतावार मात्रा	विक्रेतावार कुल मूल्य करोड़ रु. में	चयन का मानदंड व अन्य टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कवचित वाहन निर्माणी समूह									
1.	आयुध निर्माणी परियोजना मेडक	ड्राइव के बिना ट्रांसमिशन	अदद	93	एकल	भारत अर्थ मूवर्स लि० के जी एफ कर्नाटक	93	9.81	एकल नामित एजेंसी (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)
2.	आयुध निर्माणी परियोजना मेडक	यूनीफाइड लांचर	अदद	270	एकल	भारत डायना-मिशन हैदराबाद	270	19	नामित एजेंसी एकल स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
3.	भारी वाहन निर्माणी आवडी	विभिन्न आकरों की कवचित प्लेटें	मीटरी टन	787	एकल	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, आर एस पी राउरकेला	787	12.6	स्रोत 1 के रूप में एकल नामित सार्व-जनिक क्षेत्र का उपक्रम
4.	भारी वाहन निर्माणी आवड़ी	टरेट कास्टिंग	अदद	80	सीमित निविदा पूछताछ	(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिक्ल्स लि० हरिद्वार (ख) एच ई सी रांची	(क) 40 (ख) 40	(क) 6.97 (ख) 6.97	दो प्रतिष्ठित नामित एजेंसियों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) को आर्डर
5.	आयुध निर्माणी परियोजना मेडक	फाइनल ड्राइव	सेट	230	एकल	भारत अर्थ-मूवर्स लि० के.जी.एफ. कर्नाटक	265	5.3	नामित एकल स्रोत (सार्व-जनिक क्षेत्र का उपक्रम)
6.	भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी	स्टेबिलाइजर टी-72	अदद	120	एकल	भारत इलेक्ट्रा-निक्स लि०, मद्रास	120	27.16	एकल स्रोत के रूप में नामित ऐजेंसी (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)
7.	भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी	कवचित प्लेट स्पेड व जैकाल स्टील प्लेटों की 58 किस्में	मीटरी टन	362	एकल	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० आर एस पी, राउरकेला	362	5.8	नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एकल निविदा खरीद
आयुध उपस्कर निर्माणी समूह									
8.	आयुध उपस्कर निर्माणी समूह संयुक्त	मिल काटन डिस० पैटर्न वैट, प्रिंटेड 1142 से.मी.	कि०मी०	1600	सीमित निविदा पूछताछ	(क) मफतलाल बम्बई (ख) जेसीटी फगवाड़ा	(क) 1300 (ख) 300	(क)11.62 (ख) 2.7	एल 1 और एल 2 प्रस्ताव,आयुध उपस्कर निर्माणी समूह को शामिल करते हुए नोडल खरीद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	आयुध उपस्कर निर्माण संयुक्त पाली एवं काटन कपड़ा	138 से०मी० गबरडीन	कि०मी०	565	सीमित निविदा पूछताछ फगवाड़ा	(क) मफतलाल बम्बई (ख) जेसीटी	(क) 360 (ख) 205	(क) 4.08 (ख) 2.32	निम्नतम प्रस्ताव मूल्य मिलान के बाद आर्डर दो भागों में बांट दिया गया।
अन्य निर्माणियां									
10.	आयुध निर्माणी कटनी	कॉपर इंगोट	मीटरी टन	700	खुला	एचसीएल, बम्बई	700	9.16	—
11.	आयुध निर्माणी अम्बरनाथ	कॉपर इंगोट	मीटरी टन	1500	सीमित निविदा पूछताछ	एचसीएल, बम्बई	1500	19.42	एकल प्रस्ताव
12.	आयुध निर्माणी चांदा	130 मि०मी० एफवीसी गोला-बारूद के लिए वीटी फयूज 8ए (रिक्त) असेम्बली	अदद	12000	एकल	ईसीआईएल, हैदराबाद	12000	9.89	एकल स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)
13.	वाहन निर्माणी जबलपुर	फलोर असेम्बली, शक्तिमान	अदद	2530	समिति निविदा पूछताछ	(क) सीई बीसीओ जे बी पी (ख) सिम्पलेक्स मेटलिका जे बी पी	(क) 1265 (ख)1265	(क) 2.79 (ख) 2.79	आर्डर अनुरूप मूल्य पर 2 प्रतिष्ठित विक्रेताओं में बांद दिया गया।
14.	आयुध निर्माणी अम्बरनाथ	जिंक इंगोट	मीटरी टन	1300	सीमित निविदा पूछताछ	हिन्दुस्तान जिंक लि०, बम्बई	1300	8.75	निम्नतम प्रस्ताव
15.	आयुध निर्माणी कटनी	कापर इंगोट	मीटरी टन	2000	सीमित निविदा पूछताछ	हिन्दुस्तान कापर लि० बम्बई	2000	32.14	निम्नतम प्रस्ताव
16.	वाहन निर्माणी जबलपुर	हाईटाप केबिन शक्तिमान	अदद	2600	एकल	हैदराबाद आल्विन, हैदरबाद	2600	7.3	एकल विकसित स्रोत
17.	आयुध निर्माणी अम्बाझरी	अल्युमिनियम इंगोट	मीटरी टन	2080	खुला	एमएमटीसी, दिल्ली	2000	13.34	निम्नतम प्रस्ताव
							कुल :	219.81	करोड़ रुपए

[हिन्दी]

रेल लाइन

3632. श्री चुन चुन प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारं को इस बात की जानकारी है कि पिछले सितम्बर के दौरान आयी बाढ़ के कारण भागलपुर-बांका में भागलपुर-मंदारहिल रेल लाइन अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है जिसके कारण उक्त लाइन को गाड़ियों के लिये बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) लाइन बहाली के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों को करने से संबंधित निविदाएं खोल दी गई है। इन निविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस क्षेत्र में कार्य शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

केरल में राजीव दस लाख आवास योजना निधि

3633. श्री के० मुरलीधरन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजीव दस लाख आवास योजना निधि के अंतर्गत भोगोलिक स्थिति के आधार पर होने के कारण केरल राज्य अलाभ की स्थिति में है; और

(ख) क्या सरकार जनसंख्या के घनत्व के आधार पर आवंटन के लिए आवंटन के मानदंड में परिवर्तन करने की सोच रही है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया) : (क) राजीव 10 लाख आवास योजना केरल सरकार की एक राज्य क्षेत्र योजना है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार के बजट से कोई निधियां तय नहीं की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोलगेट पामोलिव लिमिटेड

3634. श्री राजेश कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामोलिव लि०, हिन्दुस्तान लीवर और पॉण्ड्स इंडिया लि० के अनेक मामले माननीय एम आर टी पी आयोग के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो 1993, 1994 और 1995 में अब तक उपर्युक्त आयोग को भेजे गए मामलों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने उपर्युक्त कुछ मामलों में अपना निर्णय दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अवधि के दौरान आयोग को भेजे गये सभी मामलों के संबंध में कब तक निर्णय दिए जाने की संभावना है ?

वित्त, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मं.री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) वर्ष 1993, 1994 और 1995 के लिए मैसर्स कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड, मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और पोंड्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में एम०आर०टी०पी० आयोग के पास अन्वेषण/जांच के मामलों का वर्षवार एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त मामले एम०आर०टी०पी० आयोग के पास विभिन्न चरणों में हैं। एकाधिकार तथा वअरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एक अर्द्धन्यायिक निकाय है और इससे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969, भारतीय दंड संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। जांचों का निपटान करने में लगने वाला समय अभिवचनों की प्रकृति, जांच किए जाने वाले गवाहों की संख्या, दस्तावेजों की प्राप्त और प्रमाणित किए जाने आदि पर निर्भर करता है। अतः यह मामले आयोग के पास निर्णयाधीन हैं और उन्हें एम आर टी पी अधिनियम, 1969 के उपबंधों के तहत आगे की आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है।

विवरण

वर्ष 1993, 1994 तथा 1995 के लिए कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड तथा पॉण्ड्स इंडिया लिमिटेड के बारे में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास अन्वेषणों/जांचों के मामलों का वर्षवार विवरण।

वर्ष	क्र०सं०	जांच संख्या	प्रतिवादी का नाम	आरोप	वर्तमान स्थिति
1993	1.	आर टी पी ई 18/93	हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई	प्रतियोगिता/प्रतियोगियों को हटाने के लिए मामूली (प्राडेटरी) मूल्यों पर थैली में शैम्पू की बिक्री करना।	साक्ष्य के लिए 30.7.1996 को निर्धारित किया गया है।
	2.	आर टी पी ई 45/93	-यथोपरि-	हिन्दुस्तान लीवर लि० का टैमकों के साथ विलय सम्मेलन।	मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
	3.	एम टी पी ई 1/93	-यथोपरि-	-यथोपरि-	-यथोपरि-
1994	1.	आर टी पी ई 22/94	हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई	सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार तथा कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंटों की तुलना में डिलरों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए भेदभावपूर्ण विक्रय संवर्धन योजनाओं से संबंधित अवरोधक व्यापारिक प्रथाओं में लिप्त रहना।	23.2.1996 को और विचार करने हेतु।
	2.	आर टी पी ई 23/94	कोलगेट पामोलिव इंडिया लि०, बम्बई	-यथोपरि-	जवाबों की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए 13.3.1996 को अगली सुनवाई होगी।

	3.	आर टी पी ई 24/94	पॉण्ड्स इंडिया लि० बम्बई	-यथोपरि-	25.2.1996 को और विचार करते हेतु।
	4.	आर टी.पी ई 89/94	हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई	हिन्दुस्तान लीवर लि० का टोमको के साथ विलय/सम्मेलन	18.1.96 को विचारार्थ सूचीबद्ध।
	5.	आर टी पी ई 98/94	-यथोपरि-	-यथोपरि-	मामला एम आर टी पी आयोग के पास विचाराधीन है।
1995	1.	आर टी पी ई 178/95	-यथोपरि-	स्टॉकिस्टों को भेदभापूर्ण आपूर्ति	जांच का नोटिस जारी करने का प्रश्न एम आर टी पी आयोग के पास विचाराधीन है।
	2.	आर टी पी ई 247/95	-यथोपरि-	ओ के साबून का मूल्य मामूली (प्रीडेटरी) रखना।	महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण से प्राथमिक जांच रिपोर्ट (पी आई आर) की प्रतीक्षा है।
	3.	आर टी पी ई 295/95	कोलगेट पामोलिव इंडिया लि०, बम्बई	पर्सनल केयर मदों के उत्पादन और मूल्य निर्धारण के मामलों में अवरोधक तथा एकाधिकारिक व्यापार प्रथाएं।	-यथोपरि-
	4.	आर टी पी ई 296/95	पॉण्ड्स (इंडिया) लि०, बम्बई	-यथोपरि-	-यथोपरि-
	5.	यू टी पी ई 91/95	कोलगेट पामोलिव इंडियाय लि०, बम्बई	अपमानजनक विज्ञापन	मामला एम आर टी पी आयोग के पास विचार धीन है।

औषधियों की गुणवत्ता

3635. श्री मृत्युजंय नायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवाइटल, ग्रामोनेट रेनीटी डाइन और रिफाम्पीसिन सहित अन्य कुछ औषधियों की गुणवत्ता में तेजी से गिरवट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आमान परिवर्तन

3636. श्री हरि किशोर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा से रक्सौल की बड़ी लाइन को बढ़ा कर, अर्थात् मुजफ्फरपुर-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभांग त्रिकोण को पूरा करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बुक स्टाल

3637. श्री शैलेन्द्र महतो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार विभिन्न रेलवे प्रमण्डलों में आवंटित बुक स्टालों और ए०एच० व्हीलर कम्पनी को आवंटित बुक स्टालों की संख्या कितनी है;

(ख) उपरोकत अवधि के दौरान प्रमण्डलवार बुक स्टालों के लिये आवेदन करने वाले अ०जा०/अ०ज०जा० और विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से ऐसे स्टाल आवंटित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, और ऐसे कितने आवेदन क्रमशः विचाराधीन है और रद्द किये गये हैं;

(घ) क्या ए० एच० व्हीलर एण्ड कं० को बुक स्टाल आवंटित करते समय मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) :

	1993	1994	1995
(क) आवंटित किए गए बुक स्टालों की संख्या	16	17	11
मै०ए०एच० व्हीलर एंड कं० को आवंटित	–	2	3

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) नियमों का पालन किया गया है।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेलवे	अनु० जाति/अनु० ज०जा० और विकलांग व्यक्तियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या	आवंटित किए गए स्टालों की सं०	अस्वीकार किए गए आवेदनों की सं०
मध्य	2	1	1
पूर्व	–	–	–
उत्तर	–	–	–
पूर्वोत्तर	–	–	–
पूर्वोत्तर सीमा	6	4	2
दक्षिण	1	–	1
दक्षिण मध्य	–	–	–
दक्षिण पूर्व	–	–	–
पश्चिम	–	–	–

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियां

3638. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, नई दिल्ली के निदेशक बोर्ड में नामनिर्देशित निदेशकों की संख्या चुने गये निदेशकों की संख्या से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां। केन्द्रीय भण्डार की प्रचलित उपविधियों के अनुसार इसके निदेशक बोर्ड में अध्यक्ष तथा 8 निदेशकों को नामित करती है तथा बाकी 8 सदस्यों का चुनाव होता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार की इस समिति में अब भी महत्वपूर्ण वित्तीय साझेदारी है। इस प्रकार इस समिति के कार्य पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए, यह आवश्यक है कि इसके बोर्ड में नामित निदेशकों की संख्या और अधिक जारी रखी जाए।

प्लेफार्मों का निर्माण

3639. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसनसोल में ई०एम०यू० गाड़ियां चलाने के लिये अधिक प्लेटफार्मों का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या आसनसोल पर प्लेटफार्म की कमी के कारण अनेक गाड़ियां को प्रतीक्षा करने पड़ती है;

(ग) क्या अधिक ई०एम०यू० चलाना आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) आसनसोल की ई०एम०यू० सेवाओं सहित सेवित कर रही अन्य गाड़ी सेवाएं उस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले यात्री यातायात के लिए अधिकांशतः पर्याप्त हैं। अतिरिक्त ई०एम०यू० गाड़ियों सहित अन्य गाड़ी सेवाओं में वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है जो कि परिचालनिक व्यावहारिकता, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात के औचित्य पर निर्भर करती है।

रेलवे स्टेशन

3640. प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :
श्री सुखेन्द खां :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हावड़ा रेलवे स्टेशन के रख-रखाव और विकास के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या हावड़ा स्टेशन के लिए आवंटित धनराशि इसकी आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त है;

(ग) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टेशनों के नये भवनों के निर्माण और मरम्मत के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन रेलवे स्टेशनों पर आधुनिकीकरण/मरम्मत संबंधी कार्य आरम्भ किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) आयु/हालत के आधार पर नई स्टेशन इमारतों का निर्माण किया जाता है और मौजूदा इमारतों का नवीकरण किया जाता है। यद्यपि इस संबंध में फिलहाल कोई कार्य करने का प्रस्ताव नहीं है। 1995-96 में अगरपाड़ा अनुग्रह नारायण रोड, आसनसोल, बैद्यवाटी, बालीगंज, बंडेल, बासबड़िया बाड़ानगर बारासात, बरवाडीह, बर्धमान, बारेकपुर, बरईपुर, बहरामपुर, कोर्ट, बेलूड, भमुआ, रोड़, भागलपुर, बिराटी, बोलपुर, बक्सर, दक्षिणेश्वर, देहरी-ऑन-सोन, धनबाद, दुर्गापुर, दत्तापुकुर, गड़हरा, गया, गिरीडीह, गोमी, गुलजारबाग, हालीसहर, हुगली, हवड़ा इच्छापुर, जमुई, कहलगांव, कमरकुंडू, कांचरापाड़ा, काकीपाड़ा खरदाह, खुसरूपुर, कोडरमा, कोननगर, कृष्णानगर सिटी, माल्दा टाउन, मननपुर, मेमारी, मुगलसराय, नैहाटी, नलीकुल, न्यू अलीपुर, रफीगंज, राजेन्द्रनगर, राणाघाट, साहिबगंज, शक्तिगढ़ शांतिपुर, सियालदह, सोनारपुर, टीनपहाड़ और टीटागढ़ में मौजूदा सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उनमें सुधार शुरू किया गया है। बेलूड़ और डायमंड हार्बर में स्टेशन इमारतों के ढांचे में परिवर्तन संबंधी कार्य भी स्वीकृत किया गया है।

रेलवे स्टेशन

3641. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के एल० सी० गेट नं० 188 और हापा रेलवे स्टेशन के बीच सम्पर्क सड़क जीर्ण-शीर्ण हालत में है;

(ख) इस पर अनुमानित व्यय क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) एल सी गेट सं० 188 और हापा रेलवे स्टेशन के बीच पहुंच मार्ग की छोटी-मोटी मरम्मत आवश्यक है।

(ख) एक लाख रुपए (लगभग)।

(ग) मरम्मत कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।

आवास सुधार योजना

3642. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास सुधार योजना का कार्य निष्पादन असंतोष जनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा राज्यवार क्या प्रयास किये गये है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान "हुडको" द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ) कितनी धनराशि अभी दी जानी बाकी है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० अहलुवालिया) : (क) से (ग) नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) की आवास एवं आश्रय सुधार स्कीम (शासु) के तहत प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है। यह मुख्यतः इस वजह से थी कि हुडको के ऋण की वसूली न हो पाने के डर के कारण अनुमोदित स्कीमों बाबत् राज्य उनकी शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) के पक्ष में आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) को सरकारी गारंटी देने को तैयार नहीं थे। यह मामला राज्यों के साथ समीक्षा बैठकों और उच्चतर स्तर पर पत्र-व्यवहार के माध्यम से सख्ती से उठाया गया। अधिकतर राज्यों ने अब स्कीम को स्वीकार कर लिया है और शहरी गरीब लाभार्थियों के लिए सम्भावित लाभों का अहसास किया है। द्वितीयतः पहले यह स्कीम एक लाख और 20 लाख के बीच की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में कार्यन्वित किए जाने तक सीमित थी। हाल ही, कुछ राज्यों के अनुरोध पर, जनसंख्या मानदण्डों को शिथिल किया गया है और एक लाख के नीचे की आबादी वाले कस्बों में भी उसके कार्यान्वयन की अनुमति दी गई है। उम्मीद है कि राज्य अब अधिक स्कीमें बनाएगें और केन्द्रीय सब्सिडी तथा ऋणा निधियां उठाने के लिए हुडकों को पेश करेंगे। पिछले तीन वर्षों अर्थात्, 1992-93 से 1994-95 तक, में हुडकों द्वारा स्वीकृत स्कीमों (राज्यवार संख्या के ब्यौरा और ऐसी अनुमोदित स्कीमों में सम्मिलित रिहायशी एककों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1992-93 से 1994-95 के पिछले तीन वर्षों में 38.56 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधियां हुडकों को सौंपी गई थी। हुडको ने इस अवधि के दौरान राज्य कार्यन्वयन एजेंसियों को 25.97 करोड़ रुपये की धनराशि दी है। अतः 12.59 करोड़ रुपये की धनराशि हुडको के पास रिलीज के लिए बची है।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना
आवास एवं आश्रय सुधार स्कीम

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93 से 1994-95 तक हुडको द्वारा अनुमोदित स्कीमों की संख्या	अनुमोदित स्कीमों में सम्मिलित रिहायशी एककों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	15	49,333
2.	बिहार	5	43,046
3.	गुजरात	1	1,000
4.	हरियाणा	2	5,616
5.	कर्नाटक	—	—
6.	केरल	2	1,3000
7.	मध्य प्रदेश	—	—
8.	महाराष्ट्र	11	22,033
9.	उड़ीसा	3	2,501
10.	पंजाब	—	—
11.	राजस्थान	1	27
12.	तमिलनाडु	22	9,726
13.	उत्तर प्रदेश	—	—
14.	पश्चिम बंगाल	8	23,500
15.	गोवा	—	—
16.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
17.	असम	3	8,241
18.	हिमाचल प्रदेश	12	992
19.	जम्मू व कश्मीर	1	1,396
20.	मणिपुर	1	1,000
21.	मेघालय	—	—
22.	मिजोरम	3	1,775
23.	नागालैण्ड	—	—
24.	सिक्किम	1	1,000
25.	त्रिपुरा	3	1,583
26.	ए एंड एन प्रोयद्वीप	1	500
27.	चण्डीगढ़	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	1	45
29.	दमन व द्वीव		—
30.	पांडिचेरी	—	—
31.	दिल्ली	—	—
	योग :	96	1,76,614

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अमान परिवर्तन

3643. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की मीटर गेज लाइनों और बड़ी लाइनों के नाम क्या है;

(ख) किन-किन छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में, परिवर्तन कर दिया गया है;

(ग) अब तक कुल कितनी लम्बाई की छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया गया है; और

(घ) 1995-96 के दौरान छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में परिवर्तित किए जाने का कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) विवरण इस प्रकार है :

मध्य प्रदेश

मीटर लाइनें	बड़ी लाइनें
1. रतलाम-इंदौर-खंडवा	1. मुंबई-दिल्ली ट्रंक मार्ग
2. रतलाम-जावद रोड़	2. इटारसी-आमला-नागपुर ट्रंक मार्ग
3. उज्जैन-फतेहाबाद-चंद्रावतीगंज	3. मानिकपुर-इटारसी मुख्य लाइन
	4. मकसी-गुना शाखा लाइन
	5. गुना-बीना शाखा लाइन
	6. बीना-कटनी शाखा लाइन
	7. कटनी-सिंगरौली शाखा लाइन
	8. सतना-रीवा शाख लाइन
	9. आमला-पर्सिया शाखा लाइन
	10. गुना-ग्वालियर शाखा लाइन
	11. कटनी-अनूपपुर-बिलासपुर-उरकुरा-दुर्ग-गोंदिया
	12. मोखा-कटनी
	13. अनूपपुर-विश्रामपुर
	14. बिलासपुर-रायगढ़
	15. दुर्ग-बल्लीराजहरा
	16. अमगुड़ा-किरंदूल
	17. रायगढ़-टिटलागढ़
	18. चंपा-गेवरा रोड
	19. तुमसर-तिरोडी
	20. अनास-रतलाम
	21. रतलाम-नागदा
	22. नागदा-रतलाम
	23. नागदा-थुरिया
	24. नागदा-उज्जैन
	25. उज्जैन-भोपाल
	26. उज्जैन-देवास-इंदौर
	27. नीमच-जावद रोड
	28. बरिदन-चिरीमिरी
	29. डेयरीटिला-टाइगर-हिल
	30. जमगा-दुर्ग-दरेक्षा
	31. रायपुर-खैरिया रोड

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य में अभी तक कोई रेल लाइन बड़ी लाइन में नहीं बदली गई है जो इसके बड़ी रेल लाइन जाल-तंत्र का लगभग 75% है। तथापि, इस समय पर्सिया-छिंदवाड़ा, नोनेरा-भिंड तथा नीमच-रतलाम खंडों पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। आगामी वर्षों में प्रारंभ किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्य भी आमान परिवर्तन की कार्य योजना में शामिल कर लिए गए हैं :

1. जबलपुर-गोण्डिया	2. रतलाम-खंडवा
2. नोनेरा-भिंड	

(घ) पर्सिया-छिंदवाड़ा खंड का आमान परिवर्तन 1995-96 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है,

[अनुवाद]

उपरि पुल

3644. श्री हनुमान मोल्लाह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों के आवागमन को सरल बनाने के लिए हावड़ा रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों को उपरि पुलों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, यह कार्य कब से शुरू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी) : (क) से (घ) चूंकि हावड़ा स्टेशन एक टर्मिनल स्टेशन हैं जहां सभी प्लेटफार्म एक छोर पर पर्याप्त आकार वाले सम्मिलन स्थान के माध्यम से जुड़े हैं। अतः सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले ऊपरी-पैदल पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हावड़ा के मुख्य स्टेशन और दक्षिणी परिसरों को जोड़ने के लिए ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य को 48.95 लाख रुपये की लागत पर शुरू किया गया है।

नई तकनीक

3645. डा० वसंत पंयार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हर वर्ष किराये/माल भाड़े में बिना वृद्धि के राजस्व बढ़ाने का है;

(ख) क्या नई तकनीक के प्रयोग के संचालन लागत और व्यय कम करने की कोई योजना है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में सर्वेक्षण करने तथा व्यय कम करने हेतु सुझाव देने के लिए किसी निजी सलाहकार कम्पनी की सेवायें में लेना चाहती है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) रेलों की ओर से आमदनी बढ़ाने और खर्च पर नियंत्रण रखने का सतत् प्रयास किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप किरायों और मालभाड़ों में वृद्धि, निवेश लागतों में हुई वृद्धि से सदैव कम रही है। किए गए विभिन्न नवीन उपायों के परिणामस्वरूप, रेलें 1990-91 में ढोए गए 318 मिलियन टन माल यातायात की तुलना में अब 398 मिलियन टन माल यातायात की ढुलाई करने की योजना बना रही हैं। इसके अलावा, सतत आर्थिक अभियान तथा अपनाई गई आदर्श प्रौद्योगिकियों के कारण परिचालन अनुपात, जो 1990-91 में 92.0% था। 1994-95 में सुधर कर 82.6% हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में "मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम"

3646. श्री बसुदेब आचार्य : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने "मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम" का कलकत्ता में और इसके आस-पास विस्तार करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.आर.टी.एस. के अन्तर्गत प्रस्तावित न्यू कलकत्ता सहित साल्ट लेक और अन्य क्षेत्रों से सम्मिलित किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंत्रालय ने इस विषय में क्या पहल की है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर. के. धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खादी-ग्रामोद्योग आयोग रोजगार योजना

3647. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के चयनित जिलों में विशेष रोजगार योजना आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह विशेष रोजगार योजना उत्तराखंड में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए खादी-ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य का हिस्सा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई धनराशि का जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कुल 40 करोड़ रुपये की लागत से तीन साल में उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में अधिकतम 20,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम का शुरूआत के लिए कार्यवाही शुरू की गई है :

1. अल्मोड़ा – पियौरागढ़
2. घमोली – उत्तरकांशी

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पहले ही कुल 12 करोड़ रुपये की लागत से अपनी 125 प्राथमिकता ब्लॉक विकास योजना के अंतर्गत 1996-97 के अंत तक 4000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उत्तराखंड के निम्नलिखित 4 ब्लाकों को पहले ही हाथ में लिया जा चुका है :

जिला	ब्लॉक
देहरादून	ऊखीमठ
पिथौरागढ़	पाली
अल्मोड़ा	ताकुला
नैनीताल	रुद्रपुर

[अनुवाद]

मानव अंगों का व्यापार

3648. श्री राम नाईक : क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के नेत्र बैंकों ने मानव अंग अपनयन एवं प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में कुछ संशोधन करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"बोल्ट योजना"

3649. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग का विचार "बिल्ड आंन लीज ट्रांसफर" बोल्ट योजना जिसके लिए बहुत कम निर्माता आगे आए हैं; की कुछ शर्तों में छूट देने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के संबंध में रेल विभाग का अवतन विचार क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) निवेशकों के लिए बोल्ट योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इस योजना से संबंधित कुछ शर्तों में पहले ही छूट दे दी गई है। हाल ही में बोल्ट योजना के अंतर्गत रेलों की अवसंरचना में निवेश करने के लिए निवेशकों पर 5 वर्षों के टैक्स होलीडे को लागू किया गया है।

आवश्यक कलपुर्जे

3650. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ रेल गाड़ियां आवश्यक कलपुर्जों के बिना चल रही हैं;

(ख) क्या रेलवे ब अधिकारी संबंधित विभागों को आवश्यक अतिरिक्त कलपुर्जे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान आवश्यक कलपुर्जों के अभाव में कितनी दुर्घटनायें घटी; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले सभी गाड़ियों की पूरी तरह से जांच की जाती है। जांच के दौरान यदि कोई अनिवार्य/संरक्षा फिटिंग खराब/कम पाई जाती है तो उसे ठीक किया जाता है। खराब संरक्षा फिटिंगों के साथ किसी गाड़ी को चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) रेलों द्वारा, संबंधित विभागों को अनिवार्य फालतू पुर्जों की पर्याप्त तथा यथासमय उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जाता है।

(ग) वर्ष के दौरान अनिवार्य फिटिंगों की अनुपस्थिति के कारण गाड़ी दुर्घटना का कोई मामला नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे लाइन का दोहरीकरण

3651. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शारेनपुर से कुटिटप्पुरम के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्य शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बोल्ट योजना (निर्माण, स्वामित्व, पट्टा और हस्तांतरण) के अंतर्गत गुरूवायूर और कुट्टीपुरम के बीच नए बड़ी लाइन संपर्क का निर्माण शुरू करने का विनिश्चय किया गया है। इस कार्य के पूरा होने पर यह त्रिचूर के रास्ते शोरूवण्णूर और कुट्टीपुरम के बीच दोहरीकरण के उद्देश्य को पूरा करेगा।

नारियल जटा बोर्ड

3652. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में नारियल जटा बोर्ड द्वारा क्या-क्या कार्यकलाप प्रारम्भ किये गये और उसके क्या-क्या परिणाम रहे; और

(ख) केरल में केयर उद्योग के विकास हेतु क्या कार्य-योजना तैयार की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) केरल में कयर उद्योग के विकास के लिए कयर बोर्ड वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य करता है, इसमें मदद और प्रोत्साहन देता है, कयर एवं कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है, स्वदेशी बाजार का विकास, उत्पादकों में सहकारी संगठनों को बढ़ावा देता है, कयर उद्योग से संबंधित सभी मामलों के आंकड़े एकत्रित करता है और कयर एवं केयर उत्पादों के विनिर्माण में उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण किया जाता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से कयर बोर्ड आठवीं योजनावधि के आरंभ होने के बाद से केरल में कुछ योजनाएं कार्यान्वित करता रहा है। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं :

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
2. स्वदेशी बाजार विकास,
3. निर्यात संवर्धन
4. राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण,
5. हिन्दुस्तान कयर का स्वदेशीकरण,
6. बुनियादी एवं प्रशिक्षण के लिए सहायता;
7. कल्याणकारी उपाय;
8. गुणवत्ता सुधार, आधुनिकीकरण तथा प्रशिक्षण; और
9. महिला कयर योजना।

कयर बोर्ड द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से केरल में इस उद्योग के विकास की गति बढ़ी है। कयर बोर्ड द्वारा किए गए गहन अनुसंधान के कारण फाइबर निकालने की नई विनिधियों का पता लगाना संभव हो सका है और अंतिम उत्पादों का प्रसंस्करण एवं विनिर्माण शुरू

किया गया है। अन्य उपलब्धियां इस प्रकार है : कयर, कयर अपशिष्ट, कयर लुग्दी के संभावित प्रयोग के लिए नये प्रयोक्ता क्षेत्रों का पहचान, मोटरयुक्त रेट और स्वचालित कताई मशीनों का विकास, नारियल की भूसी आदि की रेटिंग अवधि कम करने के लिए "कयर रैट" नामक एक नए बायोटैक्नोजिकल उत्पाद की शुरूआत। अलेप्पी स्थित राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण तथा डिजाइन केन्द्र में 450 से अधिक अभ्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। केरल राज्य कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड को कयर श्रमिकों के लिए मासिक पेंशन, चिकित्सा सहायता, विवाह सहायता आदि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के के कार्यान्वयन के लिए 50 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। महिला कयर योजना के अधीन, केरल की 163 महिलाओं को मोटरयुक्त रैट पर तैयार यार्न की कताई का प्रशिक्षण दिया गया था जिनमें से 100 महिलाओं को मोटरयुक्त रैट खरीदने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। आर सी सी टैंकों के विनिर्माण के लिए केरल में 100 समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। कुछ समितियों को कयर लुग्दी को कार्बनिक खाद में परिवर्तित करने के लिए पिथ प्लस तथा यूरिया उपलब्ध कराया गया था। केरल में 324 करघा शेडों का आधुनिकीकरण करने के लिए उक्त अवधि के दौरान 22.05 लाख रुपये वित्तीय सहायता के रूप में जारी किए गए थे। अलेप्पी, अरयार्ड, पटटनकन और कांजीकुझी में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करने के लिए 10.79 लाख रुपये वित्तीय सहायता के रूप में जारी किए गए थे। गुणवत्ता वर्ष 1993-94 के दौरान 8201 कयर कामगारों ने गुणवत्ता शिविरों में भाग लिया तथा 105 कामगारों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सहयोगीकारिता योजना के अंतर्गत केरल की पूंजी भागीदारी, सीमांत राजसहायता आदि के लिए 58.21 लाख रुपये जारी किये गये। केरल में 44.24 करोड़ रुपये की लागत से एक एकीकृत कयर विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। गत 3 वर्षों के दौरान घरेलू बाजार के विकास हेतु 940.94 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। गत 3 वर्षों के दौरान 455.40 लाख रुपये की राशि केरल सरकार को रियायत के दावों के निपटारें के लिए जारी की गई है। ब्राउन फाइबर के विकास के लिए किये गये प्रयासों के माध्यम से केरल में इसका उत्पादन 10,000 टन से बढ़कर 16,500 टन हो गया। गत तीन वर्षों के दौरान कुल 118,391 टन कयर उत्पाद, जिसकी कीमत 397.16 करोड़ रुपये आंकी गई, का 97 प्रतिशत भाग केरल से था।

(ख) कयर बोर्ड ने केरल में कयर उद्योग के विकास के लिए कोई अलग कार्य योजना तैयार नहीं की है। तथापि, कयर बोर्ड ने भारत में कयर उद्योग के विकास हेतु एक दस वर्षीय योजना तैयार की है। दस वर्षीय योजना में रेशे के उत्पादन को अंतिम वर्ष अर्थात् 2005-2006 तक वर्तमान के 2.5 लाख टन के उत्पादन से 5 लाख टन तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। केरल राज्य को इस योजना से लाभ पहुंचेगा क्योंकि कयर उद्योग का 80 प्रतिशत केरल में स्थिति है।

चट्टानों को विस्फोट द्वारा तोड़ा जाना

3653. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क संगठनों का एक प्लाटून रातूरा (ऋषि-बद्रीनाथ रोड) पर तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चट्टानों को तोड़ने हेतु विस्फोटक पदार्थों को वहां एक ऐसे स्थान पर रखा गया है जो सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त है तथा रिहायशी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए खतरा पैदा करने वाला है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त विस्फोटक पदार्थ के भंडार को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। वहां पर केवल सेना की एक छोटी टुकड़ी तैनात की गई है।

(ख) इस स्थान पर कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं रखे गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

इलेक्ट्रॉनिक इकाइयां

3654. **श्री अन्ना जोशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक एककों की संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षों तथा अप्रैल से सितम्बर 1995-96 के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक एकक ने, एकक-वार कितना कारोबार किया;

(ख) पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित कर रहे तथा घाटे में चल रहे एककों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) एकक-वार घाटे के क्या कारण है; और

(घ) प्रत्येक एकक में कार्यरत वर्तमान मानवशक्ति संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रोफेसर पी.जे.कुरियन): (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत मेसर्स सीएमसी लिमिटेड, मेसर्स सेमीकण्डक्टर कॉम्पलेक्स लिमिटेड (एससीएल) तथा मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ईटीएण्डटी) लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रम हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा सितम्बर, 1995 तक उनका कारोबार नीचे दिए अनुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सीएमसी लिमिटेड	एससीएल लिमिटेड	ईटीएण्डटी लिमिटेड
1992-93	133.39	85.35	73.07
1993-94	115.06	32.00	84.71
1994-95	145.56	32.77	49.27
1995-96 (सितम्बर 1995 तक)	68.87	0.01	3.12 (अनन्तिम)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ/(हानि) नीचे दिए अनुसार है–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सीएमसी लिमिटेड	एससीएल लिमिटेड	ईटीएण्डटी लिमिटेड
1992-93	2.33	7.42	(4.41)
1993-94	(9.55)	1.21	(8.82)
1994-95	7.46	1.05	(12.22)

(ग) (i) वर्ष 1993-94 के दौरान सीएमसी लिमिटेड को हानि पुराने एवं अप्रचलित हो गए अतिरिक्त पुर्जों के कारण असाधारण वस्तुओं का प्रावधान करने, अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋण, दूरसंचार विभाग द्वारा लाइन प्रभार में पीछे की तारीख से वृद्धि करने तथा भविष्य में वेतन में संशोधन का प्रावधान करने के कारण हुई।

(ii) ईटीएण्डटी को हानि कारोबार में कमी तथा ऋण पर ब्याज के बोझ में वृद्धि होने के कारण हुई।

(घ) इन उद्यमों में इस समय कार्यरत जनशक्ति इस प्रकार है :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	कर्मचारियों की संख्या
सीएमसी लिमिटेड	2586
एससीएल लिमिटेड	849
ईटीएण्डटी लिमिटेड	372

इनके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी वस्तओं से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाली केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां है अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत हैं अर्थात भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) के लिए रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए विज्ञान और पौद्योगिकी मंत्रालय, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड के लिए उद्योग मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित वस्तुओं के क्षेत्र में कार्य करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	सकल बिक्री कारोबार			शुद्ध लाभ/हानि			31.3.94 की स्थिति के अनुसार नियमित कर्मचारियों की संख्या
		93-94	92-93	91-92	93-94	92-93	91-92	
1.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	84007	77162	71480	3386	3093	3575	18422
2.	केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	4672	4691	3977	-87	340	255	943
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	32894	28607	22206	848	110	-2758	7395
4.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	1888	1320	957	31	23	16	173

[हिन्दी]

रेल लाइन का विद्युतीकरण

3655. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे के बड़ोदा-रतलाम कोटा सेक्शन और रतलाम-नागदा-उज्जैन-भोपाल सेक्शन के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) क्या इन्दौर-उज्जैन सेक्शन का भी विद्युतीकरण किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उपरोक्त मार्गो पर ई.एम.यू. रेलगाड़ियों का आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) ई.एम.यू. रेलगाड़ियों को कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) इन परियोजनाओं को पूरा करने की तारीखें इस प्रकार हैं :

खंड	पूरा करने की तारीख
बड़ौदा-रतलाम-कोटा	दिसंबर, 1987
रतलाम-नागदा	मार्च, 1987
नागदा-उज्जैन-भोपाल	मार्च, 1992

(ख) इंदौर-उज्जैन खंड को विद्युतीकृत करने का फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं हैं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एनाबू पुल

3656. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को एनाथू पुल के नवीकरण हेतु केरल राज्य सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने पुल के नवीकरण के लिए कोई शर्त रखी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केरल सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) रक्षा मंत्रालय को केरल सरकार से एनाथू पुल की मरम्मत के लिए सेना की सहायता उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। सेना कार्मिकों के एक दल द्वारा सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया था कि मौजूदा पुल की मरम्मत करना व्यवहार्य नहीं हे क्योंकि यह पुल बहुत पुराना था। उस स्थान पर दूसरा पुल बनाए जाने को तकनीकी रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए वहां 110 फिट के वेली पुलों के छह सैट स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी। राज्य सरकार से इस बात की पुष्टि करने को कहा गया था कि क्या स्तम्भ संख्या 4 अधिकतम 100 टन भार वहन करने की क्षमता रखता है या नहीं। यह भी सुझाव दिया गया था कि पुल पर लकड़ी बिछाने की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए चूंकि यह आवश्यकता स्थाई किस्म की थी, इसलिए इस बात पर विचार किया गया था कि इन परिसम्पत्तियों को परिवहन लागत सहित राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार करने के बाद वह पाया कि उक्त स्तम्भ यथा निर्दिष्ट भार वहन नहीं कर पाएगा। चूंकि समस्या पुल पर लकड़ी बिछाने के सम्बन्ध में न होकर जलमग्न स्तम्भ के बारे में थी इसलिए राज्य सरकार ने इस स्तम्भ की मरम्मत करने का वैकल्पिक तरीका अपनाया। यह बताया गया कि राज्य सरकार ने उक्त स्तम्भ की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है।

रिक्त पड़े न्यायाधीशों के पद

3657. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के न्यायालय-वार कुल कितने स्वीकृत पद हैं,

(ख) इस समय न्यायाधीशों की न्यायालय-वार कुल संख्या कितनी है,

(ग) इस समय धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित न्यायाधीशों की न्यायालय-वार कुल संख्या कितनी है, और

(घ) अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित न्यायाधीशों की न्यायालय-वार कुल संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में जाति या धार्मिक समुदाय के आधार पर कोई आरक्षण न होने के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों या अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में अलग से जानकारी नहीं रखी जाती है।

विवरण

I.क्र. सं०	उच्च न्यायालय	मंजूर पद संख्या	1.4.1995 को पदासीन न्यायाधीश/अपर न्यायाधीश
1.	इलाहाबाद	70	66
2.	आंध्र प्रदेश	30	26
3.	मुंबई	54	39
4.	कलकत्ता	48	35
5.	दिल्ली	31	25
6.	गुवाहाटी	17	14
7.	गुजरात	30	23
8.	हिमाचल प्रदेश	8	5
9.	जम्मू-कश्मीर	11	9
10.	कर्नाटक	30	26
11.	केरल	24	20
12.	मध्य प्रदेश	31	24
13.	मद्रास	29	24
14.	उड़ीसा	15	12
15.	पटना	37	31
16.	पंजाब और हरियाणा	37	30
17.	राजस्थान	26	21
18.	सिक्किम	3	2
	योग	531	432
II.	उच्चतम न्यायालय	26	24

आंध्र प्रदेश के लिए हुडको का ऋण

3658. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री वेंकटेश्वर राव :

क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने आंध्र-प्रदेश को 1994-95 और 1995-96 अब तक के दौरान ऋण स्वीकृत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत किये गये ऋण की राशि कितनी है;

(ग) उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसी अवधि के दौरान अन्य राज्यों को "हुडको" द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख) हुडको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न आवास और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए 1994-95 और 1.25.96 (31.10.95 की स्थितिनुसार) के दौरान आंध्र प्रदेश में विभिन्न ऋण राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रुपयें में)
1994-95	76.41
1995-96 (31.10.95 को)	32.57

(ग) हुडको द्वारा धन जारी करना पूर्व में जारी किये गये धन के उपयोग और की गयी वास्तविक प्रगति से जुड़ा है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि निर्माण की प्रगति के आधार पर एजेंसियों द्वारा ऋण हेतु आवेदन करते हुए हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण को पूर्णतः उपयोग किया जा रहा है। हुडको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान आंध्र प्रदेश में विभिन्न ऋण लेने वाली एजेंसियों को जारी की गई ऋण राशि क्रमशः 78.79 करोड़ रुपये और 17.63 करोड़ रुपए है।

(घ) आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों को हुडको ने 1994-95 के दौरान लगभग 1687 करोड़ रुपये और 1995-96 (30.10.1995 की स्थिति के अनुसार) के दौरान लगभग 571.41 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की।

रेलवे उपरिपुल

3659. श्री द्वारका नाथ दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर करीमगंज रेल समपार पर उपरिपुल का निर्माण कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के लिए रेलगाड़ी

3660. श्री धर्म पाल सिंह मलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लहरागगा, सुनाम और संगरूर से दिल्ली के लिए कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) क्या इन स्टेशनों से चलने वाली जम्मूतवी और मद्रास एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को अब नहीं चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) नई रेलगाड़ियां चलाने और उपरोक्त रेलगाड़ियों को पुनः चलाने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) मद्रास-जम्मू तवी, नवयुग और हिमसागर एक्सप्रेस गाड़ियां, जिनका मार्ग बाढ़ और दरार के परिणामस्वरूप सितंबर, 1995 में बदल दिया गया था, अब 26.11.95 से लहरा गागा, सुनाम और संगरूर के रास्ते गाड़ियां पुन चला दी गई हैं। परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण इस मार्ग पर और अधिक गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दुकानदारों को स्वामित्व अधिकार

3661. श्री दत्ता मेघे :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने दिल्ली में दुकानदारों को स्वामित्व का अधिकार दिये जाने के संबंध में कोई घोषण की है अथवा सरकार को कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) दिल्ली में दुकानदारों को मालिकाना अधिकार देने के लिए दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

हिंदी में कार्य

3662. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिंदी भाषी राज्यों में स्थापित आयकर न्यायाधिकरण द्वारा कितने प्रतिशत मामलों में हिंदी में निर्णय दिए गए हैं;

(ख) क्या आयकर न्यायाधिकरण आमतौर पर अपने निर्णय अंग्रेजी भाषा में देता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) हिंदी भाषी राज्यों में स्थापित न्यायाधिकरणों द्वारा हिंदी भाषा का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाया गया है ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान हिंदी भाषी राज्यों में अवस्थित आय-कर अपील अधिकरण की न्यायपीठों द्वारा कोई मूल विनिश्चय हिंदी में नहीं किया गया है। तथापि, हिंदी भाषी राज्यों में, अंग्रेजी में दिए गए आदेशों का हिंदी में अनुवाद किया जाता है और ये आदेश अधिकरण के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किए जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों में तैनात सदस्य, आवश्यक रूप से हिंदी भाषी नहीं होते हैं। अधिकरण की प्रत्येक न्यायपीठ कि लेखा

सदस्य और एक न्यायिक सदस्य से मिलकर बनती है। यदि न्यायपीठ को गठित करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य हिंदी नहीं जानता है तो उस न्यायपीठ के लिए हिंदी में की गई बहस का मूल्यांकन करने या हिंदी में आदेश देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(घ) और (ङ) हिंदी भाषी राज्यों में अवस्थित अधिकरण को न्यायपीठों द्वारा हिंदी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(i) हिंदी में तैयार किए गए दस्तावेज गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों में अब स्थित अधिकरण की न्यायपीठों के समक्ष फाइल किए जा सकते हैं। यह उपबंध करने के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं कि इन राज्यों में अवस्थित न्यायपीठ, अपने विवेक पर, अपने समक्ष की कार्यवाहियों में हिंदी का प्रयोग अनुज्ञात और हिंदी में आदेश पारित कर सकेगी।

(ii) राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 में अंतर्विष्ट उपबंधों और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम को हिंदी भाषी राज्यों में अवस्थित अधिकरण की न्यायपीठों में कार्यान्वित किया जा रहा है। सभी हिंदी भाषी राज्यों में, सुनवाई के लिए सूचनाएं, स्थगन आदेश, आदि केवल हिंदी में जारी किए जाते हैं। इन न्यायपीठों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का नियममित रूप से पुनर्विलोचन किया जाता है।

शहद का उत्पादन

3663. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने का है;

(ख) क्या शहद उत्पादन के लिए नेत्रों का पता लगा लिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (घ) जी, हां। जहां तक खादी ग्रामोद्योग आयोग का संबंध है, 2 अक्तूबर, 1995 को आगामी 3 वर्षों के दौरान इस उद्योग का गहन विकास करने की दृष्टि से मधुमक्खी पालन विकास संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम सीधे सहायता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से लागू किया जायेगा। 21 राज्यों के 96 जिलों में लागू किए जाने के लिए 99 परियोजनाओं का पता लगाया गया है और 50,000 कारीगरों के लिए रोजगार सृजन करने के लिए कुल 110 करोड़ रुपये की लागत से इन्हें कार्यान्वित किया जायेगा। अनुमान है कि प्रतिवर्ष 1500 मीट्रिक टन मधुमक्खी शहद और 10 टन मधुमक्खी मोम और 350 मी. टन दोलटासा शहद का उत्पादन किया जायेगा, जिसका मूल्य 120 करोड़ रुपये होगा। इसके अतिरिक्त, कृषि मंत्रालय भी इस क्षेत्र के संवर्धन के लिए कार्यकलाप करता है।

[अनुवाद]

धूम्रपान से मोतियाबिंद

3664. श्री तारा सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी प्रकार के धुएं से सांस लेने से मोतियाबिंद हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार धूम्रपान को बुराइयों के विरूद्ध जनता में जागरूकता पैदा करने की कोई योजना बनाने को है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्या मंत्रालय (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) यह सूचित किया गया है कि धूम्रपान करने और उसके धुएं में सांस लेने से मोतियाबिंद होने का खतरा हो सकता है।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ) धूम्रपान के लिए पहले ही एक सांविधिक चेतावनी है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

विवरण

मोतियाबिंद के कारण के रूप में सिगरेट और बीड़ी पीने के प्रभाव का पता लगाने के लिए मेरीलैंड, यू.एस.ए. और भारत में मद्रास में अध्ययन किए गए थे। यू.एस.ए. में 10-40 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों का अध्ययन क्लेटन व अन्य, हार्डिंग, हार्डिंग व वान हेनिनजेन, और फ्लेय व अन्य ने किया। यह सूचित किया गया कि मेरीलैंड में 838 वाटरमैन जो कि अन्य कारणों से प्रभावित नहीं थे, उनमें से 229 को धूम्रपान के कारण न्यूक्लियर मोतियाबिंद हो गया और यह खुराक पर आधारित था। जब धूम्रपान एक लंबी अवधि के लिए रोका गया तो मोतियाबिंद बनने की संभावना कम रही। यह माना गया कि धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में मोतियाबिंद बनने की संभावना कम रही। यह माना गया कि धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में मोतियाबिंद बनने के लिए उत्तरदायी कारक रक्त में कैडामियम और विटामिन "सी" के स्तर में परिवर्तन आना हो सकता है। इने लैंस में ऑक्सोडेटिव क्षति हो सकती है और उससे मोतियाबिंद बनता है।

इस प्रकार 159 रोगियों को चार समूहों में विभाजित करके अध्ययन किया गया। वे सब निम्न मध्य वर्ग के थे और उनका स्टेनल मेडिकल कालेज, मद्रास में उपचार किया गया। वे 30-58 वर्ष के आयुवर्ग में थे।

यह पाया गया को धूम्रपान करने वाले मोतियाबिंद के तीनों आयु वर्गों (अर्थात् 40-50, 51-55 और 56-58) के रोगियों के लैंसों में बहुत अधिक मात्रा में कैडमियम एकत्र था। यह भी पाया गया कि जहां 40-50 वर्ष के आयु वर्ग में लैंस कैडमियम दो गुना था, अन्य के मामले में यह छह गुणा था। यह नोट किया गया कि सिगरेट का सेवन करने वालों में कैडमियम का स्तर 1/3 था। सिगरेट का सेवन करने वालों में लेंस टिश्यू और लेंस प्रोटिन में विटामिन "सी" का स्तर सामान्य से कम पाया गया जबकि बीडी का सेवन करने वालों के मामले में विटामिन "सी" के स्तर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं था।

इन अध्ययनों के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकला कि धूम्रपान से

कैडमियम के स्तर में वृद्धि और विटामिन "सी" के स्तर में कमी होती है जो मोतियाबिंद के कारणों में से एक है। परन्तु धूम्रपान बंद कर देने से लक्षण विपरीत हो सकते हैं।

[हिन्दी]

हाल्ट/स्टापेज

3665. श्री एन.जे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक देश भर में, विशेषकर गुजरात में एक्सप्रेस गाड़ियों को किन-किन स्टेशनों पर हाल्ट/स्टापेज दिये गये हैं;

(ख) क्या गुजरात में एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए और अधिक स्टापेज प्रदान करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) गुजरात में 1992-93 से 1995-96 (नवंबर, 1995 तक) के दौरान मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के 24 अतिरिक्त ठहरावों की व्यवस्था की गई है। पूरे देश के आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

निम्नलिखित ठहरावों के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं :

	स्टेशन	गाड़ियां
1.	नवसारी	2961/2962 अवंतिका एक्सप्रेस
2.	अंबरयाम रोड	9017 सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस 9055/9056 सेयाजी नगरी एक्सप्रेस 9107/9108 बंबई-अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस 9021/9022 फ्लाइंग रानी
3.	अमतसाड़	9023 बंबई-फिरोजपुर जनता एक्स. 9011/9012 गुजरात एक्स. 9057/9058 वलसाड़-यड़ोदरा इंटरसिटी एक्स.
4.	वापी	2925/2926 पश्चिम एक्स. 2471/2472 स्वराज एक्स. 2961/2962 अवंतिका एक्स. 5063/5064 अवध एक्स. 9005 सौराष्ट्र मेल 2933/2934 कर्णावती एक्स. 6333/6334 राजकोट-त्रिवेन्द्रम एक्स. 6335/6336 गांधीधाम-त्रिवेंद्रम एक्स 6337/6338 राजकोट-कोवील एक्स.
5.	बिलिमोरा	2953/2954 अगस्त क्रांति राजधानी एक्स. 2955/2956 बंबई-जयपुर एक्स. 9017/9018 सौराष्ट्र जनता एक्स. 1095/1096 अहिंसा एक्स. 9031/9032 कच्छ एक्स.
6.	उधना	सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां
7.	संजाण	9011 गुजरात एक्स. 9021/9022 फ्लाइंग रानी
8.	भिलड	9011 गुजरात एक्स. 9215/9216 सौराष्ट्र एक्स।
9.	वलसाड	2471/2472 स्वराज एक्सप्रेस 2951/2952 राजधानी एक्सप्रेस 5063/5064 अवध एक्स. 2009/2010 शताब्दी एक्स. 2933/2934 कर्णावती एक्स. 2955/2956 बंबई-जयपुर एक्सप्रेस
10.	मरोली	9057/9058 वलसाड-वड़ोदरा एक्सप्रेस 9011/9012 गुजरात एक्सप्रेस
11.	भेस्तान	9215/9216 सौराष्ट्र एक्सप्रेस
12.	करमनेली	-वही-
13.	पर्दी	-वही-
14.	सचिन	9215/9216 सौराष्ट्र एक्सप्रेस
15.	उदवाड़ा	9012 गुजरात एक्सप्रेस
16.	व्यारा	6045/6046 नवजीवन एक्सप्रेस 6501/6502 अहमदाबाद बेंगलूरू एक्सप्रेस
17.	मियागाम करजाण	9011/9012 गुजरात एक्सप्रेस
18.	सूरत	2951/2952 राजधानी एक्सप्रेस
19.	नवापुर	4245/4246 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस 4243/4244 सूरत वाराणसी एक्सप्रेस
20.	सायन	9019/9020 गुजरात क्वीन
21.	चांपानेर रोड	1269/1270 राजकोट भोपाल एक्सप्रेस 9165/9166 साबरमती एक्सप्रेस
22.	खरसालिया	-वही-
23.	समलाया	-वही-
24.	किम	9057/वलसाड-यड़ोदरा एक्सप्रेस 9055/9056 सायाजी नगरी एक्सप्रेस 9011/9012 गुजरात एक्सप्रेस और सभी एक्सप्रेस गाड़ियां
25.	भड़ुच	6045/6046 नवजीवन एक्सप्रेस 6335/6336 त्रिवेंद्रम-गांधीधाम एक्सप्रेस

26.	बाजुवा	सभी एक्सप्रेस गाड़ियां
27.	देरोल	5063/5064 अवध एक्सप्रेस 9165/9266 साबरमती एक्सप्रेस
28.	अंकलेश्वर	9008 अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस 2471/2472 स्वराज एक्सप्रेस 2009/2010 शताब्दी एक्सप्रेस 2933/2934 कर्णावती एक्सप्रेस
29.	मणिनगर	2933/2934 कर्णावती एक्सप्रेस 1270 भोपाल-राजकोट एक्सप्रेस और सभी गाड़ियां
30.	खरसालिया	9023/9024 बंबई फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस
31	गोधरा	2955/2956 बंबई जयपुर एक्सप्रेस
32.	हलवद	6335/6336 गांधीधाम त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस
33.	सानंद	9153/9154 अहमदाबाद-हापा एक्सप्रेस
34	थान	2477/2478 हापा जम्मू तवी एक्सप्रेस 7017/7018 सिकंदराबाद राजकोट एक्सप्रेस 6333/6334 राजकोट त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस 6337/6338 राजकोट कोवीन एक्सप्रेस
35.	पडधरी	9153/9154 अहमदाबाद हापा एक्सप्रेस 9215/9216 सौराष्ट्र एक्सप्रेस
36.	सुरेन्द्र नगर	8401/8402 ओखा-पूरी एक्सप्रेस
37.	खंभालिया	-वही-
38.	थान	-वही-
39.	बांकानेर	-वही-
40.	कलोल	4827/4828 रानकपुर एक्सप्रेस
41.	ऊंझा	-वही-
42.	सिद्धपुर	-वही-
43.	मेहसाणा	2905/2906 आश्रम एक्सप्रेस
44.	डांगखा	9903/9904 अहमदाबाद दिल्ली एक्सप्रेस
45.	काली रोड	-वही-
46.	साबरमती	सभी एक्सप्रेस गाड़ियां
47.	बावला	9945/9946 गिरनार एक्सप्रेस
48.	अरनेज	9935/9936 अहमदाबाद भावनगर एक्सप्रेस
49.	सोनगढ़	9809/9810 शत्रुंजी एक्सप्रेस 9935/9936 अहमदाबाद भावनगर एक्सप्रेस।

ऐसे अनुरोधों की जांच की जाती है और जहां भी औचित्य और व्यवहार्यता पाई जाती है, ठहराने की व्यवस्था की जाती है।

रेलवे आरक्षण

3666. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसद भवन के सामान्य आरक्षण काउन्टर पर सभी रेलवे प्रमुख स्टेशनों से वापसी यात्रा के लिए आरक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) नई दिल्ली में आरक्षण प्रणाली से जुड़े स्टेशनों से आरम्भ होने वाली सभी गाड़ियों द्वारा आगे की यात्रा और वापसी यात्रा आरक्षण के लिए संसद भवन आरक्षण काउंटरों से बुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा, इन स्टेशनों से गुजरने वाली अन्य गाड़ियों के लिए भी वहां पर उपलब्ध कोटा के अनुसार आरक्षण प्राप्त किया जा सकता है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और सिकन्दराबाद प्रणालियों से वापसी यात्रा आरक्षण के लिए संसद भवन आरक्षण कार्यालय में प्राप्त आरक्षण अनुरोध हर शाम नई दिल्ली आरक्षण कार्यालय को अग्रेषित किए जाते हैं। टर्मिनलों में कोड किए जाते हैं और अगले दिन उस आरक्षण की स्थिति की सूचना दी जाती है।

अन्य चार आरक्षण प्रणालियों से जुड़े स्टेशनों से आगे की यात्रा और वापसी यात्रा के आरक्षण की सुविधा, संसद भवन आरक्षण कार्यालय सहित पांचो आरक्षण प्रणालियों का नेटवर्क बनाकर सभी आरक्षण कार्यालयों पर उपलब्ध हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए नेटवर्क बनाने संबंधी अपेक्षित साफ्टवेयर तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यूनानी चिकित्सा पद्धति

3667. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार, इस प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन करने के लिए तैयार है;

(ग) यदि हां, तो कितनी भूमि की आवश्यकता है तथा कर्नाटक सरकार ने कितनी भूमि के आवंटन का प्रस्ताव किया है; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान उपरोक्त संस्थान पर कितनी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा होम्योपैथी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) जी, हां। कर्नाटक सरकार द्वारा बंगलौर में निःशुल्क उपलब्ध की गई 55 एकड़ तथा 3 गुन्टा भूमि पर एक राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भवन का शिलान्यास 8.11.1995 को पहले ही हो गया है तथा चालू वर्ष अर्थात् 1995-96 के दौरान संस्थान के लिए 100.00 लाख रुपये का प्रावधान उपलब्ध है।

[हिन्दी]

न्यायाधिकरणों में लम्बित मामले

3668. श्री काशीराम राणा :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत तीस हजारी में अनेक किराया नियंत्रण न्यायाधिकरणों में गत तीन वर्षों, पांच वर्षों और आठ वर्षों से कितने मामले लम्बित है और इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर इन मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) तीस हजारी में विभिन्न किराया न्यायाधिकरणों में दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत लम्बित मामलें (30.9.1995) की स्थिति, दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है। इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के मूल कारण हैं पार्टियों द्वारा स्थगन, गवाहों का न आना, वकीलों की हड़ताल न्यायालयों की कम संख्या आदि हैं।

(ख) न्यायालयों में लम्बित मामलों की समस्या पर विचार करो तथा इन्हें शीघ्रतम निपटाने के साधनों तथा स्रोतों का पता लगाने की दृष्टि से मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की एक बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 4.12.1993 को हुई थी। इस कान्फ्रेंस में पारित संकल्प सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और दिल्ली न्यायालय सहित उच्च न्यायालय को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु भेजे गये हैं। इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्टार ने सूचित किया है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय लम्बित मामलों का शीघ्र निपटाने हेतु हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। मामलों का निपटान विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता हैं और इसलिये उनके निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

विवरण

1.	30.9.95 को लम्बित मामलों की संख्या	—	15790
2.	3 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की संख्या	—	2644
3.	5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की संख्या	—	2987
4.	8 वर्ष से पुराने मामलों की संख्या	—	2584

बेरोजगारी से आतंकवाद में वृद्धि

3669. डा० मुमताज अंसारी : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बेरोजगारी से आंतकवाद को बढ़ावा मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा सरकार उठा रही है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया) : (क) और (ख) कभी-कभी बेरोजगारी को आतंकवाद की उत्पत्ति के कारणों में से एक कानून माना जाता रहा है परन्तु बेरोजगारी और आतंकवाद के बीच सीधा परस्पर संबंध स्थापित करना कठिन है।

(ग) जहां तक शहरी क्षेत्रों की बात है, शहरी गरीबों के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किये गये हैं जिनमें नेहरू रोजगार योजना नामक केन्द्र प्रवर्तित योजना शामिल है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी गरीबों के लिए इसके तीन घटकों नामतः शहरी लघु उद्यम स्कीम (एस यू. एम आई), शहरी मजदूरी रोजगार योजना (एस यू डब्ल्यू ई) तथा आवास व आश्रय सुधार योजना (शासु) के तहत स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार सृजन करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबीं उन्मूलन कार्यक्रम नामक एक नई केन्द्र प्रवर्तित योजना शुरू की गई है जिसका एक घटक रोजगार सृजन भी है।

[अनुवाद]

रेल लाइन का सर्वेक्षण

3670. श्री वी. श्री निवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमाराजनगर से मेथुपलायम के बीच एक नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है तथा यह परियोजना कब तक पूरी कर ली जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[हिन्दी]

रेल पुल

3671. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री हरिकिशोर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री 9 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3917 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन छितौनी-बगडा रेल पुल का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) परियोजना के पूरा होने में विलंब हुआ है।

(ख) सह-भागीदारों यथा जल संसाधन मंत्रालय और उत्तरप्रदेश तथा बिहार सरकारों से उनके हिस्से की धनराशि समय पर प्राप्त न होने के कारण।

(ग) मार्च, 1996 तक बशर्ते कि सह-भागीदार अपने हिस्से की शेष धनराशि जमा करा दें।

[अनुवाद]

यात्री वायुयान

3672. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, चीन, दक्षिण कोरिया तथा सिंगापुर ने मध्यम आकार का यात्री वायुयान बनाने के संबंध में किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वायुयान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) से (ग) भारत, चीन, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर द्वारा संयुक्त रूप से एक मध्यम आकार के यात्री वायुयान का निर्माण करने के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ नवंबर, 1993 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तत्पश्चात् मैसर्स दाइवू के स्थान पर कोरिया गणराज्य से मुख्य साझेदार के रूप में मैसर्स समसुंग एयरोस्पेस को लिया गया। इस प्रस्ताव पर व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चीन की एविएशन इंडस्ट्रीज (ए वी आई सी) के साथ भी अगस्त, 1995 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अध्ययन अभी शुरू नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

3673. श्री राम पाल :
श्री पंकज चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल दुर्घटनाओं को कम से कम करने के लिए विदेशी कम्पनियों की सहायता लेने का है;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ देशों के साथ बातचीत हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (घ) रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलों पर संरक्षा में सुधार लाने के लिए हाल ही में जापान सरकार से सहयोग के लिए संपर्क किया है। एस.एन.सी.एफ. (फ्रांसीसी रेल) ने भी भारतीय रेलों पर संरक्षा प्रणाली का अध्ययन करने की पेशकश की है।

आटोमोबाइल उद्योग

3674. श्री नवल किशोर राय :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों में देश में कारों के निर्माण में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में कितनी कारों का निर्माण किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में देश में विनिर्मित कारों की संख्या इस प्रकार है :–

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन
1992-93	2,52,500	1,63,100
1993-94	3,42,500	2,09,695
1994-95	3,61,700	2,64,007

रेल सम्पर्क

3675. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में चार जिला मुख्यालय अर्थात् सिरोही, झालावाड़, टोंक तथा बांसवाड़ा रेल सेवा से नहीं जुड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन जिला मुख्यालयों को रेल सेवा से जोड़ने के कार्य शुरू करने का है; और

(ग) यह कार्य कब से प्रारम्भ हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन मुख्यालयों को रेल लाइन स जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

3676. श्री भगवान शंकर रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली/दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के ऐसे औषधालय हैं जिनमें एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों प्रकार का इलाज किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एलोपैथी और होम्योपैथी के डाक्टर एक ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन दोनों चिकित्सा शाखाओं के लिए अलग-अलग मुख्य चिकित्सा अधिकारी न होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली के निम्नलिखित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में एलोपैथिक तथा होम्योपैथिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं :

(i) कालकाजी-I (यूनिट)

(ii) कस्तूरबा नगर-I (यूनिट)

(iii) पुष्प विहार (यूनिट)

(iv) आर.के. पुरम-III (सेक्टर-VI) (यूनिट)

(v) तिमारपुर (यूनिट)

(vi) शाहदरा (यूनिट)

(vii) दरियागंज (यूनिट)

(viii) राजौरी गार्डन (यूनिट)

(ix) तिलक नगर (यूनिट)

(x) साउथ एवेन्यू (यूनिट)

(xi) काली बाडी (औषधालय)

(ग) एलौपैथिक तथा होम्योपैथिक पद्धतियों के चिकित्सक केवल प्रशासनिक प्रयोजन के लिए ही एक मुख्य अधिकारी के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। व्यावसायिक प्रयोजनों की दृष्टि से दोनों पद्धतियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं।

(घ) चूंकि होम्योपैथिक पद्धति के लिए स्वीकृत चिकित्सा तथा परा चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या सीमित है, इसलिए होम्योपैथिक इकाइयां औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती हैं। तथापि, व्यावसायिक दृष्टि से वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं।

[हिन्दी]

संयुक्त क्षेत्र में अस्पताल

3677. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और विस्तार के लिए संयुक्त क्षेत्र में अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर अन्तुले) : (क) से (ग) संयुक्त उद्यमों के जरिए अस्पतालों की स्थापना सहित अनेक उपायों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को बढ़ाने का संभावना का पता लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

रेल लाइन

3678. **श्री प्रवीन डेका :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान किन-किन रेल लाइनों के संबंध में सर्वेक्षण किया जा रहा है अथवा किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 1995-96 के दौरान असम में निम्नलिखित सर्वेक्षण किए जा रहे हैं या करने का प्रस्ताव है :

(i) मुरकांगसेलेक से पासीघाट तक नई मीटर लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण।

(ii) दिगारू से बनीहाट तक नई बड़ी लाइन।

(iii) लंका से सिलचर तक नई बड़ी लाइन।

(ख)और(ग) उपर्युक्त सर्वेक्षणों की प्रगति इस प्रकार है :

(i) 8 प्रतिशत। बहरहाल, फील्ड सर्वेक्षण शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि अरुणाचलम प्रदेश सरकार ने धारा 4 के अंतर्गत अभी राजपत्रित अधिसूचना प्रकाशित करनी है।

(ii) 50 प्रतिशत। टोह सर्वेक्षण पूरा हो गया है। असम सरकार द्वारा राजपत्रित अधिसूचना प्रकाशित न करने के कारण फील्ड कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

(iii) सर्वेक्षण पूरा हो गया है। रिपोर्ट की बोर्ड कार्यालय में जांच की जा रही है।

महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग

3679. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) महाराष्ट्र राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्नक है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक इस क्षेत्र में खर्च की गई कुल धनराशि 3878.00 लाख रुपये से अधिक है।

(ग) चालू वर्ष की योजना में 7500 बायोगैस संयंत्र 1,60,000 उन्नत चूल्हे और 500 सौर लालटेन लगाने का लक्ष्य है। इसके अलावा चलकेवाडी में 2.0 मेवा. क्षमता की एक पवन विद्युत प्रदर्शन परियोजना को मंजूरी दी गई है। लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए 68 मेवा. समग्र क्षमता के 122 स्थलों की पहचान की गई है। चीनी मिलों में बायोगैस सह उत्पादन के लिए भी अच्छी संभाव्यता है, जिसमें महाराष्ट्र की सहकारी चीनी मिलें गहरी रुचि दिखा रही हैं।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में 31.3.1995 तक स्थापित की गई प्रणालियां

क्र.सं.	प्रणाली	क्षमता/आकार
1.	सौर प्रकाशवोल्टीय पम्प (सं.)	49
2.	पवन मिल	2 सं. पवन बैटरी चार्जर
3.	बायोमास गैसीफायर प्रणाली	9 सं. (900 किलोवाट)
4.	सह-उत्पादन	7 सं. (प्रारम्भ किए गए)
5.	उन्नत चूल्हा (सं०)	13.85 लाख
6.	लघु जल विद्युत	3 मेवा. समग्र क्षमता की 3 परियोजनाएं
7.	ऊर्जाग्राम	61 ऊर्जाग्राम परियोजनाएं 306 ऊर्जा सर्वेक्षण
8.	एकीकृत ग्राम ऊर्जा विद्युत	33 ब्लॉक
9.	सौर तापीय	
	क. सौर कुकर (सं०)	44942
	ख. सौर संग्राहक क्षेत्र	32537 वर्ग मीटर
10.	सौर प्रकाशवोल्टीय	
	क. सौर लालटेन (सं०)	3792
	ख. घरेलू रोशनी प्रणालियां	72
	ग. सड़क रोशनी प्रणाली (सं०)	2941
	घ. सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र सं.	3 (6.44 केडब्ल्यूपी)
	ङ. सामुदायिक/टी.वी. (सं.)	64
11.	पवन ऊर्जा	60 पवन मानचित्रक तथा 9 पवन मॉनीटरिंग 5 स्थलों का पता लगाया गया है।

घातक मलेरिया

3680. श्री रवि राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 नवम्बर, 1995 के "हिन्दु" में मेलिगनेट मलेरिया हॉन्ट्स बंगाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, मुर्शिदाबाद, हुगली और चौबीस परगना में भी स्थिति गंभीर है; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचनानुसार पश्चिम बंगला में अक्तूबर, 1995 तक मलेरिया के 62,502, पी०—फाल्सापेरम के 9520 रोगी तथा मलेरिया से 107 मौतें हुई हैं।

(ग) जलपाइगुड़ी और कूचबिहार, पी०—फाल्सापेरम मामलों की अधिकतर घटनाओं सहित मलेरिया स्थानिकमारी वाले जिले हैं।

(घ) उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

— शुरू में पता लगाकर त्वरित उपचार करना।

— कीटनाशियों के कारगर इस्तेमाल के जरिए रोगवाहको का नियंत्रण करना ताकि उनके फैलाव को रोका जा सके।

— मच्छर पनपने के स्रोतों को कम करने, लार्वानाशियों के इस्तेमाल और जैव—पर्यावरणिक उपायों के जरिए मच्छरों के प्रजनन को खत्म करने हेतु लार्वारोधी उपाय करना।

— मलेरिया निवारण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेज करना।

— औषधि वितरण तथा रोगनिरोधी उपचार में समुदाय को भागीदार बनाना।

— औषधियों और कीटनाशियों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति और आवधिक दौरों के जरिए उनका बारीकी से अनुवीक्षण करना।

संसाधनों की कमी

3681. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौ सेना संसाधनों की कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भारतीय नौसेना को बजट सम्बन्धी आबंटनों का निर्धारण भू-राजनैतिक परिवहन तथा मौजूदा संभावित खतरे सहित सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।

बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी

3682. श्री हरापन राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड की रानीगंज स्थित रिफ्रैक्टरी एण्ड सेरेमिक यूनिट को देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों से थोक क्रयादेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे इस्पात संयंत्रों के नाम, आर्डर की गई मदों के नाम उनकी मात्रा, कीमत सुपुर्दगी, समय-अनुसूची क्या है;

(ग) प्रबंधकों द्वारा इन क्रयादेशों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन क्रयादेशों की पूर्ति करने में इन यूनिटों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रबंधकों द्वारा सुपुर्दगी की समय-अनुसूची के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे निम्नवत् हैं :–

(i) **बोकारो इस्पात संयंत्र** : 4095 मी.टन की कुल मात्रा के 436.38 लाख रुपये मूल्य के सिलिका कोक ओवन ईंटों के आर्डर प्राप्त हुए हैं। इसकी सुपुर्दगी मार्च, 1996 तक की जानी है

(ii) **राउरकेला इस्पात संयंत्र** : 700 मी.टन. कुल मात्रा के 76.30 लाख रुपये के सिलिका कोक ओवल ईंटों के आर्डर प्राप्त हुए हैं जिसकी सुपुर्दगी मार्च, 1996 तक की जानी है। इसके अतिरिक्त, 69 लाख रुपये मूल्य की 511 मी. टन सिलिका ईंटों की आपूर्ति के लिए एक आशय-पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी सुपुर्दगी प्रति माह 100 मी. टन के हिसाब से मई, 1996 से की जानी है।

(iii) **इस्को बर्नपुर** : 24.07 लाख रुपये मूल्य के 255 मी. टन की कुल मात्रा के पिलिका कोक ईंटों, मोटरि इत्यादि के आर्डर प्राप्त हुए जिनकी आपूर्ति सितम्बर, 1995 तक की जानी थी।

(ग) कंपनी प्रति माह लगभग 35 लाख रुपये मूल्य के 250-300 मी.टन के आर्डर निष्पादित कर रही है।

(घ) से (च) ग्रेड-बी भाप कोयले की आपूर्ति न होने, कोयले में धूल तत्व, क्वार्टीजाइट कच्चे सामान की अनुपलब्धता तथा निधियों की कमी के कारण इन आर्डरों के निष्पादन में कंपनी समस्या का सामना कर रही है। प्रबंधन, समय अनुसूची के अनुपालन हेतु सभी संभव प्रयास कर रहा है।

स्वास्थ्य सेवा योजना

3683. डा० (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार के लोक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई योजना केन्द्रीय सरकार के समक्ष विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) से (ग) गहन चिकित्सा तथा विषविज्ञान यूनिट का दर्जा सरकारी अस्पताल मद्रास में क्षेत्रीय विष नियंत्रण केंद्र के तुल्य करने हेतु जापान से सहायता मांगने संबंधी प्रस्ताव की जांच-पड़ताल पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के सहयोग से की गई है और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की अपेक्षानुसार अब तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट भेज दें।

सरकारी शिशु अस्पताल मद्रास के हृदय-वक्ष शल्यक्रिया यूनिट के लिए उच्च तकनीक वाले कुछ उपकरण प्रदान करने संबंधी तमिलनाडु सरकार का एक दूसरा प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग को अग्रेषित कर दिया गया है। ताकि उसे उपयुक्त अभिकरण को प्रस्तुत किया जा सके।

171 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर 5 वर्षों की अवधि तक जिला अस्पतालों, तालुक अस्पतालों, क्षयरोग अस्पतालों, कुष्ठ नियंत्रण आदि की सुविधाओं में सुधार करने संबंधी तमिलनाडु सरकार के हाल के परियोजना प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।

नर्सें

3684. श्रीमती वसुधंरा राजे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2000ईस्वी तक नर्सों की आवश्यकता संबंधी कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय नर्सों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (घ) स्वास्थ्य कार्मिक उत्पादन समिति ने अपनी रिपोर्ट में 2001ईस्वी तक 6.46 लाख नर्सिंग कार्मिकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

1993 के अन्त तक परिषद् द्वारा 4.49 लाख नर्सों का पंजीकरण किया है। केन्द्रीय सरकार ने 1994-95 और 1995-96 के दौरान दस नये नर्सिंग स्कूल स्वीकृत किए हैं तथा स्कूलों के उन्नयन का भी समर्थन किया है।

आमान परिवर्तन

3685. श्री ललित उरांव : क्या **प्रधान मंत्री** 28 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2055 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार में रांची-लोहारदगा के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किए जाने तथा उसे टोरी तक बढ़ाने से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) रांची-लोहारडागा (69 कि.मी.) छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और इसके टोरी (44 कि.ग्रा.) तक विस्तार के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट 30.6.96 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है।

लघु उद्योग विकास संगठन

3686. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में लघु उद्योग विकास संगठन के विस्तार केन्द्र को बंद कर दिया गया है, और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सी डी (लघु उद्योग विकास संगठन) द्वारा किए गए कुछ कार्यकलापों की समीक्षा पर यह निर्णय लिया गया था कि सी डी के कार्यकलापों का विस्तार न किया जाए और केरल में विस्तार केन्द्र सहित कम तकनीकी/गैर कार्य निष्पादक सभी विस्तार केन्द्रों (संख्या 37) को बन्द कर दिया जाए। राज्य सरकार को अधिग्रहण का प्रस्ताव देने के बाद इन केन्द्रों को बन्द कर दिया गया था।

भारतीय चिकित्सा पद्धति

3687. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद यूनानी तथा अन्य स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के अनुसंधान तथा विकास पर क्षेत्रवार कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों के दौरान होने वाले ऐसे निवेशों का कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा एलोपैथी अर्थात् आधुनिक चिकित्सा में अनुसंधान के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि उपाबन्ध में विवरण में संलग्न है। आने वाले वर्षों में अनुसंधान कार्यकलापों को उपलब्ध संसाधनों द्वारा और सुदृढ़ किया जाएगा।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के संबंध में सूचना एकत्र को जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा एलोपैथी में अनुसंधान के लिए योजनागत

वर्ष	खर्च
1992-93	3,227.95 लाख रुपये
1993-94	3,453.29 लाख रुपये
1994-95	3,613.51 लाख रुपये

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

3688. श्री धर्मण्णा मॉडयूया सादुल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों के केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल कितना सहायतानुदान दिया गया; और

(ख) इस संबंध में राज्यों के कितने स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आदिवासी उप-योजना के तहत विगत 3 वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

वर्ष	(रुपये करोड़ों में)
1992-93	11.9
1993-94	13.4
1994-95	15.4

(ख) राज्य सरकार का कोई अनुरोध स्वीकृति हेतु लंबित नहीं पड़ा है।

[हिन्दी]

गंदी बस्तियों का विकास

3689. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों और विशेषकर गुजरात सरकार की ओर से गंदी बस्तियों का विकास करने एवं उनमें सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस हेतु विदेशी ऋणों को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों को ऋण देने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) से (ङ) स्लमों के विकास बाबत संघ सरकार को राज्य सरकारों से प्रस्ताव होते रहे है जिनमें विदेशी सहायता की मांग की जाती है। इन प्रस्तावों का संबंध बुनियादी नागरिक सेवाओं और साथ ही स्वास्थ्य तथा समुदाय विकास कार्यकलापों से है। ये प्रस्ताव दाता (डोनर) एजेन्सियों को भेज दिये गये हैं। इन प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

50,000 परिवारो वाले 336 स्लमों के समन्वित विकास संबंधी एक परियोजना प्रस्ताव गुजरात सरकार द्वारा नवम्बर, 1992 में भेजा गया था। इस प्रस्ताव को ब्रिटेन के ओवर सीज डिवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ डी ए) के विचारार्थ भेजा गया। ओ डी ए ने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

विवरण

विदेशी सहायता से स्लम सुधार परियोजना

ऑवरसीज डिवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओडीए) इंगलैण्ड से सहायता प्राप्त परियोजना

1. **आन्ध्र प्रदेश**

क. हैदराबाद पर्यावास सुधार परियोजना

ख. विशाखापट्टनम पर्यावास सुधार परियोजना

ग. विजयवाड़ा स्लम सुधार परियोजना

घ. आन्ध्र प्रदेश स्लम सुधार परियोजना (प्रस्तावित)

2. गुजरात

क. बडौदा स्लम सुधार परियोजना (प्रस्तावित)

3. केरल

क. कोचीन शहरी गरीबी उपशमन परियोजना

4. मध्य प्रदेश

क. इन्दौर हैबिटॉट इम्प्रूवमेंट प्रोजेकट।

5. उड़ीसा

क. कटक पर्यावास परियोजना

6. पश्चिम बंगाल

क. कलकत्ता स्लम सुधार परियोजना

डी यू टी सी एच (नीदरलैण्ड) से सहायता प्राप्त परियोजना

1. कर्नाटक

क. बंगलौर शहरी गरीबी उपशमन परियोजना

2. जर्मनी से सहायता प्राप्त परियोजना

1. महाराष्ट्र

क. नागपुर स्लम सुधार परियोजना (प्रस्तावित)

[अनुवाद]

रेल की पटरी

3690. श्री राम कृपाल यादव :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1995-96 के दौरान 2600 किलोमीटर की रेल की पटरियों को बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें से बिहार में पड़ने वाली रेल की पटरियों की लम्बाई कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) जी हां। रेलपथ नवीकरण का रेलवे वार लक्ष्य नीचे दिया गया है :–

रेलवे	लक्ष्य सी टी आर यूनिटों में (कि. मी.)
मध्य	356
पूर्व	298
उत्तर	341
पूर्वोत्तर	159
पूर्वोत्तर सीमा	106
दक्षिण	207
दक्षिण मध्य	313
दक्षिण पूर्व	529
पश्चिम	291
जोड़	2600

(ग) बिहार में कुल रेलपथ की लंबाई 5288.11 मार्ग किलोमीटर है (31.3.95 को) जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

बड़ी लाइन	–	3666.38 कि.मी.
मीटर लाइन	–	1552.58 कि.मी.
छोटी लाइन	–	69.15 कि.मी.

आमान परिवर्तन

3691. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट के रानिया मुरकोंग सेलेक से छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मार्ग की लंबाई कितनी है, इस पर चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या तथा ये रेलगाड़ियां अलग-अलग कितने फेरे लगाती हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) यह काम कार्य योजना के पहले चरण में शामिल किया गया है और इसे आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मार्ग की लंबाई 450 कि.मी. है। निम्नलिखित दैनिक गाड़ियां रंगिया-रंगापाड़ा नार्थ-मुरकांग सेलेक खंड पर उपलब्ध हैं :–

(क) रंगिया-रंगापाड़ा/नार्थ खंड

1. 5715/5716 पैसेंजर एवं एक्सप्रेस (दैनिक)
2. 5813/5814 अरूणाचल एक्सप्रेस (दैनिक)
3. 171/172 पैसेंजर (दैनिक)
4. 173/174 पैसेंजर (दैनिक)

(ख) रंगापाड़ा नार्थ-मुरकांग खंड

1. 5813/5814 अरूणाचल एक्सप्रेस (दैनिक)
2. 175/176 पैसेंजर (दैनिक)

समय सारणी

3692. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी प्रकाशनों द्वारा अंग्रेजी में रेलवे की समय सारणी के मुद्रण/प्रकाशन तथा इसकी बिक्री पर कोई प्रतिबंध है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, रेलें अंग्रेजी समय सारणियां स्वय प्रकाशित करती है।

राजीव दस लाख आवास योजना

3693. प्रो. के.वी. थामस : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौजूदा वर्ष के दौरान राजीव दस लाख आवास योजना के अंतर्गत, राज्य-वार कितने आवास बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस योजनाके के लिये पर्याप्त धनराशि नियत की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया) : (क) से (ग) इस प्रकार की कोई केन्द्रीय क्षेत्र अथवा केन्द्र प्रवर्तित शहरी आवास योजना नहीं है।

मस्तिष्क ज्वर

3694. श्री राम कापसे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में मस्तिष्क ज्वर पुनः फैल रहा है और इससे पीड़ित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में; और

(घ) मस्तिष्क जवर नियंत्रण के लिए मंत्रालय ने क्या कार्यवाही शुरू की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) पी.—फाल्सीपेरम मलेरिया जिससे सेरेब्राल मलेरिया हो सकता है, में विगत कुछ वर्षों से मामूली वृद्धि देखी गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय सभी राज्यों में नियमित आधार पर पी.—फाल्सीपेरम मामलों सहित मलेरिया की स्थिति का अनुवीक्षण करता आ रहा है।

(घ) मलेरिया के कारगर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

- शुरू में पता लगाकर त्वरित उपचार करना।
- कीटनाशियों के कारगर इस्तेमाल के जरिए रोगवाहको का नियंत्रण करना ताकि उनके फैलाव को रोका जा सके।
- मच्छर पनपने के स्रोतों को कम करने, लारवानाशियों के इस्तेमाल और जैव—पर्यावरणिक उपायों के जरिए मच्छरों के प्रजनन को खत्म करने हेतु लारवारोधी उपाय करना।
- मलेरिया निवारण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेज करना।
- विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए संशोधित नीति को क्रियान्वित करना।
- औषधि वितरण तथा रोगनिरोधी उपचार में समुदाय को भागीदार बनाना।

कांदिवली में दुर्घटना

3695. श्री अनादि चरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने 23 महिलाओं के परिवारों को मुआवजा दे दिया है जो दो वर्ष पूर्व कांदिवली में हुई रेल दुर्घटना की शिकार हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) यह त्रासदी रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए 15.10.95 को कांदिवली और बोरीवली स्टेशनों के बीच हुई दुर्घटना में मारी गई 25 महिला दैनिक यात्रियों के आश्रितों को कोई मुआवजा देय नहीं है। तथापि, उन्हें 1.25 लाख रुपए की राशि का अनुग्रह के रूप में भुगतान किया गया है। इसके अलावा, माननीय प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 5.12 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

3696. श्री छेदी पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के किस रेल खंड में रेल लाइनों का दोहरीकरण कार्य किया गया है;

(ख) क्या दरभंगा और समस्तीपुर के बीच रेल लाइनों के दोहरीकरण कार्य को रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्य को पुनः चालू कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में दोहरीकरण के पूरे किए गए कार्य नीचे दिए गए हैं :—

1992-93

	खण्ड	लम्बाई/कि.मी.
1.	नाथनगर-भागलपुर	5.03
2.	हैदरनगर-कोशियारा	6.07
3.	जपला-हैदरनगर	7.02
4.	कोशियारा-मोहम्मदगंज	5.84

1993-94

1.	क्यूल-जमालपुर-भागलपुर	5.00
2.	मुगलसराय-गनखाराजा	4.00

1994-95

1.	सैयदराजा-चौदौलीमझवार	8.4
2.	चौदौलीमझवार-गंजख्वाजा	8.5
3.	गंजख्वाजा-मुगलसराय	7.00

(ख) समस्तीपुर और दरभंगा के बीच दोहरीकरण का कोई कार्य प्रगति पर नहीं है। केवल आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है जो जनवरी'96 में पूरा हो जाएगा।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मोनोसोडियम ग्लुटोमेट

3697. श्री गुरूदास कामत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोजन में मोनोसोडियम ग्लुटोमेट की मात्रा में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खरीद में घोटाला

3698. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की निर्माण यूनिट में खरीद में बड़े घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) लगभग 1.9 करोड़ रुपए मूल्य की सामग्रियों की खरीद में निहित अनियमितताओं का एक मामला पकड़ा गया है। अनियमितताओं का संबंध, मुख्यतः सामग्रियों की आवश्यकता से अधिक मांग करने, मांग को विभाजित करने, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बगैर उच्च दरों पर सामग्री की खरीद करने तथा अस्पष्ट विवरण/बिना किसी विनिर्दिष्टीकरण के मदों की खरीद करने से हैं।

(ग) जी हां।

(घ) प्रारंभिक जांच पर 2 राजपत्रित अधिकारियों सहित 14 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, विस्तृत जांच पूरी होने पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से दण्डात्मक/अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बी.एच.ई.एल. द्वारा मेसर्स केल्ट्रान को अपने अधिकार में लिया जाना

3699. श्री के. मुरलीधरन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.एच.ई.एल. द्वारा मैसर्स केल्ट्रान पावर डिवाइज लिमिटेड तथा मेसर्स रेक्टीफायर को अपने अधिकार में लिये जाने संबंधी केरल सरकार का प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मूर्त रूप दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) जुलाई, 1995 में केरल राज्य की सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विचाराधीन है।

स्टेशनों पर स्टाल और ट्राली

3700. श्री शैलेन्द्र महतो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर खान-पान सेवा प्रदान करने के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितने स्टाल और ट्राली आबंटित किये गये है;

(ख) ऐसे आबंटन के लिये क्या शर्त/मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) विभिन्न रेलवे स्टेशनों तथा मुम्बई, मद्रास, नई दिल्ली, बंगलौर, कलकत्ता के नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर अत्याधिक भीड़-भाड़ के मद्देनजर खान-पान सेवाओं के लिए विभिन्न स्टाल और ट्राली का आबंटन बढ़ाने का क्या औचित्य है; और

(घ) इन महानगरों में रेलवे स्टेशनों पर आंबटित किये गये ऐसे स्टालों के आबंटन को रद्द करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) रेलों द्वारा यात्रियों की खान-पान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठित एव व्यावसायिक खान-पान प्रबंधकों से आवेदन आमंत्रित करके क्षेत्रीय खान-पान/वैडिंग स्टालों और ट्रालियों का आबंटन किया जाता है। मौजूदा नीति के अनुसार आवेदकों का चयन गुण-दोष के आधार पर जांच की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। किन्तु विशेष मामलों के रूप में कुछ आबंटन रेल मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन पर किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण

3701. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या प्रधान मंत्री 2 मई, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 4089 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडाल और सैथिया के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण हेतु सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 30.6.1996 तक।

रेल लाइन

3702. प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-आमटा और हावड़ा सियाखला रेल लाइनों पर कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) हावड़ा-आमता नई बड़ी लाइन का निर्माण जिसे संसाधनों की तंगी और कम परिचालनिक प्राथमिकता के कारण कुछ वर्षो के लिए रोक दिया गया था, अब शुरू कर दिया गया है और इस कार्य को शुरू करने के लिए 1995-96 में एक करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। प्रथमतः बड़गछिया-मुंशीरहाट (8 कि.मी) का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

हावड़ा-सियाखला नई बड़ी लाइन एक स्वीकृत कार्य है परंतु धन की कमी के कारण इसकी प्रगति नहीं हो सकी। इस लाइन की यातायात क्षमता की 1987-88 में समीक्षा की गई थी जिसके बाद इस कार्य को हटा दिया गया था। रेलवे को उपर्युक्त परियोजना के लिए यातायात क्षमता का पता लगाने और इसमें अन्तर्निहित लागतों का मूल्यांकन करने का अनुदेश दिया गया है। इस परियोजना के संबंध में आगे विचार करना यातायात संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध होने पर संभव होगा।

''हाल्ट'' स्टेशन

3703. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांकुड़ा नायाबाज और कोणा स्टेशनों के बीच बाल्टीकुडी में एक हाल्ट स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) यात्रियों के लिए बांकुडा नायावाज और कोणा स्टेशनों के बीच बाल्टी कुड़ी में हाल्ट स्टेशन खोलने की मांग प्राप्त हुई है। बहरहाल, परिचालनिक दृष्टि से इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास

3704. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों जो रा. रा.क्षे.दि. सरकार और संपदा निदेशालय से सरकारी आवास आवंटित करवाने के अभ्यर्थी है की कुल संख्या कितनी है और उनका श्रेणीवार और टाइपवार ब्यौरा क्या है;

(ख) रा.रा.क्षे.दि. सरकार और संपदा निदेशालय द्वारा जिन कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटित किये जाने है, उनकी संख्या कितनी है और इनकों कब तक आवास आवंटित किये जाने की संभावना है; और

(ग) रा.रा.क्षे.दि. सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये दिल्ली में आवास के निर्माण के लिये क्या कदम उठाये गये है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार और सम्पदा निदेशालय से रिहायशी वास के आबंटन के लिए पात्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या बाबत् आंकड़ें इस मंत्रालय में अलग से नहीं रखे जाते हैं। सम्पदा निदेशालय से रिहायशी वास का आबंटन प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र कर्मचारियों को किया जाता है, जिसमें, अन्य के साथ-साथ, केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पात्र कर्मचारियों के नाम होते हैं। विभाग-वार या आबंटन एक सतत् प्रक्रिया है जो वास की उपलब्धता पर निर्भर करता है और इसलिए इस प्रयोजन हेतु कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि आठवीं योजना अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए दिल्ली में 1668 और रिहायशी मकान बनाने हेतु उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है। विवरण संलग्न है।

विवरण

सं.	राज्य का नाम	1992-93			1993-94			1994-95			1995-96		
		स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी लाख रु.	सीटो/बेडों की संख्या	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी लाख रु.	सीटो/बेडों की संख्या	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी लाख रु.	सीटो/बेडों की संख्या	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी लाख रु.	सीटो/बेडों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	असम	—	—	—	—	—	—	1	2.00	200	—	—	—
2.	बिहार	—	—	—	3	20.23	2023	4	15.95	1595	—	—	—
3.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	1	2.74	274	—	—	—
4.	केरल	—	—	—	—	—	—	3	3.58	358	—	—	—
5.	मध्य प्रदेश	1	52.01	5201	1	84.00	600	2	130.90	935	—	—	—
6.	महाराष्ट्र	1	23.24	559	3	71.68	512	6	402.08	2812	—	—	—
7.	उड़ीसा	1	2.00	200	—	—	—	1	0.52	63	—	—	—
8.	उत्तर प्रदेश	1	4.07	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	राजस्थान	—	—	—	8	5.46	546	1	1.68	168	1	0.45	45
10.	तमिलनाडु	—	—	—	1	1.46	146	—	—	—	—	—	—

महाराष्ट्र में स्व-रोजगार कार्यक्रम

3705. **श्री अन्ना जोशी** : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में शहरी पत्तन के लिये स्व-रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रवार कुल कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है और 1995-96 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ग) इस कार्यक्रम के लिये कुल कितनी राशि स्वीकृत और वितरित की गई; और

(घ) 1994-95 के दौरान कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये और बिना-चारी के कितने आवेदन निरस्त किये गये ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया) : (क) शहरी गरीबों के लिए, नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) की शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) और प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) नामक, दो केन्द्र प्रवर्तित स्व-रोजगार कार्यक्रम महाराष्ट्र में चलाए जा रहे हैं। हालांकि, शहरी लघु उद्यम स्कीम अक्टूबर, 1989 से चल रही है, प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम इस वर्ष नवम्बर में ही चलाया गया है।

(ख) शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) की निगरानी केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्र-वार/कस्बा या शहर वार नहीं बल्कि राज्य-वार की जाती है। पिछले तीन वर्षों में सहायता-प्राप्त लाभार्थियों की संख्या और वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है :–

वर्ष	सहायता-प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1992-93	18839
1993-94	11,917
1994-95	7,435
1995-96	13,736 (लक्ष्य)

प्रधान मंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) महाराष्ट्र के 28 (अट्ठाईस) श्रेणी-II शहरी समूहों में चलाया जाएगा।

(ग) महाराष्ट्र से मिली जानकारी के अनुसार, शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) के तहत 31.3.1994 तक 3646.60 लाख रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई थी।

(घ) केन्द्रीय स्तर पर ऐसी सूचना का प्रबोधन नहीं किया जाता है।

"इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड" के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक द्वारा किये गये दौरे

3706. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक द्वारा गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर, 1995 तक देश में तथा विदेश में किये गये दौरों पर हुये खर्च का विवरण क्या है तथा प्रत्येक विदेश दौरा किस प्रयोजन से किया गया था; और

(ख) क्या कम्पनी की रुग्णता को दृष्टि में रखते हुए दौरे करना आवश्यक था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक के दौरों पर 1.10.93 से 31.10.95 तक हुए चार्ज के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

अवधि	खर्च की गई धनराशि	
	देश में	विदेश में
1.10.93 से 31.3.94	61,912.50 रुपये	–
1.9.94 से 2.7.95	45,395.95 रुपये	–
3.7.95 से 31.10.95	22,749.25 रुपये	–

(ख) उपर्युक्त दौरे कार्यालय के आवश्यक कार्य सम्पन्न करने हेतु किए गए थे।

बायो-गैस संयंत्र

3707. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षवार और जिलावार कहां-कहां बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए;

(ख) क्या इस संबंध में 1996 और 1997 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना आबंटन किए जाने का विचार है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान बायोगैस संयंत्रों पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे० कुरियन) : (क) गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1994-95 के दौरान स्थापित किए गए सामुदायिक तथा औद्योगिक बायोगैस संयंत्रों के स्थल संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं। बहुत से ग्रामों में परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं जिनकी जिलावार तथा वर्षवार सूचना संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ख) अगले वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए योजना लक्ष्यों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना तथा सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अधीन विभिन्न राज्य सरकारों तथा नोडल एजेंसियों को पिछले तीन वर्षों अर्थात 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कुल 57.75 करोड़ रु०, 81.58 करोड़ रु० तथा 82.46 करोड़ रु० की राशि निर्युक्त की गई है जिसमें से गुजरात राज्य में नोडल एजेंसियों को क्रमशः 11.95 करोड़ रु०, 14.72 करोड़ रु० तथा 11.69 करोड़ रु० निर्युक्त किए गए हैं।

विवरण-I

गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान स्थापित किए गए सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्र (सी बी पी/ आई बी पी) का स्थल

जिला	विभिन्न वर्षों के दौरान स्थापित किए गए सी बी पी/आई बी पी का स्थल		
	1992/-93	1993-94	19994-95
बनसकंठा	अमीरगढ़ तथा थारा	फिरोजपुर	–
भड़ौच	–	स्वामी नारायण गुरुकुल नहियर	–
भावनगर	लोक विद्यालय, वालुकड	–	–
गांधीनगर	मनेकवा विनय विहार, अदलाज	–	–
जूनागढ़	मंडवा तथा कनकेश्वरी मन्दिर	मंडवा	–
राजकोट	–	–	स्टेट कैटिल ब्रीडिंग फार्म भुटवाड़
वडोदरा	बड़ौदा डेरी इटोला	मुनि सेवा आश्रम वधौड़िया	–

विवरण-II

गुजरात राज्य में वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान स्थापित किए गए जिलावार परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संख्या

जिला	विभिन्न वर्षों के दौरान स्थापित किए गए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की सं.		
	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
अहमदाबाद	1203	1611	801
अमरेली	1435	1316	640
बनसकंठा	1284	1711	1665
भड़ौच	1016	1176	342
भावनगर	971	411	310
डंग	111	34	–
गांधीनगर	200	140	–

1	2	3	4
जामनगर	2001	2001	1350
जूनागढ़	4260	5048	3028
खेड़ा	2499	2885	1901
कच्छ	310	77	7
मेहसाना	2540	3225	2050
पंचमहल	2946	3468	3335
राजकोट	3865	2442	1230
सबरकंठा	3676	4233	2543
सूरत	1427	1525	1456
सुरेन्द्रनगर	325	299	137
वड़ोदरा	5152	6039	5108
वलसाड़	2600	3147	2131

उदयन आभा एक्सप्रेस

3708. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली तथा श्रीगंगानगर के बीच "उदयन आभा एक्सप्रेस" के मार्ग में हाल में ही परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उक्त ट्रेन को इसके पुराने मार्ग पर कब से पुनः चलाये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) 3007/3008 उद्यान आभा एक्सप्रेस, जिसका बाढ़ और दरार के परिणामस्वरूप रेवाड़ी-भिवानी-हिसार-सिरसा के रास्ते मार्ग बदला गया था, को 15.12.95 से मूल मार्ग पर पुनः चला दिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण औद्योगिकीकरण

3709. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए समेकित मौलिक संरचना विकास योजना (आई.आई.डी) (तकनीक प्रोत्साहन सेवा सहित) सफल नहीं हो रही है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और इसे सफल बनाने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे है,

(ग) क्या ग्रामीण औद्योगीकीकरण का उद्देश्य सन् 2000 तक सभी को रोजगार प्रदान करना है, और

(घ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिय क्या उपाय किये जो रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों के लघु उद्योगों के लिए एकीकृत अवसरंचना विकास योजना (आईआईडी) (प्रौद्योगिकीय सहायक सेवाओं सहित) मार्च, 1994 में आरंभ की गई थी। अब तक पन्द्रह परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। कुछ परियोजनाओं के मामले में कुछ एककों ने उत्पादन आरंभ कर दिया है। लेकिन, सड़कों, जल-विकास प्रणाली विद्युत वितरण आदि के निर्माण कार्य की वजह से न्यूनतम परिपक्वता अवधि अपरिहार्य होगी। उद्यमी भी अपने एककों की स्थपना करने में कुछ समय लगाते हैं। स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है और परियोजनाओं को तत्परता से कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

परियोजनाओं की स्वीकृति स्थापना-स्थल के चयन, राज्य /संघ शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा उपयुक्त कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को लगाने और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा मूल्यांकन कर लिए जाने के बाद की जाती है। परियोजना के सूत्रीकरण, भूमि अधिग्रहण और परियोजनाओं के मूल्यांकन में कुछ समय लगता है। परियोजनाओं की स्वीकृति हो जाने के बाद ऋण समझौते, राज्य सरकार की गारंटी आदि जैसी औपचारिकताओं में भी समय लगता है। विलंब कम करने के लिए इन पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

जिन राज्य सरकारों ने अभी तक परियोजनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं उनसे अपने प्रस्तावों की पुष्टि करने का अनुरोध किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सन् 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने के एक 10 वर्षीय मध्यमावधी संदर्श के भाग के रूप में आठवीं पंचवर्षीय योजना की रोजगार कार्यनीति बनाई गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की कार्य नीति में रोजगार सघन क्षेत्रों तथा कृषि, एवं ग्रामीण्ए अवसंरचना जैसे कार्यकलापों, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र, लघु एवं विकेन्द्रीकृत विनिर्माणकारी क्षेत्र, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक एवं स्वास्थ्य-सेवाओं, शहरी अनियमित क्षेत्रों और सेवाओं के तीव्र विकास के माध्यम से रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। सन् 1997 से 2002 तक की अवधि में इस कार्यनीति के जानी रहने के कारण रोजगार के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की आशा है जिससे पिछले शेष रोजगार की पूर्ति हो सकेगी और 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। आठवीं योजना की रोजगार कार्यनीति और बाद की अवधि के लिए परिकल्पना की गई रोजगार कार्यनीति से सन् 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में ग्रामीण औद्योगीकरण के महत्त्व की पुष्टि होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आय व रोजगार के सृजन के लिए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना एक प्रमुख नीतिगत लक्ष्य है। यह कार्य विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय, विकास आयुक्त (हथकरघा), खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) कयर बोर्ड और रेशम उत्पादन जैसे संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 40% लघु उद्योग पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। प्रधान मंत्री रोजगार योजना में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दस लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार की क्षमता का अनुभव करते हुए, भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति ने 20 लाख अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने की सिफारिश की थी। इसी प्रकार, लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए नेहरू रोजगार योजना

3710. श्री एन.जे. राठवा : क्या शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक सरकार द्वारा देश में विशेष से गुजरात में फुटपाथ पर रहने वालों के लिए रैन बसेरे और शौच, स्नानादि सुविधाएं प्रदान करने के लिए नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का योजनावार/राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं से राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया) : (क) से (ग) नेहरू रोजगार योजना, शहरी फुटपाथ वासियों के लिए रैन बसेरे व स्वच्छता सुविधाएं मुहैया नहीं कराती। तथापि, इसके लिए एक स्वतंत्र केन्द्र प्रवर्तित "शहरी फुटपाथ वासियों की आश्रय और स्वच्छता सुविधाएं" नामक स्कीम है। इस स्कीम के तहत, सामुदायिक शौचालयों/स्नान घरों सहित रैन बसेरों के निर्माण हेतु हडको के माध्यम से कार्यन्वयन एजेंसियों को 1,000/- रुपये प्रति लाभार्थी केन्द्रीय सब्सिडी की गई है। जिन क्षेत्रों में रैन बसेरा का निर्माण करना अपेक्षित नहीं है केवल "भुगतान करो, उपयोग करो", शौचालयों का निर्माण करने के लिए 350/- रुपये प्रति उपयोगकर्ता प्रति सीट की केन्द्रीय सब्सिडी भी मुहैया करायी गई है।

गत तीन वर्षों अर्थात् 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (आज की तारीख तक) के दौरान हडको द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

सं.	राज्य का नाम	1992-93			1993-94			1994-95			1995-96		
		स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी लाख रु.	सीटो/बेडों की संख्या	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी लाख रु.	सीटो/बेडों की संख्या	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी लाख रु.	सीटो/बेडों की संख्या	स्वीकृत स्कीमों की संख्या	स्वीकृत सब्सिडी लाख रु.	सीटो/बेडों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	असम	—	—	—	—	—	—	1	2.00	200	—	—	—
2.	बिहार	—	—	—	3	20.23	2023	4	15.95	1595	—	—	—
3.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	1	2.74	274	—	—	—
4.	केरल	—	—	—	—	—	—	3	3.58	358	—	—	—
5.	मध्य प्रदेश	1	52.01	5201	1	84.00	600	2	130.90	935	—	—	—
6.	महाराष्ट्र	1	23.24	559	3	71.68	512	6	402.08	2812	—	—	—
7.	उड़ीसा	1	2.00	200	—	—	—	1	0.52	63	—	—	—
8.	उत्तर प्रदेश	1	4.07	407	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	राजस्थान	—	—	—	8	5.46	546	1	1.68	168	1	0.45	45
10.	तमिलनाडु	—	—	—	1	1.46	146	—	—	—	—	—	—

स्वास्थ्य रक्षा

3711. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अनिवासी भारतीयों की भागीदारी प्राप्त करने के लिये सरकार कोई प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) से (घ) निजी क्षेत्र का देश में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने में पहले ही प्रमुख योगदान है। गत चार वर्षों के दौरान आनिवासी भारतीय सहयोग से अस्पताल/सवैदानिक केन्द्र स्थापित करने हेतु 14 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

नौसेना का आधुनिकीकरण

3712. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एस.एम. लालजान बाशा :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौसेना के लिये स्वदेशी पनडुब्बी योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौसैनिक कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रस्तावों को सरकार ने स्वीकृत दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना को क्रियान्वित करने में कुल कितना व्यय आने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) स्वदेशी पनडुब्बी की ऐसी कोई औपचारिक योजना नहीं है जो सरकार को नौसेना से प्राप्त हुई हो। तथापि, पनडुब्बी देश में ही बनाए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार को नौसेना कार्यक्रमों के प्रस्ताव समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं और इन्हें प्रत्येक मामले के गुणावगुण तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अनुमोदित किया जाता है।

महाप्रबंधकों की शक्तियां

3713. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने हाल ही में महाप्रबंधकों की शक्तियों को कम करने के बारे में आदेश जारी किये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी शक्तियों को कम करने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) जी हां, निविदाएं देने के संबंध में महाप्रबंधकों की शक्तियों को हाल ही में, प्रत्येक मामले में, 5 करोड़ रुपये से घटाकर 3 करोड़ रुपये किया गया है। यह विनिश्चय प्रशासन के समग्र हित में तथा महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

[हिन्दी]

दूर-दराज के क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना

3714. डा० मुमताज अंसारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के लाभ हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह योजना किन-किन राज्यों में चल रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख) जी, नहीं, फिर भी ग्रामीण और दूर-दराज के लोगों को परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सेवाएं उपकेंद्रो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के तंत्र के जरिए प्रदान की जाती है। राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और रखरखाब किया जाता है। केंद्र सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत उपकेंद्रों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

देश में ऐसे केंद्रों का सं. 30.6.95 की स्थिति के अनुसार नीचे दी गई है :–

उपकेंद्र	1,31,900
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	21,693
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,385

(ग) से (घ) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजनाएं केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र एक व्यापक ढांचे के द्वारा कवर किया जाता है जिसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1994-95 के दौरान उप-केंद्रों, प्रा.स्वा. केंद्रों तथा सामु.स्वा.केंद्रों की स्थापना में हुए प्रगति

क्रम राज्यों/संघ	1994-95 उपलब्धि	उपकेंद्र 30.6.95 की स्थिति के अनुसार कार्यरत	प्रा. (1994-95) प्राप्त लक्ष्य		स्वा. केंद्र 30.6.95 स्थिति के अनुसार कार्यरत	सामु. (1994-95) प्राप्त लक्ष्य		स्वा. केंद्र 30.6.95 स्थिति के अनुसार कार्यरत सं.	वह अवधि जिस तक सूचना का संबंध है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आंध्र प्रदेश	–	7894	60	–	1283	40	–	46	31.3.94
2. अरुणाचल प्रदेश	–	205	6	6	42	2	2	9	31.5.95
3. असम*	–	5280	50	34	619	13	8	105	31.7.94
4. बिहार	–	14799	शून्य	–	2209	शून्य	–	148	31.3.94
5. गोवा	–	175	1	–	21	शून्य	–	5	31.5.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. गुजरात	—	7284	15	15	956	9	9	185**	31.7.95
7. हरियाणा	—	2299	शून्य	3	397	शून्य	1	60	31.5.95
8. हिमाचल प्रदेश	55	1906	15	15*	240	1	5*	47	31.7.95
9. ज. और कश्मीर*	—	1700	20	20	335	4	4	45	30.6.95
10. कर्नाटक*	—	7793	100	100	1428	10	11	204	31.3.94
11. केरल	—	5094	15	21	929	5	—	54	31.3.95
12. मध्य प्रदेश	—	11936	365	—	1376**	12	—	190	30.6.95
13. महाराष्ट्र	150	9725	शून्य	13	1695	शून्य	3	295	31.7.95
14. मणिपुर	—	420	2	2	72	1	1	15	30.6.95
15. मेघालय*	—	333	2	3	88	2	2	10	31.3.95
16. मिजोरम	—	244	1	5	43	1	—	6	31.5.95
17. नागालैंड	—	244	4	शून्य	33	1	1	5	31.3.94
18. उड़ीसा	—	5927	50	37	1055	30	5	157	31.5.95
19. पंजाब	—	2964	शून्य	—	472	शून्य	—	104	31.3.95
20. राजस्थान	—	8000	40	40	1493	शून्य	—	246	31.7.95
21. सिक्किम	—	142	शून्य	—	23	शून्य	—	2	30.9.94
22. तमिलनाडु	—	8681	शून्य	—	1436	शून्य	—	72	31.3.94
23. त्रिपुरा	—	535	7	1	63	1	—	10	31.7.94
24. उत्तर प्रदेश*	—	20153	20	11	3761	17	14	262	31.3.95
25. पश्चिम बंगाल*	—	7873	4	8	1556	4	2	89	31.3.95
26. अं और नि, द्वी.	—	96	शून्य	—	17	शून्य	—	4	31.10.94
27. चंडीगढ़	—	12	1	—	0	शून्य	—	1	31.1.94
28. दादरा और नगर हवेली	—	34	शून्य	—	6	1	—	0	31.5.95
29. दमण और दीव	—	19	शून्य	—	4	शून्य	—	2	31.7.94
30. दिल्ली	—	42	शून्य	—	8	शून्य	—	0	31.3.94
31. लक्षदीप	—	14	शून्य	—	7	3	1	3	30.4.95
32. पांडिचेरी	—	79	2	—	26	शून्य	—	4	31.3.94
कुल	205	131900	780	334	21693	157	69	2385	

टिप्पणी : सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रें के लिए 94-95 के दौरान नये उप-केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य तय नहीं किया गया है।

*92-93 के बाद वर्षवार विवरण अनुपलब्ध है।

**95-96 के दौरान गुजरात द्वारा स्थापित मात्र एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।

योजना आयोग से वर्ष 95-96 के लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं।

* 94-95 की उपलब्धि का स्रोतः कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग।

रेल लाइनों का दोहरीकरण

3715. श्री दत्ता मेघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से वर्ष 1995-96 के दौरान रेल लाइनों के दोहरीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) प्रस्तावित योजनाओं के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां, सूरत-भूसावत लाइन के दोहरीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) खंड की लाइन क्षमता उपयोगिता 79.4% है। लाइन क्षमता संबंधी कतिपय कार्य अर्थात् खंडीय गति में सुधार और अंतपशिन स्तर बढ़ाकर स्तर-III करने संबंधी कार्य प्रगति पर हैं, जिससे खंडीय चालन में सुधार होगा। इस खंड का दोहरीकरण यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार शुरू किया जाएगा, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

बारूदी सुरंग से विस्फोटक

3716. डा० बसंत पंवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान बारूदी सुरंग विस्फोटक के कारण कश्मीर में सशस्त्र बलों के कितने कार्मिक मारे गये;

(ख) रैंकवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सैन्य बलों पर इस प्रकार के हमलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इन विस्फोटों में मारे गये व्यक्तियों के निकट संबंधियों को कितना मुआवजा दिया गया ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान (16.12.95 तक) बारूदी सुरंग और काम चलाऊ विस्फोटकों के फटने से जम्मू-कश्मीर में मारे गए सैन्य कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है :–

अफसर	–	8
जे सी ओ	–	11
अन्य रैंक	–	88

(ग) भली-भांति तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रिया और विशेष अभ्यास निर्धारित किए गए हैं और उनका पालन किया जा रहा है ताकि उग्रवादरोधी परिवेश में कार्यरत कार्मिक कम से कम संख्या में हताहत हों।

(घ) उग्रवादरोधी कार्रवाई में हताहत होने वाले सैन्य कार्मिकों को युद्ध में हताहत हुआ माना जाता है और पीड़ित/उनके निकटतम संबंधी उदारीकृत पेंशन के अलावा युद्ध में हताहत हुए कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के बराबर अनुकम्पा के आधार पर रोजगार का लाभ प्राप्त करने के साथ ही भारत सरकार द्वारा घोषित कुछ अन्य लाभ पाने के भी हकदार हैं। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार उग्रवादियों के विरूद्ध कार्रवाईयों में मारे जाने वाले सैन्य कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को अनुग्रह-राशि का भुगतान भी करती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों का आबंटन

3717. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प.ाकारों, स्वतंत्रता सेनानियों, अत्यधिक निर्धन व्यक्तियों आदि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों के आबंटन में आरक्षण के सभी कोटों की पुनरीक्षा करने का आदेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों के आबंटन की योजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हृदय प्रत्यारोपण

3718. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1995 में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दूसरा और तीसरा हृदय प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया था;

(ख) पहले हृदय प्रत्यारोपण के कितने समय पश्चात दूसरा हृदय प्रत्यारोपण किया गया; और

(ग) दूसरे प्रत्यारोपण में इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दान दिए गए हृदय की अनुपलब्धता के कारण दूसरा हृदय प्रतिरोपण पहले प्रतिरोपण के 11 महीने के बाद किया गया था।

[हिन्दी]

जयपुर से गाड़ियां

3719. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर जंक्शन का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या जयपुर जंक्शन का विकास करने के पश्चात दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होने वाली यात्री गाड़ियां जयपुर जंक्शन से चलाई जाने का विचार है, यदि हां, तो इन गाड़ियों के क्या नाम है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन गाड़ियों को दुर्गापुर स्टेशन से चलाए जाने का है या उक्त स्टेशन पर उनका स्टापेज प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) 19.50 करोड़ रु.।

(ग) जी हां। जयपुर से पहले ही निम्नलिखित पांच जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं :

(i) गाड़ी सं. 2956/2955 : जयपुर-बंबई सैण्ट्रल सुपर फास्ट एक्सप्रेस।

(ii) गाड़ी सं. 192/191 : जोधपुर-कोटा फास्ट पैसेंजर

(iii) गाड़ी सं. 193/193 : जयपुर-कोटा फास्ट पैसेंजर

(iv) गाड़ी सं. 195/196 : जयपुर-सवाई माधोपुर फास्ट पैसेंजर

(v) गाड़ी सं. 2308/2307 : जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस।

(घ) और (ङ) जी नहीं। तथापि, जयपुर से आरंभ होने वाली पांच जोड़ी गाड़ियों में से निम्नलिखित तीन जोड़ी गाड़ियां दुर्गापुरा स्टेशन पर रोकी जा रही है :–

1. गाड़ी सं. 192/191
2. गाड़ी सं. 194/193
3. गाड़ी सं. 196/195

शेष दो गाड़ियां लंबी दूरी की महत्वपूर्ण सुपरफास्ट गाड़ियां है जो कि सीमित संख्या में ठहरावों सहित कसे-बंधे समयक्रम के अनुसार चल रही हैं।

[अनुवाद]

असम में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत को उपयोग में लाना

3720. श्री प्रबीन डेका : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के दोहन हेतु सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त गतिविधियां किन-किन स्थानों पर चलाई गई और इनके लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन): (क) असम राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन के लिए बायोगैस संयंत्र, उन्नत चूल्हे, सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय युक्तियां, ऊर्जा ग्राम, लघु पवन जेनरेटर और पंप, बायोगैस गैसीफायर लगाए जा रहे हैं।

(ख) सम्पूर्ण राज्य में फैले हुए विभिन्न स्थलों पर स्थापित की जाने वाली प्रणालियों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 900 बायोगैस संयंत्र, 5000 उन्नत चूल्हे, 35 वर्ग मीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र की स्थापना का लक्ष्य आबंटित किया गया है। बोरजरी, अपर नोरजरी, लॉनसून, थिपानी, कलमोनी, अमलौंग स्थलों के लिए 5.35 मेवा. समग्र क्षमता की लघु पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए संभाव्यता अध्ययनों हेतु छः योजनाएं मंजूर की गई हैं। इस उद्देश्य के लिए 7.01 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। पवन संसाधन आकलन योजना के अंतर्गत राज्य में कुल 22.00 लाख रुपये की सहायता से 30 पवन मानचित्रण और 5 पवन मानीटरिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। मीठापुखरी, भुवनेश्वर, धुब्री, बैथागसो, हफलौंग स्थानों पर पांच मानीटरिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है। तापीय, विद्युत और यांत्रिक/पंपन अनुप्रयोगों के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 1.02 लाख रुपये की कुल लागत पर 3 बायोगैस गैसीफायरों को मंजूरी दी गई है। सौर जल तापन प्रणालियों के लिए 1.54 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

रेल लाइन का विस्तार करना

3721. श्री द्वारका नाथ दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दुल्लाबथेरा से रेल लाइन को बढ़ाकर रानपुर, असम तक करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

बंगलौर में म्यूजिकल फाउन्टेन

3722. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बंगलौर में स्थापित करने के लिये एक म्यूजिकल फाउन्टेन दान में दिया है;

(ख) क्या इस फाउंटेन की देख-रेख के लिये रेलवे के प्रतिनिधियों को मिलाकर कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार अत्यधिक प्रवेश शुल्क लगाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले को कर्नाटक सरकार के समक्ष उठायेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उचित प्रवेश शुल्क लगाया जाए;

(च) रेलवे को एक दाता के रूप में क्या सुविधाएं/विशेषधिकार दिये जा रहे हैं; और

(छ) क्या बंगलौर में लालबाग में इसी प्रकार का फाउंटेन दान में देकर स्थापित किये जाने को कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार संगीतमय फव्वारा केवल शनिवार और इतवार को परिचालित किया जा रहा है। जिसके लिए फिलहाल कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगाया जा रहा है।

(च) कोई नहीं।

(छ) जी नहीं।

[हिन्दी]

लोक शिकायतें

3723. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न नागरिक सुविधाओं में अपर्याप्त प्रावधान, टेलीफोन विभिन्न एजेंसियों जैसे दि. वि. प्रा. और आवास बोर्ड द्वारा अग्रिम धनराशि की वापसी, जल आपूर्ति, विभिन्न कार्यालयों में नित्य प्रतिदिन व्याप्त भ्रष्टाचार, के संबंध में प्राप्त शिकायतों और उन पर कोई ध्यान न दिये जाने के कारण लोगों में निराशा की भावना के व्याप्त होने के बारे में जानकारी है,

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों को संबंधित अधिकारियों की जानकारी में लाने और तत्काल पावती, उत्तर और कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये किसी अधिकरण/एजेंसी की स्थापना की है या स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में, जो कि शिकायत निवारण प्रणाली के संस्थानिकरण के लिये नीति विषयक विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए एक नोडल एजेन्सी है, सरकार के सभी मंत्रलयों/विभागों को इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि वे सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में आन्तरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि संपूर्ण मंत्रालय/विभाग कार्यालय के शिकायत निवारण संबंधी कार्य की देख-रेख के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निदेशक के रूप में पदमानित किया जाए, लोक शिकायतें सुनने और उन्हें प्राप्त करने के लिये प्रत्येक बुधवार को 10.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक बैठक विहीन दिवस के रूप में मनाया जाये, शिकायत निदेशक का नाम, पदनाम कमरा नं., दूरभाष नं. स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए, जनता द्वारा अपनी शिकायतों के सुविधापूर्वक रजिस्ट्रेशन के लिये एक ताला लगा शिकायत बाक्स रखा जाये, प्रत्येक शिकायत याचिका की पावती भेजी जाए, समाचार-पत्रों के शिकायत संबंधी कालमों की नियमित रूप से जांच की जाए तथा उनके निवारण के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाए तथा शिकायतों के निपटारे के लिए समय-संबंधी मापदंड निर्धारित किए जाएं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग रेलवे, दूर-संचार, डाक, सरकारी क्षेत्र के बैंक बीमा कम्पनियों, दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, भूतल परिवहन मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित शिकायतों को छोड़कर जिन पर मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्तर्गत लोक शिकायत निदेशालय द्वारा कार्रवाई की जाती है, अन्य सभी शिकायतों पर कार्रवाई करता है। राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों से संबंधित शिकायतें उपचारी कार्रवाई हेतु उन्हें हस्तांतरित कर दी जाती हैं।

(ख) और (ग) चूंकि अधिकांश शिकायतें क्षेत्रीय स्तर पर उत्पन्न होती हैं, अतः उनके निवारण के बारे में कार्रवाई वास्तविक रूप से स्थानीय स्तर पर कार्यरत ऐजेन्सियों द्वारा ही की जानी होती है क्योंकि वे संबंधित क्षेत्र के कार्य-कलापों से संबंधित शिकायतों की प्रक्रिया एवं विषय-वस्तु से पूर्णतः परिचित होते हैं। शिकायतों के निपटान पर निगरानी रखने हेतु मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई है कि वे इन शिकायतों की तिमाही रूप से समीक्षा करें और उनके निवारण के बारे में कार्रवाई करें। प्रगति की समीक्षा करने हेतु प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा कुछेक चुने हुये मंत्रालयों/विभागों के शिकायत निदेशकों के साथ तिमाही बैठकें भी की जाती हैं। मंत्रालयों/विभागों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की कार्य प्रणाली की समय समय पर समीक्षा की जाती है और लोक शिकायतों के निपटान हेतु, इसे प्रभावशील बनाने के लिये अनुदेश जारी किये जाते हैं। हाल में, इन अनुदेशों पर दिनांक 10.7.95 को फिर से जोर दिया गया है। इन कारणों से, शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाने की दृष्टि से सरकार का किसी एक प्राधिकरण/एजेन्सी का गठन करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि शिकायतों का शीघ्र निवारण तभी संभव है जब प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत हो।

[अनुवाद]

गुर्दा प्रत्यारोपण

3724. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में गुर्दा प्रत्यारोपण के कुल कितने आपरेशन किये गये;

(ख) क्या उक्त वर्ष के दौरान कोई ऐसा आपरेशन भी हुआ जिसमें मरीज की मृत्यु हो गई हो;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी मामले में डाक्टरों की लापरवाही का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री के.आर. अन्तुले) : (क) 1994 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में 33 गुर्दा प्रतिरोपण ऑपरेशन किए गए।

(ख) जी, नहीं,

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रेल पासों का दुरूपयोग

3725. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को जारी रेल पासों का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान अब तक ऐसे कितने मामले पकड़े गए है; और

(ग) इन पासों के दुरूपयोग पर किस सीमा तक नियंत्रण किया गया है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) रेलों के टिकट जांच कर्मचारियों, धोखाधड़ी-रोधी और सतर्कता संगठन द्वारा बिना टिकट/अनियमित यात्र के विरूद्ध की गई जांचों के दौरान, 1994-95 और 1995-96 (नवंबर, 95 तक) के दौरान रेल पासों के दुरूपयोग के 75 मामले पकड़े गए हैं। दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गई की जा रही है।

अंबेडकर आवास योजना

3726. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 में "अंबेडकर आवायोजना" के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत आवेदकों को आवंटित किए गए आवासों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस आवास योजना के अंतर्गत पंजीकृत आवेदकों को घटिया सामग्री से बने मकान अथवा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बचे हुए मकान आवंटित किए गए; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत आवेदकों को किस तारीख तक मकान आवंटित किए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि अम्बेडकर आवास योजना के पंजीकृतों को 30.11.1995 तक श्रेणीवार किये गये आवंटनों की सयंख्या इस प्रकार है :–

एम आई जी	301
एल आई जी	2004
जनता	2988 (सभी शामिल कर लिये गये)

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण विभिन्न अडचनों के कारण अम्बेडकर आवास योजना के तहत सभी पंजीकृतों को फ्लैट आवंटन करने में असफल रहा, प्रतीक्षारत पंजीकृतों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और डेसू द्वारा मुहैया की जाने वाली भूमि और बुनियादी सुविधाओं के उपलब्ध होने की शर्त पर आठवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त फ्लैटों की पेशकश करने की सम्भावना है। चूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण इन एजेंसियों पर निर्भर है अतः उपरोक्त अड़चनों के आलोक में ऐसा स्वतन्त्र कार्यक्रम का बनाना सम्भव नहीं है।

धनराशि का दुर्विनियोग

3727. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इटारसी स्थित आयुध कारखाने में धनराशि का दुर्विनियोग किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सांविधिक रक्षा लेखापरीक्षण विभाग ने उक्त फैक्ट्री के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस फैक्ट्री में घाटा हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग) में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : (क) आयुध निर्माणी इंटारसी में निधियों का दुर्विनियोजन किए जाने की रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नही आई है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) यह निर्माणी सशस्त्र सेनाओं की आपूर्ति के करने के लिए मुख्यतः गोलाबारूद्ध के वास्ते प्रणोदक के विनिर्माण का कार्य करती है। आयुध निर्माणियां सशस्त्र सेनाओं से "न लाभ न हानि" के आधार पर कीमत वसूल करती है।

विवरण

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने 1995 की अपनी रिपोर्ट संख्या-8 के पैरा ग्राफ-42 में आयुध निर्माणी, इटारसी के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा की है। इस पैराग्राफ में सेनाओं की ओर से कतिपय प्रकार के गोलाबारूद्ध के वास्ते मांग में कमी किए जाने के परिणामस्वरूप निर्माणी की क्षमता के उपयोगी करण अधिशेष जन-शक्ति, सामान-सूची स्तर, उत्पादन लागत और बाल पाउडर संयंत्र की मरम्मत में विलम्ब जैसे विषयों पर टिप्पणी समाविष्ट की गई है।

2. इस पैराग्राफ में उल्लिखित मुद्दों पर आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा तैयार की गई कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणी का प्रारूप, लोक लेखा समिति के सचिवालय को भेजे जाने से पहले तथ्यों और आंकड़ों का सत्यापन करने के वास्ते लेखा-परीक्षा को भेजा गया है। कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणी का सार नीचे दिए अनुसार है :–

(क) यद्यपि 1990 में दशक के शुरू के वर्षों में सेना द्वारा कुछ प्रकार के उपस्करों का उपयोग बंद किए जाने की वजह से कतिपय प्रकार के गोलाबारूद्ध की मांग में कटौती की गई थी, तथापि अब नए प्रकार के गोलाबारूद्ध के प्रणोदक का विकास कार्य पूरा हो चुका है और गत दो वर्षों में उनका विनिर्माण आरंभ हो चुका है। वर्ष 1994-95 में शांति कालीन उत्पादन स्तर के नियोजित लक्ष्य का 91 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया था।

(ख) वर्ष 1993-94 से मानक श्रम घंटों के रूप में जन-शक्ति के उपयोग में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

(ग) भंडार में उपलब्ध रखे जाने वाले सामान की मात्रा को घटा कर 4-5 महीनों के उत्पादन के स्तर तक लाया गया है।

(घ) कार्य-भार में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप वर्ष 1993-94 से उत्पादन लागत के प्रति ऊपरिव्यय के अनुपात में कमी आई है।

(ङ) बाल पाउडर संयंत्र की पूर्ण क्षमता 1995-96 में बहाल कर

लिए जाने की आशा है। यह विलम्ब मुख्यतः इस वजह से हुआ कि अधिक मूल्य पर संयंत्र का आयात करने के बजाय उसका देशीकरण करने का प्रयास किया गया था।

[अनुवाद]

सैनिक कर्मियों में टी.बी.

3728. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सैनिक कर्मियों में टी.बी. रोग को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में कौन-कौन से उपाचारात्मक विचारण उपाय किए गए है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये उपाय कहां तक सफल हुए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को तपेदिक रोग का संदेह होने पर उनकी विस्तृत जांच की जाती है। इस रोग की पुष्टि होने पर उनका विशिष्ट केन्द्रों में इलाज किया जाता है और उसके बाद ऐसे रोगियों की आवधिक जांच की जाती है।

(ख) सशस्त्र सेना कार्मिकों का अर्द्धवार्षिक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। ऐसे संदेहास्पद सभी रोगियों की आगे और जांच की जाती है और उन्हें तपेदिक का आधुनिक उपचार दिया जाता है। राष्ट्रीय नीति के अनुसार सैन्य कार्मिकों के सभी बच्चों को निवारणीय रोगों के लिए अन्य टीकों के साथ बी.सी.जी का टीका भी लगाया जाता है। सैन्य कार्मिकों को चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा स्टॉफ द्वारा तपेदिक के बारे में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी जाती है। हाल ही में सशस्त्र सेना कार्मिकों में तपेदिक रोग के मामलों में कमी पाई गई है।

[हिन्दी]

खाद्य पदार्थों के मूल्य

3729. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल गाड़ियों में खाद्य पदार्थ महंगे बेचें जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों को सस्ती दरों पर बेचा जाना सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) रेलों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार गाड़ियों में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइन का विद्युतीकरण

3730. श्री राम कृपाल यादव :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रेल लाइनों के विद्युतीकरण के वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल लाइनों के विद्युतीकरण हेतु क्या वार्षिक लक्ष्य (मूल तथा संशोधित) निर्धारित किये गये हैं तथा इस अवधि के दौरान लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में किस सीमा तक विलम्ब तथा परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3400 मार्ग किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में 2812 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया था। कमी का कारण बजटीय समर्थन से पर्याप्त धन उपलब्ध न होना था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2700 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। योजना के पहले 3 वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य और विद्युतीकरण मार्ग किलोमीटर से संबंधित ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	500	479
1993-94	500	505
1994-95	500	473

अतः 1.4.1992 से 31.3.95 तक 1457 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1995-96 के दौरान 600 मार्ग किलोमीटर और 1996-97 के दौरान 650 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण की योजना बनाई गई है, बशर्ते कि समय से पर्याप्त धन उपलब्ध करा दिया जाए। अतः आठवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है।

(घ) सातवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य हेतु 1985-86 के मूल्य स्तर पर 830 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। वार्षिक लागत मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पूरी योजना-वधि में कुल परिव्यय 1150 करोड़ रुपये होने का अनुमान था। परंतु केवल 968 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। इस आधार पर 2812 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा सकता था।

जहां तक आठवीं योजना का संबंध है, लागत में वृद्धि के अनुसार पर्याप्त धन उपलब्ध होने की आशा है, अतः लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी होने की संभावना नहीं है।

[अनुवाद]

सारणियों का प्रकाशन

3731. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग द्वारा केवल रेलवे कर्मचारियों के उपयोगार्थ किराये तथा दूरी की सारणियां प्रकाशित की जाती हैं और ये जनसामान्य के लिए बिक्री हेतु नहीं है;

(ख) क्या जनसामान्य के लिए बिक्री हेतु निजी प्रकाशकों द्वारा किराया सारणी व दूरी सारणी के प्रकाशन पर कोई प्रतिबंध है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी नहीं। यात्री किराया सारणियां और दूरी सारणियां विक्रयार्थ प्रकाशन हैं जिन्हें आम जनता द्वारा भी खरीदा जा सकता है।

(ख) और (ग) अभी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है परन्तु इन्हें सामान्यतः रेल प्रशासन द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संकट चेतावनी प्रणाली

3732. श्री अनादि चरण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में 31 अक्तूबर, 1995 के दौरान मौसम-विभाग द्वारा जारी की गई मौसम संबंधी कितने प्रतिशत भविष्यवाणी तथा चक्रवात चेतावनी सही रही;

(ख) देश में संकट की पूर्व सूचना देने वाली प्रणाली के अंतर्गत कुल कितने उपकरण लगाए गए;

(ग) क्या समुद्र तट पर पूर्व सूचना प्राप्त करने वाले ऐसे और अधिक उपकरण लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 1995 के मानसून की उल्लेखनीय बातें क्या-क्या हैं;

(च) क्या देश में वर्ष 1996 के दौरान भी बेहतर मानसून रहने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग) में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमान और चक्रवात संबंधी चेतावनियां कुल 80% सही रहीं।

(ख) अब तक देश में चक्रवात की पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणाली के कुल 210 उपकरणों (पुराना नाम विपत्ति की चेतावनी देने वाले उपकरण) को स्थापित किया जा चुका है।

(ग) जी, हां।

(घ) अन्य 40 उपकरणों की स्थापना की जा रही है।

(ङ) देश में 1995 में भी सामान्य वर्षा हुई जबकि 35 मौसम विज्ञान सब-डिविजनों में से 33 में वर्षा अधिक/सामान्य हुई जिसमें देश का 94% क्षेत्र तथा 79% जिले शामिल हैं। पूरे देश में लगभग 100% दीर्घावधि औसत वर्षा हुई। इस आठवें वर्ष भी लगातार सामान्य वर्षा हुई।

(च) और (छ) 1996 के मानसून के बारे में इतनी जल्दी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती क्योंकि मानसून की स्थिति के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए मॉडल को मई 1996 तक के अवलोकनों की जरूरत पड़ेगी।

[हिन्दी]

रेलवे कर्मचारी

3733. श्री छेदी पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में 1984 में 229 आरक्षण क्लर्कों को पदोन्नति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पदोन्नतियों में आरक्षण नियमों का अनुपालन किया गया;

(घ) यदि हां, तो पदोन्नति दिये जाने वाले अ.जा. कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या रोस्टर नियमों के अनुसार सरकार का शेष रिक्तियों के लिये अ.जा. कर्मचारियों को पदोन्नति देने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो यह कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) 1984 में उत्तर रेलवे में 471 आरक्षण लिपिकों को पदोन्नति दी गई थी। जिनमें से 229 का सवर्ग पुनर्संरचना योजना के अंतर्गत पदोन्नति दी गई थी।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :–

1.	मुख्य पूछताछ एवं आरक्षण वर्यवेक्षक ग्रेड 700-900 रु.	36
2.	पूछताछ एवं आरक्षण पर्यवेक्षक ग्रेड 455-700 रु.	64
3.	पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक ग्रेड 455-700 रु.	151
4.	पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक ग्रेड 425-640 रु.	220

(ग) जी हां। आरक्षण कोटे का परिकलन उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसार प्रतिशत प्रणाली के आधार पर किया गया था।

(घ) 1984 में पदोन्नत किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

		अनु. जाति
1.	मुख्य पूछताछ एवं आरक्षण वर्यवेक्षक ग्रेड 700-900 रु.	12
2.	पूछताछ एवं आरक्षण पर्यवेक्षक ग्रेड 550-700 रु.	17
3.	पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक ग्रेड 455-700 रु.	25

4.	पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक ग्रेड 425-640 रु.	07
	जोड़ :	61

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ज) यह मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है और माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान लैटेक्स प्रोडक्ट्स

3734. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार का विचार केरल में हिन्दुस्तान लैटेक्स प्रोडक्ट्स को और क्रयादेश देने का है;

(ख) यदि हां, तो केरल में हिन्दुस्तान से कितने मूल्य के उत्पाद लिए जा रहे हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र से खरीद के संबंध में कोई प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) और (ख) 1995-96 के दौरान मैसर्स हिन्दुस्तान लैटेक्स लिमिटेड को 405.5 मिलियन कंडोम, 1.5 मिलियन कापर-टी तथा 17.5 मिलियन खाई जाने वाली गोलियों के चक्र सप्लाई करने का आदेश दिया गया था।

(ग) और (घ) 1995-96 के दौरान प्राईवेट कम्पनियों को निम्नलिखित सप्लाई के आदेश दिए गए थे :–

निरोध	–	263.0 मिलियन नग
कापर-टी	–	5.1 मिलियन नग
खाई जाने वाली गोलियां	–	31.5 मिलियन चक्र।

रेल पुल

3735. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और अन्य राज्यों में, विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में रेल पुलों की अद्यतन संख्या क्या है;

(ख) कितने पुलों को दोबारा बनाये जाने व मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फर्जी डाक्टर

3736. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पकड़े गये फर्जी डाक्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) इन फर्जी डाक्टरों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में फर्जी डाक्टर हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 और होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 में पहले से दाण्डिक प्रावधान हैं कि राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित चिकित्सा व्यवसायी के अलावा कोई व्यक्ति किसी राज्य में चिकित्सा प्रैक्टिस नहीं करेगा और इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक अवधि तक कारावास जिसे बढ़ाकर एक वर्ष तक किया जा सकता है अथवा जुर्माने के साथ जिस 1000/- रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों सजाएं जो सकती है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे अयोग्य चिकित्सकों द्वारा की जा रही प्रैक्टिस को रोकने के लिए दाण्डिक प्रावधानों का अवलम्ब लें।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड

3737. श्री वसुदेव आचार्य : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्ट्रमेंटेशन लिमिटेड को रुग्ण घोषित करने के बावजूद इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिश की वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर प्रतिमाह अतिरिक्त कितना खर्च होगा;

(ग) क्या इसकी बोकारो शाखा में पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से लगातार कार्य कर रहे कम वेतन वाले अस्थायी कर्मचारियों को यह वेतन वृद्धि नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस भेदभाव के क्या आधार हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) प्रबंधन ने अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के मूल वेतन पर तथा कामगारों के मूल वेतन जमा नियत महंगाई भत्ते पर 10% की तदर्थ वृद्धि दी है।

(ख) 10 लाख रुपये।

(ग) और (घ) वित्तीय कठिनाइयों और जनशक्ति की उच्च लागत को देखते हुए, उपर्युक्त तदर्थ वृद्धि केवल नियमित कर्मचारियों को दी गई है।

तदनुसार, बोकारो कार्यस्थल के अस्थायी कामगारों को इसमें शामिल नहीं किया जा सका।

विद्युत मंत्री की यात्रा

3738. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
कुमारी प्रिया तोपनो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर में कश्मीर की यात्रा पर गये विद्युत मंत्री तथा उनके हेलिकाप्टर पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोला-बारी की गई;

(ख) क्या सुरक्षा प्रबंध में कोई त्रुटि थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री एन.के.पी. साल्वे ने 27.9.1995 को जम्मू और कश्मीर में एन. एच.पी.सी. उड़ी परियोजना का दौरा किया था। श्रीनगर से उड़ी आने जाने के लिए मंत्री जी को भारतीय वायु सेना का हैलीकाप्टर उपलब्ध कराया गया था। जब यह हैलीकाप्टर उड़ी क्षेत्र में झेलम नदी के नजदीक नियंत्रण रेखा के समीप उड़ रहा था तो इस पर छोटे शस्त्रों से सम्भवतः पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलायी गई। तथापि, कोई हताहत नहीं हुआ/क्षति नहीं हुई। रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया कि इस घटना में कोर्ट आफ इन्क्वाइरी का आदेश दिया गया है।

अनुकम्पा के आधार पर दुकानों का आबंटन

3739. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य स्थानों में विधवाओं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, स्वतंत्रता सेनानियों, खिलाड़ियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्प संख्यक/पिछड़े समुदाय के व्यक्तियों को जीविकोपार्जन हेतु अनुकम्पा के आधार पर रियायती लाइसेंस शुल्क पर दुकान और खोखा आबंटित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पहले भी उक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को कुछ दुकानें आबंटित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो किस योजना के अंतर्गत ये दुकानें आबंटित की गई हैं; और

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को दुकानें आबंटित की गई हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों हेतु आवास

3740. श्री दत्ता मेघे : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्यवार कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से महाराष्ट्र में इन योजनाओं का कार्यान्वयन किन-किन एजेंसियों को सौंपा गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) 1994-95 और 1995-96 (अक्तूबर, 95) के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं० 14 (घ) एवं 14 (ङ) के तहत स्कीम के तहत देश में महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों संघ-शासित राज्य-वार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वर्ग (एलआईजी) बनाए गए मकानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) आवास राज्य का विषय होने के नाते ये स्कीमें राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों में उनकी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित होती हैं।

(ग) राज्य सरकारें/संघ शासित राज्य अपने समग्र योजना नियतनों के तहत ही इन कार्यक्रमों को आरम्भ करते हैं और इस प्रयोजनार्थ कोई केन्द्रीय सहायता मुहैया नहीं करायी जाती। इसके अतिरिक्त, ई डब्ल्यू एस और एल आई जी मकानों के निर्माण हेतु राज्यों/संघ शासित राज्यों को हडको भी ऋण सुविधा मुहैया कराता है।

विवरण

1994-95 और 1995-96 (अक्तूबर, 95 तक) के दौरान ई डब्ल्यू एस/एल आई जी स्कीम के तहत निर्मित मकान

(रिहायशी एकक)

क्र.	राज्य/संघ शासित	1994-95		1995-96 (अक्तूबर, 95 तक)	
		ईडब्ल्यूएस	एलआईजी	ईडब्ल्यूएस	एलआईजी
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	48082	1240	19012	482
2.	असम	1412	16	267	0
3.	बिहार	0	0	33	96
4.	गोवा	0	125	0	0
5.	गुजरात	4383	2100	358	917
6.	हरियाणा	56	1215	21	0

1	2	3	4	5	6
7.	हिमाचल प्रदेश	15	215	0	39
8.	जम्मू और कश्मीर	2	0	0	0
9.	कर्नाटक	7846	1158	2590	531
10.	केरल	19525	1444	10140	1361
11.	मध्य प्रदेश	5559	3411	1582	1015
12.	महाराष्ट्र	4987	8190	0	111
13.	मणिपुर	0	0	0	0
14.	मेघालय	0	0	0	0
15.	मिजोरम	0	300	0	0
16.	उड़ीसा	5539	6171	361	957
17.	पंजाब	0	756	140	684
18.	राजस्थान	2911	2059	160	495
19.	सिक्किम	—	0	50	—
20.	तमिलनाडु	7676	8575	2232	1124
21.	त्रिपुरा	507	270	0	0
22.	उत्तर प्रदेश	4553	1595	1580	608
23.	पश्चिम बंगाल	2000	580	0	0
	संघ क्षासित राज्य				
24.	अंडमान और नि. द्वीप समूह	0	0	0	0
25.	दमण और द्वीव	0	0	0	0
26.	दिल्ली	1763	610	0	0
27.	दादरा एवं नागर हवेली	—	—	—	—
	योग :	116816	40098	38526	8400

[अनुवाद]

अस्पताल

3741. **श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसर लगभग 21 प्रतिशत मरीज विभिन्न अस्पतालों में दाखिल होने के पश्चात् संक्रमित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संक्रमण वाले अस्पतालों का सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अस्पतालों को संक्रमण-मुक्त रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए.आर. अन्तुले) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1986 में 14 देशों के 47 अस्पतालों में एक अन्तराष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ यह पता चला कि अस्पताल विशेष में संक्रमण की व्याप्तता दरें 3% से 21% तक भिन्न-भिन्न थी। (माध्यिक 8.4%)।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों अर्थात् नर्सरियों, बर्न और प्लास्टिक विभागों, ऑपरेशन थियेटरों और प्रसवकक्षों आदि में रोगजनक जीवाणु वाले लोगों की संख्या का नियमित अनुवीक्षण किया जाता है और आवश्यकतानुसार नियमित उपाय किये जाते हैं। अपूतिक तकनीकों, अपूतिक पूर्वोपायों निजी तौर पर स्वच्छ रहने, भस्मीकरण और धूम्रीकरण द्वारा वैज्ञानिक ढंग से अस्पतालों कूड़े करकट के उपयुक्त निपटान पर जोर दिया जाता है।

[हिन्दी]

रेल सम्पर्क

3742. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बीकानेर व अजमेर शरीफ के बीच कोई सीधी रेल सम्पर्क नहीं है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक प्रदान किया जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) और (ख) अजमेर और बीकानेर के बीच सीधा रेल संपर्क (ब.ला. और मी.ला. दोनों) उपलब्ध नहीं है।

(ग) अजमेर और बीकानेर के बीच सीधी गाड़ी चलाना परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

सुरेन्द्रनगर में ट्रेन का रुकना

3743. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सुरेन्द्रनगर में पुरिओखा साप्ताहिक ट्रेन संख्या 8401/8402 के रोकने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इस मांग के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। मांग की जांच की गई है।

(ग) और (घ) सुरेन्द्रनगर में 8401/8402 ओखा-पुरी एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था करना यातायात के आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

एल. सी. ए.

3744. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल. सी. ए. के निर्माण/विकास का मामला महज एक प्रचार साबित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विमानशाला से प्रोटोटाइप विमान को निकाले जाने के बाद इसे कम से कम एक से तीन महीनों तक के लिए उड़ाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह प्रक्रिया एल.सी.ए. प्रोटोटाइप विमान के मामले में अपनाई गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) हल्के युद्धक वायुयान का रोल आउट, जो 17 नवंबर 1995 को किया गया था, इसके उड़ान परीक्षण की शुरूआत से पहले का महत्वपूर्ण पड़ाव है। अतः इस अवसर को महत्व प्रदान किया गया था।

(ग) और (घ) विश्वव्यापी प्रक्रिया के अनुसार, रोल आउट के बाद प्रथम वायुयान भू-परीक्षणों की श्रृंखला के अध्ययधीन रखा जाता है ताकि इसे पहली उड़ान के लिए नियत करने से पहले हवाई योग्यता मानदंड के अनुरूप बनाया जा सके। यह प्रक्रिया प्रथम हल्के युद्धक वायुयान के संबंध में अपनाई जा रही है। हल्के युद्धक वायुयान के भू-परीक्षण नवंबर, 1996 तक पूरे कर लिए जाने की संभावना है जिसके बाद इसके उड़ान परीक्षण शुरू किए जाएंगे।

[अनुवाद]

रिहायशी परिसरों को खाली किया जाना

3745. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कब्जे में रिहायशी परिसरों को खाली कराने हेतु अब तक कोई कदम उठाया गया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितने रिहायशी मकान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कब्जे में हैं और कितने सरकार को सौंपे गये हैं;

(घ) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्धन संस्थान का कुल कितना रिहायशी क्षेत्र विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं;

(ङ) इस रिहायशी क्षेत्र का कब्जा लेने हेतु सचिवालय.प्रशिक्षण और प्रबन्धन संस्थान द्वारा आज तक क्या प्रयास किये गये हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा कुल कितना रिहायशी क्षेत्र सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्धन संस्थान को सौंपा गया है; और

(च) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा उन सभी परिसरों को कब तक खाली कर दिया जाएगा ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) से (च) साधारण पूल के 176 क्वार्टर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में हैं। आज तक 160 क्वार्टर, जिनमें 120 टाइप-I क्वार्टर और 40 टाइप-II क्वार्टरी हैं, अभी भी जे एन यू के कब्जे में हैं। जे.एन.यू से उनके स्टाफ को स्थानान्तरित करके इन क्वार्टरों को खाली करने का समय-समय पर आग्रह किया जा रहा है और यह मामला इस मंत्रालय द्वारा उनके साथ सक्रिय रूप से उठाया जा रहा है। इन क्वार्टरों को खाली कराने में आई एस टी एम द्वारा कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है। जे. एन. यू. द्वारा परिसर खाली कर दिए जाने बाबत कोई निर्धारित समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

अनधिकृत रूप से भवन निर्माण

3746. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार भवन निर्माण संबंधी उप-नियम के घोर उल्लंघन को रोक पाने में विफल रही है जिसके परिणामस्वरूप आवासीय भवनों में बड़ी संख्या में व्यावसायिक परिसरों (कामर्शियल कंप्लेक्सों) का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आगामी छः माह में सभी अनधिकृत भवनों को गिराने का है; और

(ग) आवासी भवनों में अब तक कितने अनधिकृत व्यावसायिक परिसरों (कामर्शियल कंप्लेक्सों) का निर्माण किया गया है, अनधिकृत रूप से निर्मित भवनों की संख्या कितनी है तथा अब तक कुल कितनी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3747. **श्री राम नाईक** : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 8 नवंबर, 1995 को केरल में शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्घाटन किया था;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसके लिए बजट कब स्वीकृत किया गया;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या 31 मार्च, 1996 से पहले सम्पूर्ण बजट की राशि खर्च कर दी जाएगी ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.

एस. अहलुवालिया) : (क) प्रधानमंत्री ने 18 नवंमर, 1995 को केरल में शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

(ख) 1995-96 के लिए सामान्य केन्द्रीय बजट के साथ-साथ 100 करोड़ रु. का बजट प्रावधान अनुमोदित किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि भारत सरकार द्वारा अनुमोदन मिलने के तत्काल पश्चात योजना के कार्यान्वियनद हेतु ठोस उपाय किए गए हैं।

(घ) जी, हां। ऐसी आशा है।

[हिन्दी]

आई.डी.एस.एम.टी.

3748. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे वे मंझोले शहरों/नगरों के लिए समेकित विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में विकास हेतु चयनित किये गये/विकसित किये गये शहरों/नगरों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या कुछ अन्य देशों में भी इस प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में स्थित उन कस्बों जिन्हें छोटे मझौले कस्बों की समेकित विकास योजना (आई.डी. एस.एम.टी.) के अंतर्गत शामिल किया गया है, के नाम इस प्रकार हैं :–

जिला	कस्बा
विदिशा	विदिशा
रायसेन	ओबेदुल्लागंज
सिहोर	सिहोर

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रिहायशी आवासों का वाणिज्यकरण

3749. श्री केशरी लाल : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लारेंस रोड़, दिल्ली, विशेषकर ब्लाक बी-4 में रिहायशी आवासों के वाणिज्यिकरण संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में रिहायशी फ्लैटों के मिठाइयों की दुकानों, मांस की दुकानों, मोटर और स्कूटर मरम्मत की दुकानों, रंग-रोगन की दुकानों आदि में अनधिकृत परिवर्तन से और इन फ्लैटों के सामने पड़ी खाली जमीनों की गैर आबंटियों द्वारा अतिक्रमण के कारण, चोरी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है और इनके कारण महिलाओं और लड़कियों का अपने फ्लैटों से बाहर निकल पाना असंभव हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन्हें वहां से हटा दिया जाए और व्यापक जनहित की दृष्टि से अनधिकृत दुकानों को तत्काल बन्द कर दिया जाए। सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि निम्नलिखित से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं :–

(i) श्री राकेश कुमार चडढ़ा-बी-4/185-ए, लारेंस रोड, नई दिल्ली।

(ii) श्री मोहिन्दर सिंह-बी-4/195-सी, लारेंस रोड, दिल्ली।

(iii) बी-4 रेजिडेंट वैलफेयर समिति।

(ग) पुलिस आयुक्त कार्यालय ने सूचना दी है कि क्षेत्र में रिहायशी क्षेत्र का वाणिज्यिक स्थापनाओं में परिवर्तन हो जाने के कारण चोरी और दुर्घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 1995 के दौरा 30.11.95 तक केवल एक चोरी का मामला आय और दुर्घटना का कोई मामला नहीं हुआ। जबकि 1994 की उसी अवधि के दौरान चोरी के दो मामले और दुर्घटना के एक मामले की सूचना है।

(घ) अतिक्रमणों के विरूद्ध डीडीए ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(i) परिवर्धन/परिवर्तन को हटाने के लिए आबंटियों/ दखलकारों को 150 नोटिस जारी किए हैं।

(ii) 10 मामलों में आवंटन रद्द कर दिये गये हैं।

(iii) बी-4, लारेंस रोड में अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए निर्धारित 8 गिराऊ अभियान कार्यक्रमों में से दो कार्यक्रम पूरे कर लिए गये हैं और कुछ अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटा दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त सड़कों और पटरियों पर हुआ का भी अतिक्रमण दिल्ली नगर निगम के नोटिस में आता है तो उसे पुलिस की मदद से हटा दिया जाता है।

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत संयंत्र

3750. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर पहले से ही परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित कर दिये गये हैं;

(ख) किन-किन स्थानों पर नये विद्युत संयंत्रों का निर्माण किया गया है;

(ग) कार्यरत तथा भविष्य में स्थापित किये जाने वाले परमाणु विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) कार्यरत विद्युत संयंत्रों में से किन-किन संयंत्रों में अधिष्ठापित क्षमता से कम विद्युत उत्पादन हो रहा है;

(ङ) उक्त विद्युत संयंत्रों में कम विद्युत उत्पादन के क्या कारण हैं;

(च) यदि हां, तो किस तिथि तक इनकी स्थिति में सुधार आ जाएगा;

(छ) उन परमाणु विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनका विदेशी विशेषज्ञों के अनुसार लगातार चालू रहना खतरे से खाली नहीं है;

(ज) इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(झ) रुग्ण अथवा दोषपूर्ण परमाणु विद्युत संयंत्रों में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में रावतभाटा; तमिलनाडु में कलपाक्कम; उत्तर प्रदेश में नरोरा और गुजरात में ककरापार नामक स्थानों पर परमाणु विद्युत संयंत्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

(ख) कर्नाटक में कैगा और राजस्थान में रावतभाटा में नए परमाणु विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन हैं।

(ग) राजस्थान बिजलीघर, जिसे मुख्य अनुरक्षण कार्य के लिए बंद रखा गया है, को छोड़कर इस समय काम कर रहे परमाणु विद्युत संयंत्रों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1540 मेगावाट है। इस समय निर्माणाधीन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 880 मेगावाट है।

(घ), (ङ) और (च) इस समय काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों में से, तारापुर के यूनिट-1 और 2 की उत्पादन क्षमताओं को उपस्करों संबंधी अड़चनों की वजह से उनके निर्धारित स्तर से घटाकर कम कर दिया गया है। आशा है कि मद्रास परमाणु बिजलीघर-1 और 2, जिन्हें इस समय कम विद्युत क्षमता स्तर पर चलाया जा रहा है, ट्यूबें बदल दिए जाने संबंधी कार्य के पूरा होने के बाद पूरी क्षमता प्राप्त कर लेंगे।

(छ), (ज) और (झ) विदेशों में स्थापित इसी प्रकार के यूनिटों से प्राप्त अनुभव के अनुसरण में, राजस्थान परमाणु बिजलीघर के यूनिट-2 को शीतलक चैनलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 1994 में बंद कर दिया गया था। इस यूनिट के शीतलक चैनलों को एक साथ बदलने में लगभग 3 वर्ष का समय लगने की आशा है जिसके बाद यह यूनिट फिर से काम करने लगेगा। ये रिपोर्ट मिली हैं कि विदेशों में स्थापित तारापुर के यूनिट-1 और 2 जैसे बॉयलिंग वाटर रिएक्टरों के क्रोड आवरणों में दरारें आ गई हैं। तारापुर के यूनिट-1 के क्रोड आवरण का निरीक्षण, यथासंभव सुगम्य क्षेत्रों में अंतर्जलीय टी वी की सहायता से मार्च 1994 में उस दौरान किया गया था जब यूनिट को पुनः ईंधन भरण के लिए बंद कर रखा गया था, और कोई असामान्यता नहीं देखी गई थी। तारापुर के यूनिट-2 जिसे पुनः ईंधन भरण के लिए फिलहाल बंद किया हुआ है, में क्रोड आवरण का विस्तृत रूप से निरीक्षण इसी दौरान ही किया जा रहा है। इसके बाद आगे की जाने वाली कार्रवाई निरीक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

हैदराबाद को कृष्णा नदी के जल की आपूर्ति

3751. श्री धर्मभिक्षम : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हैदराबाद को कृष्णा नदी के जल की आपूर्ति करने हेतु किसी प्रकार की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) से (ग) नागार्जुन सागर (कृष्णा) के तटाग्र से हैदराबाद और सिकन्दराबाद युग्म नगरों को पीने के पानी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये हैदराबाद मेट्रोपालिटन वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेज बोर्ड में जल आपूर्ति तथा मल-जल निकासी परियोजना प्रस्तुत की है। इस परियोजना को शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय तथा योजना आयोग ने क्रमशः तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से मंजूरी दे दी है। आर्थिक कार्य विभाग ने यह परियोजना विश्व बैंक सहायता हेतु प्रस्तुत की है।

सांस्कृतिक समितियों द्वारा भवनों को किराये पर देना

3752. श्री देवी बक्स सिंह : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे सदन के सभा पटल पर कब तक रखा जाएगा?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा तीन माह के अन्दर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व इंजीनियर के विरुद्ध जांच

3753. श्री राम विलास पासवान : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक भूतपूर्व इंजीनियर के विरुद्ध करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के संबंध में कोई जांच की है;

(ख) क्या उनके विरुद्ध किसी आरोपों को साबित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) से (ग) जी, हां। पूर्वी जोन में 45 करोड़ रुपये के कथित फर्जी भुगतान की शिकायत बाबत केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सी बी सी) के मुख्य तकनीकी परीक्षण (सी टी ई) द्वारा पूर्वी जोन के 14 कार्यों और दक्षिणी पूर्वी जोन के दो कार्यों की गहन जांच कराई गई पूर्व सदस्य इंजीनियर द्वारा वाहनों की लॉग बुक को नष्ट करने और विदेशी बैंकों में लेखे रखने बाबत आरोपों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा करायी गई थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर लॉग बुक नष्ट करने और विदेशी बैंकों में खाता रखने के आरोपों बाबत मामला

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से बन्द कर दिया गया। पूर्व सदस्य इंजीनियर और तत्कालीन मुख्य इंजीनियर (पूर्वी जोन) का नाम सी टी ई द्वारा प्रस्तुत पूर्वी जोन पर 15 रिपोर्टों में से दो में था। ये रिपोर्ट जांचाधीन है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई हैं। इसके अतिरिक्त, उसका नाम मुख्य इंजिनियर (गुणवत्ता नियंत्रण) की रिपोर्ट में भी मिलता है। 35 रिपोर्टों में से उसका नाम एक रिपोर्ट में दर्ज है जो अब बंद कर दिया गया है। दक्षिणी पूर्वी जोन के दो सी टी ई मामलों से एक के.स.आर. की सहमति से बन्द कर दिया गया है। और दूसरा, बन्द करने के लिए डी डी ए की सिफारिश के आलोक में अन्तिम निर्णय लेने के लिए सी वी सी को प्रस्तुत किया गया है।

(घ) उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई, जांच पूरी होने पर और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर निर्भर करेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण-बकाया राशियों की वसूली

3754. श्री राम टहल चौधरी :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके द्वारा आवंटित मकानों की बकाया राशि पर ली जाने वाली ब्याज दर में हाल ही में कमी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आज की तारीख के अनुसार फ्लैटों/प्लाटों के मालिकों से कुल कितनी धनराशि वसूल की जानी है; और

(घ) सरकार का फ्लैटों/प्लाटों के मालिकों से बकाया राशि का वसूली करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) और (ख) डी.डी.ए ने "डी.डी.ए." हायर पर्चेज पेनल्टी रिलीफ स्कीम, 1995 "नामक एक नई योजना शुरू की है। यह योजना 1.8.1995 से 31.1.1996 तक लागू है। योजना निम्नलिखित आवास योजनाओं के तहत किराया खरीद आधार वाले फ्लैटों के आवंटियों पर लागू हैं :—

(i) साधारण आवास योजना,

(ii) न्यू पैटर्न रेजीडेनशियल स्कीम 1979

(जिसे हडको स्कीम के रूप में भी जाना जाता है)

(iii) सेवानिवृत्त कार्मिक योजना

(iv) अम्बेडकर आवास योजना स्कीम।

यह स्कीम केवल उन्हीं आवंटियों पर लागू है जो योजना के चालू रहने के दौरान सभी बकाया राशि और ब्याज का भुगतान करते हैं।

यह स्कीम उन आवंटियों पर भी लागू है जिन्होंने सभी बकाया किश्तों का तो पहले ही भुगतान कर दिया है परन्तु विगत में किश्तों के विलम्बित भुगतान के कारण आवंटन के मूल निबन्धन और शर्तों के तहत पेनल्टी/ब्याज का अभी भुगतान नहीं किया गया है।

इस स्कीम के तहत सामान्य आवास योजनाओं न्यू पैटर्न रेजीडेन्सियल स्कीम-1979 तथा अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत किराया खरीद किश्तों के आवंटियों से किश्त (किश्तों) के भुगतान में चूक की अवधि के लिए निम्नलिखित ढंग से साधारण ब्याज दर वसूल की जायेगी बशर्ते कि ब्याज सहित अद्यतन किश्तों का भुगतान कर दें :—

(i) 30 समान मासिक किश्तों तक चूक/विलम्बित भुगतान, 18% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज वसूल किया जायेगा।

(ii) 30 समान मासिक किश्तों से अधिक समय के लिए चूक/विलम्बित भुगतान, 24% वार्षिक दर से साधारण ब्याज वसूल किया जायेगा।

किराया खरीद स्कीम की आबंटन शर्तों के अनुसार, यदि कोई आबंटी लगातार छः माह तक मासिक किश्तों का भुगतान नहीं पाये, तो किराया खरीद मालिकाना प्रबन्ध खत्म किये जा सकते हैं और उन्हें निर्धारित दरों पर पुनः स्थापन अधिकारों का भुगतान करने पर बहाल किया जा सकता है। रिलीफ स्कीम के तहत जब तक किराया खरीद मालिकाना प्रबन्धों को औपचारिक रूप से पहले में खत्म ने कर दिया जाता, तब तक कोई/पुनःस्थापन अधिभार देय नहीं होगा।

उपर्युक्त योजना प्लाट मालिकों पर लागू नहीं है।

(ग) डी.डी.ए. द्वारा फ्लैट मालिकों से वसूल योग्य कुल राशि इस प्रकार है :—

योजना का नाम	किश्त राशि (रुपये करोड़ों में)	किश्तों के भुगतान न करने पर पेनल्टी राशि	योग (रुपये करोड़ो में) अनुमानित
सामान्य आवास	11.00	4.00	15.00
न्यू पैटर्न रेजडेन्सियल स्कीम-1979	312.62	321.57	634.19

(घ) उपर्युक्त स्कीम को प्रारम्भ करने के अलावा, डी.डी.ए. ने किराया खरीद आधार पर आबंटित फ्लैटों के मालिकों से बकाया राशि वसूल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) मार्च,1995 को समाप्त अवधि के लिए करीब 83,000 डिफाल्टर नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

(ii) पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के तहत 28,000 गैर-वसूली प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं।

(iii) पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के तहत 1758 कुर्की नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

(iv) 80 मामलों में फ्लैटों की कुर्की की गई है।

(v) 16 मामलों में, दोषी आबंटियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्टी जारी किये गये।

(vi) समय-समय पर टी.वी./प्रैस विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं जिसमें आवंटियों को अपनी बकाया राशि जमा करने की सलाह दी जाती है।

(vii) 29 मामलों में फ्लैटों को रद्द करने के प्रेस नोटिस जारी किये गये है।

(viii) न्यू पैटर्न रेजिडेन्सियल स्कीम-1979 के तहत फ्लैटों के खाते अद्यतन किये गये हैं।

(ix) दो सम्पदा अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जिन्हें पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

(x) बकाया राशि की वसूली की कारगर मानीटरिंग बाबत आवास लेख विंग का जोन-वार पुनर्गठन किया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात को धनराशि

3755. श्री एन.जे. राठवा : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में नगर पालिकाओं द्वारा स्वच्छता तथा जल आपूर्ति योजनाओं को शुरू करने हेतु धनराशि प्रदान करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम तथा कुछ अन्य वित्त प्रदान करने वाली एजेंसियों की कुछ नगरपालिकाओं के विकास हेतु धनराशि प्रदान करने का निदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) कम लागत स्वच्छता स्कीम का वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा हडको के माध्यम से किया जाता है जो नगर परलिकाओं तथा स्थानीय निकायों का वित्त उपलब्ध करता है। त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारी का धन दिया जाता है। उनके कार्यान्वयन, परस्पर प्राथमिकता और धन देने की जिम्मेवारी राज्य-सरकारों/स्थानीय निकायों की है।

(ख) और (ग) हडको तथा एल आई सी भी जल आपूर्ति योजनाओं का वित्त पोषण कर रहे है। हडको, तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ तथा वित्तीय रूप से लाभप्रद परियोजनाओं के लिये कुल लागत के 70% तक वित्तीय सहायता देता है और 5 लाख से कम आबादी वाले कस्बों के लिये 14.5% की दर से तथा 5 लाख से अधिक आबादी वाले कस्बों के लिये 17.5% की दर से ब्याज लेता है। योजनागत तथा योजना-भिन्न क्षेत्र के तहत शहरी तथा ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिये एक एल आई सी सहायता उपलब्ध है। उनकी वित्त-पोषण पद्धति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

जल आपूर्ति योजनाओं के लिये हडको तथा एल आई सी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान रिलीज किये गये ऋण का ब्यौरा क्रमश संलग्न विवरण. II तथा III में दिया गया है।

विवरण-I

शहरी तथा ग्रामीण जल आपूर्ति तथा मल-जल निकासी योजनाओं के लिये एल आई सी वित्त पोषण की पद्धति।

1. योजनागत क्षेत्र	शहरी	ग्रामीण
(क) वित्त पोषण प्रति		
योजना लागत 1 करोड़ रुपये तक	रुपये 66.67 लाख	रुपये 50.00 लाख
1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक	रुपये 66.67 लाख + 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 50%	रुपये 50.00 लाख + 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 50%
5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक	रुपये 266.67 लाख + 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 40%	रुपये 250.00 लाख + 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 40%
10 करोड़ रुपये से अधिक	रुपये 466.67 लाख + 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 25%	रुपये 450.00 लाख + 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत का 25%
(ख) ब्याज दर	13% प्रति वर्ष छमाही देय	13% प्रति पर्ष छमाही देय

2. राज्य प्लान से बाहर : परियोजनाओं/योजनाओं का वित्त पोषण मामला-दर मामला आधार पर निर्भर करता है किन्तु किसी भी हालत में परियोजना लागत के एल आई सी के 50% अंशदान से अधिक नहीं होगा। ब्याज दर, प्रचलित बाजार दर पर ली जाती है ओर चालू दर 16.5% प्रति वर्ष होने के नाते तिमाही देय है।

विवरण-II

हडको द्वारा 1.4.92 से 24.7.95 तक वित्त पोषित जल आपूर्ति योजनाएं

क्र.सं.	राज्य	योजनओं की संख्या	परियोजना लागत	ऋण राशि	रिलिज किया गया ऋण
1.	आंध्र प्रदेश	15	2416.06	1555.29	0.00
2.	असम	8	4259.28	2963.80	948.21
3.	गुजरात	1	626.16	410.00	421.30
4.	कर्नाटक	5	7491.08	4910.89	1820.75
5.	केरल	3	3761.88	2354.37	960.37
6.	मध्य प्रदेश	1	795.27	200.00	0.00
7.	महाराष्ट्र	5	25526.04	11183.44	4475.76
8.	उडीसा	5	10752.61ए	7179.50	2376.31
9.	पंजाब	45	4456.43	3098.76	1538.85
10.	राजस्थान	32	10782.92	7583.42	2021.22
11.	तमिल नाडू	5	9759.17	2133.75	1605.24
12.	पश्चिम बंगाल	7	10797.84	5109.00	2442.00
	योग	132	91426.75	48712.22	18610.00

विवरण-III

जल आपूर्ति तथा मल जल निकासी योजनाओं के लिये एल आई सी सहायता

क्र. सं.	राज्य	आवंटन		
		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3.12	2.92	4.46
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	1.19	1.19
3.	असम	0.44	0.57	0.57
4.	बिहार	—	—	—
5.	गोवा	5.53	6.07	4.29
6.	गुजरात	19.23	24.25	26.59
7.	हरियाणा	—	1.35	1.35
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू व कश्मीर	6.07	6.65	6.65
10.	कर्नाटक	5.68	4.89	6.71
11.	केरल	10.00	15.76	18.06
12.	मध्य प्रदेश	18.98	21.56	23.42
13.	महाराष्ट्र	42.28	43.23	35.94
14.	मणिपुर	0.97	1.15	1.15
15.	मेघालय	—	0.20	—
16.	मिजोरम	1.67	2.10	2.55
17.	नागालैण्ड	2.28	2.90	2.90
18.	उडीसा	5.01	5.60	11.23
19.	पंजाब	19.20	21.22	21.22
20.	राजस्थान	4.87	5.33	6.72
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	32.10	38.75	43.59
23.	त्रिपुरा	—	0.85	0.85
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	4.45	8.67	8.67
	योग :	181.88	216.21	228.11

बाढ़ राहत कार्य

3756. **श्री वी.एस. विजयराघवन** : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अक्टूबर, 1992 के बाढ़ में नष्ट हुए मकानों के पुनर्निर्माण के लिए केरल सरकार को कुल कितनी राशि की राज सहायता, यदि कोई हो प्रदान की गई है; और

(ख) केरल के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में नए पक्का मकानों के निर्माण हेतु राज सहायता ने दिए जाने के क्या कारण है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन) विभाग में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया) : (क) केन्द्र सरकार ने केरल में पूर्णतया क्षतिग्रस्त 31520 मकानों के पुनर्निर्माण के लिए हडको के माध्यम से 1419 लाख रु. की कुल राशि केन्द्रीय सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की है। राज्य सरकार ने अब तक 841 लाख रु. की सब्सिडी निकाली है।

(ख) चूंकि यह सब्सिडी अक्टूबर 1992 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए ही स्वीकृत की गई है अतः इसका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन, चाहे जो हों, के लिए करने की अनुमति नहीं है।

पट्टे की संपत्ति को मुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति में बदलना

3757. श्री शशि प्रकाश : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में, विशेषकर शालीमार बाग में पट्टे वाली संपत्ति को मुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति में बदलने के संबंध में दि.वि.प्रा. के पास ऐसे कितने मामलें लंबित है, जिनमें पट्टेधारक द्वारा इस बाबत स्टैम्प ड्यूटी अदा कर दी है;

(ख) विलंब के क्या कारण है;

(ग) कितने मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लम्बित हैं जिनमें कागजों की जांच काफी पहले कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक मामले का कालोनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार 744 मामलों में से शालीमार बाग से सम्बन्धित 77 मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों ने हस्तान्तरण विलेख के उपयुक्त स्टाम्प दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। एक को छोड़कर सभी मामलों में आवेदकों को बुलावा पत्र जारी किए गये हैं। हस्तारण विलेख निष्पादित करने बाबत विभिन्न तारीखों का उल्लेख किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण में ऐसा कोई मामला लम्बित नहीं है जिसमें उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली गई है लेकिन हस्तान्तरण की अनुमति नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण

3758. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना की गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): (क) से (ग) न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1840 के अधीन सोसाइटी के रूप में 1993 में पहले ही स्थापना कर दी गई है।

[अनुवाद]

पारेषण कार्यपालकों (ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव्स) के रिक्त पद

3759. श्री गुरूदास कामत : क्या प्रधान मंत्री 27.4.95, 23.8.95 और 17.8.95 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 3596, 2876 ओर 2177 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारेषण कार्यपालकों के रिक्त पदों के संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों/सूचना में कोई विसंगति है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या दिल्ली क्षेत्र में तीन रिक्तियां अनुसूचित जातियों, दो अनुसूचित जनजातियों, एक भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है;

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की उपेक्षा कर एक अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार का चयन करने का क्या कारण है;

(ङ) उक्त आरक्षित पदों पर उम्मीदवारों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(च) क्या उक्त संदर्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोई छूट दी गई है;

(छ) यदि हां, तो कहां तक छूट दी गई है;

(ज) श्रेणीवार और राज्यवार कितने उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु सफल हुए हैं; और

(झ) यह सुनिश्चित करने हेतु कि प्रत्येक राज्य/क्षेत्र से लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति हो, सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रिक्त पदों के संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचना में कोई विसंगति नहीं है। दिनांक 23.8.95 के अतारांकित प्रश्न सं.-2876 के उत्तर में दी गई सूचना ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव (जनरल तथा प्रोडेक्शन परीक्षा, 1994 के संबंध में थी। जबकि अन्य प्रश्नों में दशाई गई सूचना में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव (विशिष्ट श्रेणियां) भी शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अन्य पिछड़े वर्ग के एक उम्मीदवार को अनारक्षित रिक्ति पर सामान्य उम्मीदवार के रूप में चुना गया था न कि अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों के दावों की उपेक्षा करके।

(ङ) से (ज) आयु-सीमा में छूट देने के अतिरिक्त, कर्मचारी चयन आयोग अनु. जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए शिथिल मानदंड अपनाता है।

(झ) विवरण संलग्न है।

विवरण

ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव (जनरल तथा प्रोडक्शन), 1994 की भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम

क्र.	क्षेत्र	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित	भूतपूर्व सैनिक	अस्थि विकलांक	कुल
1.	हिमाचल प्रदेश	0	10	1	26	—	—	43
2.	जम्मू तथा कश्मीर	16	5	—	10	—	—	31
3.	दिल्ली	16	2	3	16	—	—	33
4.	चण्डीगढ़/हरियाणा/ पंजाब	12	1	17	16	—	—	46
5.	राजस्थान	17	27	40	24	14	—	122
6.	बिहार	6	12	9	9	—	—	36
7.	मध्य प्रदेश	—	—	11	81	15	—	107
8.	उत्तर प्रदेश	20	7	7	47	—	—	81
9.	पश्चिम बंगाल	22	8	14	47	1	—	92
10.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	3	5	11	—	—	21
11.	उड़ीसा	13	41*	11	22	—	—	87
12.	अरुड़ावल प्रदेश	3	18	4	45	—	—	70
13.	असम	10	9	15	8	1	—	43
14.	मणिपुर	2	2	—	8	—	—	12
15.	मेघालय	—	15	4	9	—	—	28
16.	मिजोरम	—	15	—	3	—	—	18
17.	नागालैण्ड	1	14	—	14	—	—	29
18.	त्रिपुरा	5	10	—	13	—	—	28
19.	महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली	11	10	10	20	—	1	52
20.	गोवा	—	—	—	9	—	—	9
21.	गुजरात	10	9	21	40	3	1	84
22.	आन्ध्र प्रदेश	21	7	10	11	—	—	49
23.	कर्नाटक	7	7	15	22	2	—	53
24.	केरल और लक्ष्यद्वीप	2	2	2	16	—	—	22
25.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	17	7	38	10	6	—	78
	कुल :	215	241	237	537	42	2	1274

*इसमें 1 अनु.जनजाति/भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं।

पार्कों में अतिक्रमण

3760. **श्री शशि प्रकाश : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री** 26.8.1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4283 और 6.5.92 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9127 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रश्नों के उत्तर के संबंध में दिया गया आश्वासन अभी तक लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक सभी क्षेत्रों में विशेषकर शालीमार बाग मे अतिक्रमणों को हटा दिया जाएगा;

(घ) शालीमार बाग में एक ठेकेदार द्वारा बनाये गये चैनलों के स्थान पर भूमिगत नाली बनाये जाने हेतु क्या कदम उठाये गये है; और

(ङ) कब तक इसे पूरा कर लिया जाएगा ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) और (ख) जी, हां। आश्वासन की पूर्ति न किये जाने के कारण संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण, दोनों के सूचित किया है कि उनके क्षेत्राधिकार में पार्कों में कोई अतिक्रमण नहीं है।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना ने अनुसार निकास नाले बनाने का कार्य शूरू कर दिया गया हैं और यह कार्य 30 अप्रैल, 96 तक पूरा होने की सम्भावना है।

विवरण

प्रश्न के भाग(ग) के उत्तर में निम्नलिखित आश्वासन दिया गया था:— "दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मलजल निर्यास नालियों की व्यवस्था के लिए योजना अनुमोदित की गई है और इसे अन्तिम रूप देने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस समय बरसाती पानी शालीमारबाग के साथ रेलवे लाइन के निचले इलाकों में छोड़ दिया जाता है और अन्ततः बाहरी रिंग रोड़ पर बनी पुलिया के बाहर सहायक नालियों में छोड़ दिया जाता है स्थायी मल जल निर्यास प्रणाली के लिए कार्य आरम्भ कर दिया गया है और यह दो वर्ष में पूरा होगा। इस प्रकार अन्तरिम व्यवस्था के रूप में मलजल का शौधन आकसीकरण तालाब के द्वारा किया जा रहा है। आन्तरिक नालियों का निर्माण नहीं किया जा सका क्योंकि मकान मालिकों ने अपने-अपने घरों के बाहर ढलान बनाये हुए हैं जो नालियों के निर्माण में बाधा बन रहे हैं। दिल्ली जल प्रदाय व मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण के निक्षेप कार्य के रूप में एक मल जल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कर रहे हैं। दिल्ल नगर निगम ने सूचित किया है कि सड़क के किनारे नालियां न होने के कारण सड़कें बार-बार क्षतिग्रस्त हो जाती है और ये नियमित रूप से दिन प्रतिदिन मरम्मत कर रहे हैं। इसे अतिरिक्त, दिल्ली नगर निगम ने सड़कों को मजबूत करने का कार्य आरम्भ किया है ये सूचित किया गया है कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से पार्क की टूटी हुई दिवारों और ग्रिलों की मरम्मत की जा रही हैं। रास्तों के स्तर को बनाये रखने/ऊंचा करने के लिए पाकों में भराव के लिए भी अनुमान तैयार कर लिये गये हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार ए-ब्लाक शालीमार में चैनल निर्माण का 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है इसी प्रकार बी-ब्लाक, शालीमार बाग में बरसाती पानी के नाले का 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आश्वासन की पूर्ति कार्य के सम्भवत दिसम्बर, 95 के अन्त तक पूरा हो जाने के बाद की जाएगी।

प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में दिल्ली के उत्तर पश्चिम जोन विशेषकर शालीमार बाग में नालियों के निर्माण के लिए समय सीमा बावत आश्वासन दिया गया था कि इस क्षेत्र अपेक्षित सुविधा उपलब्ध करने हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि ए ब्लाक शालीमार बाग में बरसाती पानी की नालियां उपलब्ध कराने का कार्य पूरा हो गया है और बी ब्लाक, शालीमार बाग में बरसाती पानी की नालियां उपलब्ध कराने का 94 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। तगूपा कार्य पूरा होते ही आश्वासन पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

झुग्गीवासियों का पुनर्वास

3761. **श्री मंजय लाल** : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सभी झुग्गियों का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है;

(ख) दिल्ली में प्रतिवर्ष औसत कुल कितनी झुग्गी बस्तियां बसाई जाती है; और

(ग) सरकार द्वारा झुग्गी वासियों को स्वामित्व अधिकार देने और उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) इस सम्बन्ध में कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी०एन०सी०टी० डी०), के अनुसार यह अनुमान है कि दिल्ली में मार्च, 1994 में 1080 झुग्गी झौपड़ी समूहों में 4.80 लाख झुग्गियां थी।

(ख) इस बाबत सही-सही आकलन नहीं किया गया है। तथापि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 1951 से 1994 तक दिल्ली में झुग्गियों में हुई बढ़ोत्तरी का विवरण संलग्न है।

(ग) अभी झुग्गी वासियों को मालिकाना हक देने की कोई नीति नहीं है। झुग्गी-झौपड़ी वासियों के जीवनस्तर में सुधार हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित त्रिआयामी रणनीति कार्यान्वित की जा रही है :—

(i) सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए शीघ्र अपेक्षित भूमि से पात्र झुग्गी-झौपड़ी वासियों का अन्यत्र पुर्नस्थापित/पुनः बसाव।

विवरण

दिल्ली में झुग्गियों में वृद्धि

वर्ष	झुग्गियों में वृद्धि
1	2
1951	12,800
1956	22,400
1961	42,800

1	2
1968	42,700
1971	82,600
1973	88,500
1977	20,000
1981	90,700
1983	1,13,400
1985	1,50,000
1986	2,00,000
1987	2,25,000
1990	2,59,300
1994	4,80,900

झांसी में सफाई

3762. श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) 1994 के दौरान उत्तर प्रदेश में झांसी नगर निगम क्षेत्र में कितने स्थानों से अनधिकृत कब्जा हटाया गया है और सफाई कार्यक्रम चलाया गया जिसके कारण वहां के लोगों को असुविधा हुई है;

(ख) यदि हां तो "आईलीट क्रास रोड" और टी०बी० अस्पताल के बीच अनधिकृत कब्जा हटाए न जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) झांसी नगर निगम की भूमि पर निर्मित "जय" काम्पलेक्स को संबंद्ध विभाग द्वारा किन नियमों के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया गया और नक्शा स्वीकृत हुआ;

(घ) क्या इसके निर्माता के परिवार के सदस्यों द्वारा विगत में इस दावे का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त भूमि नगर निगम की है और जिलाधीश ने तत्कालीन मालिकों द्वारा निर्मित काम्पलेक्स/भवनों को गिरा दिया है; और

(ङ) जय कम्पलेक्स के मालिकों द्वारा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :–

(क) और (ख) वर्ष 1994 के दौरान झांसी नगर निगम क्षेत्र में चित्रा सिनेमा से चांदपुर और जेल क्रासिंग से मेडिकल कालेज तक अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाया गया था। यह अभियान में इलाईट क्रासिंग रोड़ तथा टी०बी० अस्पताल के बीच का क्षेत्र शामिल नहीं था।

(ग) से (ङ) जेल परिसर के निर्माण की मंजूरी विकास प्राधिकरण, झांसी ने अपने नियमों तथा विनियमनों के अनुसार तथा तहसीलदार झांसी की रिपोर्ट और नगर पीलिका, झांसी द्वारा जारी" अनापत्ति प्रमाण पत्र" के आधार पर दी थी। सम्बन्धित भवन निर्माता द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधित नक्शे विकास प्राधिकरण, झांसी ने 6.4.91 को मंजूर किये थे। विकास प्राधिकरण ने एक शिकायत प्राप्त होने पर स्थल निरीक्षण किया था और पाया था कि निर्माण स्वीकृत नक्शें के अनुरूप नहीं था। इसलिये, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 के तहत कारण बताओं नोटिस" जारी किया गया था। उक्त भूमि, जिस पर जेल परिसर बनाया गया है, का स्वामित्व विवादास्पद है और मामला अभी भी न्यायाधीन है। विकास प्राधिकरण झांसी में विभिन्न पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात 14.2.92 को, भूमि के स्वामित्व विवाद बाबत सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने तक, सभी कार्रवाईयों पर रोक लगा दी है। गलत हलफनामा भरते के लिये व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही इस भूमि के स्वामित्व बाबत विवाद पर न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी।

जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण रक्षा बल

3763. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या प्रधान मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से की जाने वाली गड़बड़ियों पर आकुश लगाने के लिए ग्रामीण रक्षा बल बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों में यह योजना कार्यान्वित किये जाने के प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भी यह योजना लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथ परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के सीमावर्ती जिलों सहित सुभेद्य क्षेत्रों में स्थित 660 गांवों में "ग्राम रक्षक समितियां गठित करने की एक योजना, राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु साथ में ली गई है।

(ग) और (छ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

हजरतबल

3764. श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री गुरूदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दो आतंकवादी गुटों के बीच हजरतबल में झड़प हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, हजरत-बल क्षेत्र में प्रतिद्वन्दी उग्रवादी गुटों के बीच कुछ अन्तर-ग्रुप झड़पें हुई हैं। उनके ब्यौरे निम्न प्रकार से है :–

(i) 20.11.1995 को कुछ अज्ञात बंदूकधारी, हजरतबल से कुछ दूर स्थित तेलबल अड्डा पर आए और हवा में गोलियां दागकर भय पैदा कर दियां दुकानदारों ने अपनी दुकानें बन्द कर दी। दो (अज्ञात) उग्रवादी ग्रुपों के बीच आपस में गोलीबारी हुई। तथापि, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। इससे पहले 18.11.1995 को, इसी क्षेत्र में उग्रवादियों के बीच सशस्त्र झड़पें हुई थीं, इन उग्रवादियों का संबंध इख्वान-उल-मुस्लिमीन और जे के एल एफ गुटों से होने का संदेह है, हड़पों में कोई हताहत नहीं हुआ।

(ii) 7.12.1995 को संदिग्धतः हिज्बुल मुहाहिदीनी और जे०के०एल०एफ० के उग्रवादियों के बीच, हजरतबल के निकट चतरहमा जाकूरा में एक अन्तरग्रुप झड़प हुई थी। जिसमें एक व्यक्ति मारा गया।

सरकार स्थिति पर नजर रखती रही है और ऐसी घटनाओं को घटने से रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं – पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा गश्त और इस क्षेत्र में सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पिकेट स्थापित करना। उग्रवादियों की गतिविधियां और संभावित हिंसक क्रियाकलापों को रोकने के लिए ऐसे क्षेत्रों में अभियान भी चलाए जाते हैं।

चमड़े का सामान बनाने वाली इकाइयां

3765. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस समय चमड़े का सामान बनाने वाली स्थानवार कितनी इकाइयां कार्य कर रही है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनका वार्षिक उत्पादन कितना था;

(ग) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चमड़ा उद्योग के विकास के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय और ले लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) चमड़ा निर्यात परिषद की सदस्यता अभिलेखों के अनुसार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद के विनिर्माणाकारी एकक तथा उनके स्थापना-स्थल इस प्रकार हैं :–

उत्तर प्रदेश

कानपुर	286
आगरा	102
नोएडा	51
लखनऊ	1
देहरादून	1
उन्नाव	1
योग	362

मध्य प्रदेश

इन्दौर	2
कुल	364

(ख) क्योंकि चमड़े के समानों में विविध प्रकार के उत्पादन शामिल हैं, इसलिए सभी एककों को प्रत्येक मद के उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जा सकते।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय चमड़ा विकास योजना तथ चमड़ा प्रौद्योगिकी कार्य जैसे दो राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं को डिजाइन तथा उत्पाद विकास, उन्नत प्रशिक्षण का प्रावधान तथा चर्मशोधन क्षेत्र में आधुनिकीकरण/परिस्थिति अनुकूल प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के लिए आधारभूत सुविधाओं के सृजन में सरकार सहायता कर रही है।

वित्तीय सहायता के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1512 के दिनांक 6 दिसम्बर, 1995 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : "वित्तीय सहायता" बाबत की चित्त बसु द्वारा 6 दिसम्बर, 1995 के लिए पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 1512 के उत्तर में चूक-वश भिन्न हिन्दी उपांतर चला गया था जिससे उत्तर के दोनों पाठों में भिन्नता आ गई। उत्तर का अंग्रेजी पाठ सही पाठ है। सही पाठ संलग्न हैं।

2. सदन को हुई असुविधा के लिए खेद है।

वित्तीय सहायता

1512. श्री चित्त बसु : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सराकर के केन्द्रीय सरकार से पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में विस्थापितो की बस्तियों में अवस्थापना सुविधाएं देने की योजना 1976 से चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने

कार्यक्रम के पहले और दूसरे चरण में, 12.01 करोड़ रुपये के खर्च पर 59,132 भूखंडों में इन सुविधाओं के प्रावधान की सूचना दी थी। शेष 44025 भूखण्डों के विकास बाबत तीसरे चरण को भारत सरकार ने प्रति भूखड 17,777/- रुपये की अधिकतम संशोधित लागत से जनवरी, 1995 में 78 करोड़ रुपये की समग्र लागत पर है। यह राशि केन्द्रीय अनुदान के रूप में समुचित किश्तों में दी जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कार्यक्रम के I तथा II चरणों के लिए जारी केन्द्रीय अनुदान राशि से अधिक खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार को 2.33 करोड़ रुपये को राशि की गई है I कार्यक्रम के III चरण के लिए चालू वित्त वर्ष में अब तक 8.71 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अनुदान दिया जा चुका है।

11.14 म०पू०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरूवार, 21 दिसम्बर, 1995/30 अग्रहायण, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।